लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Buildin
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ६—अंक १ से १०—६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)]

अंक १—सोमवार, ६ अगस्त, १९६२, १५/श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १३ १—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४ से ३५ और ३७ से ४८ २७—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३, २५ से ६०, ६२ से ६९ और ७१ से ७६ ४७—७८

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ७८—७९

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७९—८०

औचित्य प्रश्न के बारे में ८०—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८०—८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८३

लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य ८३—८७

वित्त मंत्री की हाल की पश्चिमी यूरोप की यात्रा के बारे म वक्तव्य ८७—९०

डुमराव में हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ९०—९१

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक ९१—११५

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११२

खंड २ से २४ और १ ११३—११५

पारित करने का प्रस्ताव ११५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ११५

क संक्षेपिका ११६—२४

२—मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२/१६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५६ और ८७ १२५—४७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ १४७—४९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७ से ८६ और ८८ से ९१	१४९—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १५४, १५६ से १५९, १६१ से १८४ और १८६ से २१४	१६८—२३१
सभा पटल पर रख गये पत्र	२३१—३५
समिति के लिये निर्वाचन—	२३५
भारतीय परिचर्या परिषद्	२३५
कार्य मंत्रणा समिति—	२३६
तीसरा प्रतिवेदन	२३६
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक—	२३६–३७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक	२३८—४५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २, ३ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
प्रत्यर्पण विधेयक	२४५—६०
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ३७ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
दैनिक संक्षेपिका	२६१—७१
अंक ३—बुधवार, ८ अगस्त, १९६२/१७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १०२	२७३—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न	२९८—३०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १४३	३०१—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २३३, २३५ से २९६, २९८ से ३२८, ३३० से ३४२, ३४४ और ३४५	३२२—७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३७४–७५
राज्य सभा से सन्देश	३७५–७६
सदस्यों की गिरफ्तारी	३७६

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३७६
सभा का कार्य	३७७
सीमा शुल्क विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३७७—७८
भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	३७८
प्रत्यर्पण विधेयक—	
पारित करने का प्रस्ताव	
हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण (संशोधन) विधेयक	३७८—८१
विचार करने का प्रस्ताव	३८१—९१
खण्ड २ से ४ और १	३९१
पारित करने का प्रस्ताव	३९१—९३
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक कारण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३९३—९९
दैनिक संक्षेपिका	४००—०९
अंक ४—गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२/१८ श्रावण, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १५३ और १५५ १६	४११—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५४ और १६५ से १७१	४३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३८५ और ३८७ से ४२२	४४२—७८
औचित्य प्रश्न के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८—७९
रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	४७९
सभा का कार्य	४७९—८०
विशिष्ट सहायता विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४८०—८८
छोटी कार बनाने के बारे में वक्तव्य	४८८—९०

विषय	पृष्ठ
महा प्रशासक विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४९०—९२
दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का खराब होना . .	४९२—५१५
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१६—२१
अंक ५—शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२ /१९ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७४, १७५, २१०, १७६, १७७, २०६, १७८, १७९ से १८२ . .	५२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३, १८३ से २०५, २०७ से २०९, २११ से २१४	५४५—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२३ से ४९७, ४९९ से ५२१, ५२३ से ५३० और ५३२ से ५३८	५६०—६१०
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१०—१४
दिल्ली में बिजली के संभरण के खराब हो जाने के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य . . .	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रामकृष्णपुरम में पीने के पानी की कमी . . .	६१५—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१७—१८
सदस्यों को सजा	६१८
पश्चिमी बंगाल में कोयला खनन के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच करार के सम्बन्ध में वक्तव्य .	६१८—१९
सभा का कार्य . . .	६१९—२०
समितियों के लिये निर्वाचन—	
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	६२०—२१
प्राक्कलन समिति	
सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के बारे में प्रस्ताव .	६२१—३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन . . .	६३५—३६
मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में संकल्प . . .	६३६—३९
अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प	६३९—५४

विषय	पृष्ठ
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में संकल्प	६५४
सदस्य की गिरफ्तारी	६५४
दैनिक संक्षेपिका	६५५—६३
अंक ६—सोमवार, १३ अगस्त, १९६२/२२ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२३, २२५, २२७ से २३१	६६५—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२४, २२६, २३२ से २६८	६९३—७१४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३९ से ५६० और ५६२ से ६४५	७१४—६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७६१–६२
सदस्य को सजा	७६२–६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	७६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२–६३	७६३
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) अणुशक्ति विधेयक	७६३
(२) अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	७६३–६४
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव	७६४—९८
सभा का कार्य	७९८
दैनिक संक्षेपिका	७९९—८०७
अंक ७—मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२/२३ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६९ से २७८, २८० से २८४, २८६ और २८८	८०९—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७९, २८५, २८७, २८९ से २९३ और २९५ से ३१३	८३६—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६५०, ६५२ से ६८८ और ६९० से ७२५	८४७—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पश्चिम बंगाल पाकिस्तान सीमा के साथ साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा खाइयां खोदे जाने का कथित समाचार	८७८–७९

विषय	पृष्ठ
(२) काशीपुर के निकट एक बस और मालगाड़ी की टक्कर	८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८८१
दिल्ली में बिजली के संभरण की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	
श्री अलगेशन	८८१–८२
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	
श्री जवाहरलाल नेहरू	८८२—९२
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८९२—९११
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	९११
दैनिक संक्षेपिक	९१२—१८

अंक ८—गुरुवार, १६ अगस्त, १९६२/२५ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ से ३१६, ३४५, ३१७ से ३२६ और ३२८	९१९—४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	९४४—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ३२७, ३२९ से ३४४ और ३४६ से ३५३	९४६—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६ से ८३९	९५९—१०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	१०१३—१६
(१) पुनर्वास विभाग के कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय का बन्द किया जाना	
(२) दिल्ली में लाल किले के निकट हुआ विस्फोट	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०१७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१०१७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१०१८—२७
सभा का कार्य	१०२८
रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	१०२८—४२
दैनिक संक्षेपिका	१०४३—४९

विषय | पृष्ठ

अंक ६—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९६२/२६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६१, ३६४, ३६७ और ३६९ से ३७२ १०५१—७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १०७४—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६२, ३६३, ३६५, ३६६, ३६८ और ३७३ से ४०२ १०७७—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० से ९५२, ९५४ से ९६१, ९६३, ९६४, ९६६ से ९७३ और ९७५ से ९८५ . . . १०९३—११५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक खेल संवादाता पर कथित आक्रमण . . . ११५२–५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५३–५४

रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . . ११५४—८०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . . ११८१—८२

विधेयक पुरस्थापित— ११८२–८३

(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन [श्री म० ला० द्विवेदी का] . . . ११८२

(२) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन) [श्री कृ० च० शर्मा का] . . ११८२–८३

अस्पृष्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्धया का] वापिस लिया गया

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . ११८३—९१

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का] . . . . . . ११९१—९३

विचार स्थगित किया गया

विचार करने का प्रस्ताव

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७-ख का लोप) [श्री म० ला० द्विवेदी का]

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ११९३—९५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ११९६—१२०५

विषय	पृष्ठ
अंक १०— शनिवार १८ अगस्त १९६२/२७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०३, ४२८, ४०४ से ४०६, ४०८, ४१०, ४११, ४१३ से ४१९, ४२१ और ४२० . . .	१२०७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०७, ४०९, ४१२, ४२२ से ४२७ और ४२९ से ४३६	१२२२—४
अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से १०७१, १०७३ से १०८६ और १०८८ से १०८९	१२४०—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२८४—८५
सदस्य की दोषसिद्धि	१२८५
सभा का कार्य	१२८५—८६
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ . . .	१२८६—९३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ . .	१२९३—१३०६
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . .	१३०६—१५
दैनिक संक्षेपिका	१३१६—२२

GMGIPND—LS III—1651 (Ai) LSD—18-12-62—140

लोक-सभा

{शनिवार, १८ अगस्त, १९६२ / २७ श्रावण, १८८४ (शक)}

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे । श्री बनर्जी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न संख्या ४०३ । श्रीमान्, प्रश्न संख्या ४२८ भी इसी के साथ लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । यह भी फिजो के बारे में है ।

नागालैंड में स्थिति

+

†*४०३. {**श्री स० मो० बनर्जी** : / **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :}

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री फ़िजो की पाकिस्तान यात्रा के बाद नागा विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन नागा विद्रोहियों की गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० मु० जमीर)** (क) हमारे सुरक्षा बलों के कारण नागा विद्रोहियों की गतिविधियां कुछ कम हो गई हैं ।

(ख) सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1651 (Ai) LSD—1

फिज़ो

†*४२८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री त्रिदिबकुमार चौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री र० ना० रेड्डी :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरार नागा नेता ए० जेड० फिज़ो के बारे में प्रमाणित जानकारी है कि वह कहां पर है;

(ख) क्या यह सच है कि श्री फिज़ो को जुलाई में लन्दन में अमेरिकी वीसा मिल गया था ; और

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटिश और अमरीकी सरकारों को श्री फिज़ो की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से अवगत कर दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० चु० जमीर) :** (क) सरकार के पास कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं है किन्तु अनधिकृत रूप से यह पता चलता है कि वह अमरीका चला गया है ।

(ख) इंगलिस्तान स्थित अमरीकी दूतावास द्वारा फिज़ो को २५ जून १९६२ को अमरीका का दृष्टांक दिया गया था :

(ग) अपने दूतावासों के द्वारा हमने अपने विचार अमरीकी तथा ब्रिटेन की सरकारों को व्यक्त कर दिये हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि फिज़ो जब पाकिस्तान में था तो उसने नागा विद्रोहियों को यह आश्वासन दिया था कि नागालैंड का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जायेगा ?

†**श्री स० चु० जमीर :** हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या अमरीकी सरकार से उनकी विचारधारा के बारे में कुछ पता चला है और उन्होंने यह बताया है कि फ़िज़ो की गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हैं और वहां उसे कोई महत्व नहीं दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : किस सरकार से ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या हमने विचार अमरीकी सरकार को स्पष्ट कर दिये हैं कि उस गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हैं और क्या हमने इस बात का पता कर लिया है कि वह अमरीका में है यदि हां तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है । क्या वे अब भी फ़िज़ो की सहायता करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बारे में हमारे विचार अमरीकी सरकार को अनौपचारिक रूप से अपने राजदूत के द्वारा अच्छी तरह बता दिये गये हैं । लिखने और जवाब मिलने का तो कोई प्रश्न हीं नहीं उठता । इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि उन्होंने अपने उत्तर में क्या बताया ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि फीज़ो ने भारत की राष्ट्रीयता छोड़ कर किसी दूसरे देश की नागरिकेता अख्त्यार कर ली है ? यदि हां तो पहले सरकार ने उस को पकड़ने के लिये जो १०,००० रु० के इनाम की घोषणा की थी वह जारी है या उस को स्थगित कर दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जो माननीय सदस्य का पहला सवाल था उसके बारे में मुझे मालम है कि वह यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हो गये हैं, भारत के नागरिक नहीं रहे । लेकिन फीज़ो के खिलाफ जो वारंट था वह अभी जारी है । उसके अन्दर जिस इनाम का ऐलान किया गया था वह है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता । लेकिन वारंट जारी है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि जनरल खेते जो नागा विद्रोहियों का स्वयं नेता बना हुआ है और अब तक पाकिस्तान में था अब आप्रवासी अधिनियम के बावजूद भी इंगलैंड चला गया है । क्या हमारी सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह सुनिश्चित कर लिया है कि क्या पाकिस्तान सरकार ने वहां जाने में उसकी सहायता की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बिल्कुल ही एक नया प्रश्न होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह पहले प्रश्न से सम्बन्धित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहला प्रश्न तो फिज़ो के बारे में है न कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ?

†**श्री हेम बरुआ** : जी नहीं । दूसरा भी पहले प्रश्न से सम्बन्धित है । यह प्रश्न मख्य प्रश्न के भाग (ख) से उत्पन्न होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देने के लिये तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं । हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : प्रश्न संख्या ४२८ भी इसी के साथ ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो ले लिया गया है और उसका उत्तर भी दे दिया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पिछले एक या दो महीनों में नागाओं ने आत्म-समर्पण किया है ?

†**श्री स० चु० जमीर** : पिछले कुछ महीनों में ३९ व्यक्तियों ने आत्म-समर्पण किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : जब फिज़ो ने इंगलिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो पश्चिमी देशों में घूमने की तुक क्या है तथा नागालैंड की चर्चा करने से क्या लाभ है ।

†**श्री स० चु० जमीर** : चूंकि अब वह ब्रिटिश नागरिक हो चुका है, अतः नागाओं की ओर से उसे बातचीत करने का कोई हक नहीं है ।

†**श्री दाजी** : फिज़ो भारत विरोधी कार्यवाही कर रहा है, तो क्या सरकार ने इंगलिस्तान तथा अमरीकी सरकार से इस बारे में कुछ कहा है तथा उन से यह निवेदन किया है कि फ़िज़ो उन के देशों को भारत विरोधी प्रचार के लिये उपयोग न करे ।

†**श्री स० चु० जमीर** : हम ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं ।

†**श्री दाजी** : विचार प्रकट करने के अतिरिक्त क्या कुछ और भी कड़ी कार्यवाही भी की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : विचार कड़े हैं अथवा नहीं यह बात तो मतभेद की है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रधान मंत्री ने बताया है कि फ़िज़ो के ख़िलाफ़ वारंट पड़ा हुआ है ; इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है कि उसे हमें सौंप दिया जाये तथा उसे गिरफ्तार किया जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि क्या ४ नागा विद्रोही संयुक्त राष्ट्रसंघ गये हैं ?

†**श्री स० चु० जमीर** : समाचारपत्रों की सूचना के अतिरिक्त हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है ।

उत्तर बंगाल सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों का जमाव

†*४०४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरकार मुरमू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल के बनग्राम, दुरेरजेत, मायाबस्ती, दाहखान और बावनपुर गांवों के आसपास और निकट पाकिस्तानी सैनिक इकट्ठा हुए हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने वहां निरीक्षण चौकियां स्थापित की हैं तथा खन्दकें खोदी हैं और इस प्रकार भारतीय सीमा से लगे क्षेत्रों को लड़ाई का मैदान बना दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप शांति को उत्पन्न खतरों से पाकिस्तान को अवगत कराने के लिये पाकिस्तान सरकार को राजनयिक चेतावनी दी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) तथा (ख). पूर्वी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के कुछ अतिरिक्त सैनिकों के पश्चिमी बंगाल के रंगपुर तथा जलपाईगुड़ी जिलों में एकत्रित होने की सूचना अवश्य मिली है। जलपाईगुड़ी जिले में पुलिस कोतवाली के खिलाफ नटवारी नवाबगंज के पास कुछ गांवों में खाई खोदने की सूचना भी मिली है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार से इन सैनिकों के दाईखेता तथा नवाबगंज क्षेत्रों में एकत्रित होने के विरुद्ध विरोध किया है। ढाका स्थित भारत के उपउच्चायुक्त ने भी पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के व्यक्तियों का दाईखेता क्षेत्र में आने तथा पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर जमा होने के विरुद्ध विरोध किया है। पश्चिमी बंगाल ने यह विरोध ९, जुलाई को किया था जबकि उपउच्चायुक्त ने यह विरोध १९, जुलाई को किया था। पाकिस्तान सरकार से इन विरोधों का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इन विरोध पत्रों के भेजने के बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमाओं पर, जैसाकि कल प्रधान मंत्री जीने भी दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया था, आज सैनिक जमाव चलता जा रहा है और तैयारियां हो रही हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी ओर से सुरक्षात्मक व्यवस्था सन्तोषजनक है और क्या उस के बारे में हमारी सरकार सन्तुष्ट है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, हमारी तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है, वह सन्तोषजनक है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बार्डर पर बंगाल पुलिस का इन्तजाम है या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलिटरी का इन्तजाम है ? और वहां की प्रजा की रक्षा के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा मैं ने पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया, वहां की सुरक्षा का सरकार की तरफ से पूरा इन्तजाम है ।

अध्यक्ष महोदय : वहां पर पुलिस का इन्तजाम है या मिलिटरी का ?

श्री दिनेश सिंह : वहां पर बार्डर पुलिस का इन्तजाम है। जहां जैसी भी जरूरत पड़ती है, वह वहां चली जाती है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी: क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी बल पश्चिम बंगाल के गृह विभाग को सौंपा दिया गया है और यह मुख्यत: पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल से लिये गये हैं जोकि अनियमित सेवा के अन्तर्गत है और जिन का किसी भी सेवा में कोई स्थायी धारणाधिकार भी नहीं है। ये नियमित पुलिस बल में भी नहीं है और न सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई सैनिक बल ही मौजूद है जैसाकि कल प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर दे दिया गया है। सीमा पर पुलिस मौजूद है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मालूम नहीं पड़ता कि माननीय सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के बारे में क्या कह रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैं पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की बात कर रहा हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि उन्हें वहां रखा गया हो। वैसे तो सीमा सुरक्षा का काम सीमा पुलिस और सेना का है। सेना पीछे रखी जाती है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरा अनुमान है कि पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर जो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं इसका बुनियादी कारण यह है कि वह भूमि किस की है इस बात का झगड़ा है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सीमा निर्धारण के बारे में जो पहले एक समझौता हुआ था उस में कितनी प्रगति हुई है और खास कर इन स्थानों के सीमा निर्धारण के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: बुनियादी कारण तो मेरी राय में भूमि का नहीं है बल्कि कुछ एक दिमागी है . . . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : फ़ितूर है दिमाग़ में।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कहीं जमीन के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं तो वह झगड़े की बात नहीं है। कुछ दरिया निकल आते हैं, दरिया इधर से उधर हो जाते हैं। ऐसी बातें हैं, इस पर झगड़ा हो जाता है इसलिये कि उस के पीछे दिमाग़ झगड़ालू है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : पाकिस्तान वहां इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। और उस ने वहां खाई खोदी है सीमावर्ती जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो कहा गया है कि हम ने संतोषजनक इंतजाम कर दिया है।

श्री जसवन्त मेहता : जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : संतोषजनक इंतजाम कर दिया है अब इससे ज्यादा वह क्या कह सकते हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत : संतोष किस का हो रहा है अपना या उनका ?

†**श्री जसवन्त मेहता** : पाकिस्तानियों की इन हरकतों से जनता परेशान है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जनता की परेशानी मुझे कुछ हद तक मालूम है। प्रतिरक्षा के लिये सेना तथा पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। यह हर आदमी का कर्तव्य है कि उन को समझाये कि वे परेशान न हों।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रतीत है कि हमारी सरकार ने संतोषजनक व्यवस्था कर ली है तो क्या हम आशा करें कि जैसे पाकिस्तानी भारतीय नागरिकों को उठा कर ले जाते हैं और कभी उनको गवेलियों से बींध देते हैं, अब भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका तो मैं इकरार नहीं थे सकता।

श्री रामेश्वरानन्द : तब संतोषजनक व्यवस्था क्या हुई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में लौह अयस्क की खानें

+

†*४०५. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि रेलवे के अन्तिम स्टेशनों (रेल हेड्स) पर और खानों के आसपास बड़ी मात्रा में लौह अयस्क इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप उड़ीसा में लौह अयस्क की खानों का काम करने की क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है ; और कुछ खानें बन्द हो रही हैं ; और

(ख) क्या उड़ीसा में लौह अयस्क की काम में न आ रही क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां । रेलवे के अन्तिम स्टेशनों और खानों के आसपास लौह अयस्क का स्टाक मिलने का समाचार मिला है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम निर्यात की आवश्यकता तथा देश में इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस्पात खरीदता है । फिर भी वहां कुछ स्टाक एकत्रित हो गया है । नई रेलें तथा पत्तन सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाई गई हैं ताकि रेलों पर अधिक भार न रहे और भीड़भाड़ कम हो जाये ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : गत १५ जून को प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि उस क्षेत्र में जितना लौह अयस्क एकत्रित है उसका केवल आधा भाग ही रेलव उठा सकेगी और साथ ही यह भी कहा था कि स्थिति में सुधार होना चाहिये । मैं यह जानना चाहूंगा कि अब स्थिति क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है । बाड़ा जमदा-टाटानगर लाइन के राजखारस्वान स्टेशन पर ही थोड़ा सा अवरोध है । यह लाइन भी दुहरी कर दी गई है तथा बिजली से चलाई जाती है । अब इस लाइन का और विकास संभव नहीं है । अतः हमने यह सुझाव दिया है कि हथगामढ़िया और रायरंगपुर के बीच जिस की दूरी ३५ मील है, बड़ी लाइन बनाई जाये इससे सीनी राजखारस्वान सैक्शन की स्थिति अच्छी हो जायेगी तथा कम से कम ५० लाख टन की क्षमता बढ़ जायेगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : खानों से लगभग १२० लाख टन लौह अयस्क निकलता है और इस कठिनाई के कारण ३५ लाख टन अयस्क ही उचित रूप से इधर उधर भेजा जाता है । क्या उस पूरी मात्रा को लाने ले जाने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ; ताकि खानों की निष्क्रिय क्षमता का भी उचित उपयोग होने लगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक रेलों की पूरी क्षमता की बात है, और उन्होंने जितना काम किया है उन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि रेलों की क्षमता में वृद्धि हो रही है । लेकिन कठिनाई यह है कि गैरसरकारी खान मालिक आन्तरिक उपयोग के लिये ही हमें अयस्क बेच रहे थे । लेकिन क्योंकि हिन्दुस्तान स्टील लि० अपनी खानों का विकास कर रहा है, इसलिये हिन्दुस्तान स्टील लि०

---

†मूल अंग्रेजी में

के लगभग सभी आर्डर उसकी खानों को दिये जा रहे ह । यही कारण है कि कुछ स्टाक अधिक इकट्ठा हो गया है और उसका उठाना तभी सम्भव है जब कि यातायात बढ़े ।

†**श्री प्र० के० देव** : राज्य व्यापार निगम ही केवल अयस्क का निर्यात करता है; और गैर-सरकारी खानें देश के अन्य इस्पात खानों को ही माल देती हैं और सरकार चूंकि अपनी खानों के माल को भेजने में ही अधिक लगी हुई है । ऐसी स्थिति में खानों के पास जो अतिरिक्त माल इकट्ठा हो गया है उसको लाने ले जाने के लिये सरकार क्या करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हालांकि काफ़ी माल इकट्ठा हो गया है किन्तु खानों के काम को ध्यान में रखते हुए यह कोई अधिक नहीं है । यह ठीक है कि यह चिन्ता का विषय है । लेकिन हम इस बारे में सम्बन्धित मंत्रालय तथा हिन्दुस्तान स्टील से बातचीत कर रहे हैं कि वे उड़ीसा की इन खानों से ही माल लें । साथ ही हम यह भी प्रयत्न कर रहे है :कि माल को लाने और ले जाने के लिये काम बढ़ाया जाये । ताकि उनका काम अच्छी तरह चल सके ।

दिल्ली में प्रविधिक व्यक्तियों का अभाव

†*४०६. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली में प्रविधिक व्यक्तियों का भीषण अभाव है; और

(ख,) यदि हां, तो इस अभाव को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है या उठाने का विचार कर रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) कोई विशेष सर्वेक्षण तो नहीं किया गया । किन्तु रोजगार विपणन सूचना केन्द्र तथा रोजगार दफ्तरों के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि अनुभवी प्रविधिक व्यक्तियों की (प्रवीण और अप्रवीण) भारी कमी है ।

(ख) तेज़ी के साथ होने वाले औद्योगीकरण के कारण कोई भी उद्योग ऐसे व्यक्तियों को उधार नहीं दे सकता । उद्योग को प्रवीण व्यक्तियों की भर्ती करनी चाहिये और उन्हें अनुभव पाने का अवसर दिया जाना चाहिये । उसी प्रकार अप्रवीण व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण पाने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : क्या इस बात का कोई सर्वे किया गया है कि किस किस्म के आदमियों की जरूरत है और क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को आपने लिखा है कि उनसे कोई मदद मिल जाय ?

श्री हाथी : शौर्टेज इन इन लोगों की है—व्यावसायिक टेक्नीशियन, रिलेटिड कर्मचारी, प्रशासकीय, कार्यकारी तथा प्रबन्धक कर्मचारी, स्टेनोग्राफर, लेखापाल, क्रेफ्ट्समैन, डाक्टर, नर्स आदि ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ: मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या इस बारे में राज्य सरकारों को लिखा गया है ताकि वहां से कोई मदद मिल जाय ? और यहां की जरूरयात को पूरा किया जा सके ?

श्री हाथी : नहीं जी वह तो दिल्ली प्रदेश की बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रवीण व्यक्तियों तथा प्रबन्धक व्यक्तियों की कमी केवल दिल्ली में ही अथवा सारे देश में ही इनकी कमी है ?

†**श्री हाथी :** प्रबन्धक व्यक्तियों, स्टेनोग्राफर, लेखापाल आदि की सारे देश में ही कमी है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में स्किल्ड और ट्रेंड लोगों की कमी है । क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों की कुल कमी है और उसके लिए क्या खास इंतजाम किया जा रहा है ताकि यह पूरी हो सके?

श्री हाथी : मैंने बतलाया तो कि स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, ऐक्सपीरिएंसड स्किल्ड वर्कर्स की कमी है । एम्प्लायर्स ७–८ साल का एक्सपीरिएंस मांगते हैं । इस तरह के एक्सपीरिएंसड हैंड्स एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नहीं आते हैं लेकिन नये स्किल्ड वर्कर्स......

अध्यक्ष महोदय : वह संख्या पूछ रहे हैं कि कितनी है ? अगर आप को मालूम हो तो बतला दीजिये ।

†**श्री हाथी:** व्यावसायिक प्रविधिकों तथा रिलेटिड कर्मचारियों के २५६० स्थानों के लिये सूचना प्रसारित की गई थी जिसमें से १६०७ स्थानों की पूर्ति हुई । इन व्यक्तियों की १२.२ प्रतिशत की कमी है और क्रेफ्ट्समैन के मामले में ३३.६१ प्रतिशत की कमी है । इसलिये इन दोनों श्रेणियों में ४५.६१ प्रतिशत की कमी है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ:** दिल्ली के आस पास उद्योगों की संख्या बढ़ रही है और वर्तमान उद्योगों का विकास हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय है कि प्रविधिक व्यक्तियों की मांग बढ़ेगी तो इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये क्या किया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** तीसरी योजना के अन्त तक ३१८ औद्योगिक प्रविधिक संस्थाएं खोली जायेंगी और उनमें लगभग १ लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद:** जो कमी बताई गई है वह काफ़ी अधिक है तो दिल्ली में सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये तथा बाद को देश की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री हाथी :** इसके लिये हम प्रशिक्षण संस्थाएं खोल रहे हैं ।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

+

†*४०८. { **श्री बसुमतारी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय कपड़े के आयात में कोई कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का विरोध करने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस प्रकार का प्रस्ताव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये किस प्रकार सहायक होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इंगलिस्तान में आयात किये जाने वाले भारतीय कपड़े के कोटे में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन कुछ देशों से जिनमें भारत भी सम्मिलित है, कपड़े का आयात करने के लिये बातचीत की जा रही है ताकि आयात स्थिर हो सके । इस बारे में सरकार ने अपने विचार वहां की सरकार को बता दिये हैं ।

†**श्री बसुमतारी**: बताया गया है कि कुछ बातचीत चल रही है । ये बातचीत किस से चल रही है तथा उनका क्या परिणाम रहा ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सवाल इंगलिस्तान के बारे में है और उसी से बातचीत चल रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इंगलैंड के कपड़ा उत्पादकों ने भारत से कपड़ा मंगाने के बारे में विरोध किया है और इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था । क्या यही कारण है कि इसी के कारण वहां अवरोध उत्पन्न हो गया है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है । लेकिन दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया है कि १९५० लाख गज़ कपड़े का आयात इंगलैंड करेगा इसमें ११० लाख गज़ हथकरघा कपड़ा सम्मिलित नहीं है । ऐसी आशा है कि यह प्रबन्ध १९६५ तक तो चलेगा ही और उसके बाद फिर से विचार किया जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद**: क्या यह सच है कि ब्रिटेन द्वारा साझा बाज़ार में सम्मिलित हो जाने से हमें काफ़ी हानि होगी; यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि इस हानि होने से पूर्व ही हमारा माल वहां पहुंच जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह ठीक है कि देश के बाहर के माल पर ३० प्रतिशत का शुल्क लग जाने से जिसकी घोषणा अभी ब्रसेल्स में हुई थी, हमारी स्थिति बड़ी कठिन हो जायेगी । इसीलिये हम न केवल साझा बाज़ार से ही बातचीत कर रहे हैं बल्कि यूरोप के सभी बड़े देशों से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि हम आगे काफ़ी समय तक भारी हानि से बच सकें ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि भारतीय मिलों का कपड़ा यहां स्पेयर पड़ा हुआ है और फिर भी हम कपड़ा बाहर से मंगाते है ?

श्री मनुभाईशाह : कपड़ा बाहर से बिल्कुल नहीं मंगाते । मिलों का कपड़ा भी स्पेयर नहीं पड़ा है क्योंकि उसकी देश में और बाहर काफी मांग है । बाहर से तो कोई कपड़ा नहीं मंगाया जाता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय

+

†*४१०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **बिना विभाग के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों के बीच अधिक अच्छा समन्वय करने और कुशल कार्य प्रणाली लागू करने के लिये सरकार ने कोई विशेष संगठन स्थापित किया है या वर्तमान संगठनों में कोई सुधार किया है; और

(ख) उस प्रयोजन के लिये कौन सी प्रणाली थी और अब क्या सुधार किये गये हैं ?

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) केबीनेट सचिवालय में एक विशेष आर्थिक समन्वय विभाग की स्थापना की गई है । यह विभाग इन मामलों का आर्थिक समन्वय करे जो समय समय पर प्रधान मंत्री उसको भेजेंगे ।

(ख) यह संगठन सरकार के उन विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगा जो आर्थिक ममलों का कार्य करते हैं । आजकल यह संगठन आंकड़े एकत्रित करने में लगा हुआ है । इसके काम को देखते हुए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसे अपने काम में कुछ सफलता मिली है और न कुछ कहना ही अभी ठीक होगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रधान मंत्री द्वारा सौंपे गये काम के अतिरिक्त यह और काम नहीं ले सकता । यदि हां तो इस विभाग को किस प्रकार के काम अथवा कठिनाइयां सौंपी गई हैं और क्या वह मंत्री महोदय तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये काफी काम है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस, प्रश्न का यही तो विशेष उद्देश्य है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी मंत्री के पास काफ़ी राय है या नहीं, यह देखना प्रधान मंत्री का काम नहीं है । इसकी चर्चा यहां नहीं होगी । सभा में यह निश्चित नहीं होना है कि किस मंत्री को कितना काम देना है अथवा कितना नहीं देना है । यह तो प्रधान मंत्री का काम है । वह किसी मंत्री को काम देते हैं या कुछ कम काम देते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: सवाल यह है कि क्या मंत्री के पास पूरा काम है, या कम काम है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी चर्चा यहां नहीं होगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह प्रश्न प्रधान मंत्री को सम्बोधित किया गया था । बाद में यह प्रश्न बिना विभाग के मंत्री से पूछा गया । जब कोई नया विभाग अथवा मंत्रालय खोला जाता है तो संसद से भी पूछा जाता है और आजकल उस विभाग के पास कितना काम है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: यदि उसके बारे में कोई प्रकाशित प्रतिवेदन नहीं है तो वह यह पूछ सकते हैं कि इस विभाग को क्या काम दिया गया है । मैं इस प्रश्न का विरोध करता हूं कि उनके पास काफ़ी काम है अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** मेरा प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री जो काम देते हैं क्या उसके अतिरिक्त वे और भी काम ले सकते हैं अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर दिया जा सकता है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** और कोई काम लेने में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । प्रधान मंत्री जो काम देते हैं प्रश वे विवध प्रकार के हैं जैसे विद्युत, रेलवे परिवहन, कोयला उत्पादन और उसका आवागमन आदि । यह विभाग जो काम देखना चाहता है उसे इससे कोई नहीं रोक सकता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इसका अभिप्राय यह हुआ कि पूर्ण समन्वय का उत्तरदायित्व प्रधान मंत्री पर है । और इस विभाग के सभी प्रतिवेदन प्रधान मंत्री को दिये जायेंगे । अथवा क्या वे किसी और संगठन को दिये जायेंगे अथवा सम्बन्धित मंत्री को दिये जायेंगे ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** प्रधान मंत्री ही वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समन्वय कर सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह यह अधिकार दें, ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि वह प्रधान मंत्री को अपना प्रतिवेदन दें और मंत्रिमंडल को दें और यदि यह नहीं हुआ तो वह अपने मैत्रीभाव के आधार पर अन्य मंत्रियों को इसके लिये तैयार कर सकता है और वह उन्हें इसके लिये तैयार कर भी सकता है ऐसी स्थिति में उसे प्रतिवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रधान मंत्री अथवा मंत्रिमंडल चाहे तो वह प्रतिवेदन देने के लिये कह सकता है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ:** क्या इस विभाग की स्थापना सरकार के दूसरे विभाग की आर्थिक कार्यवाहियों के समन्वय, उन पर प्रतिबंध अथवा नियंत्रण का सूचक है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** विचार तो यही है । सरकार की आर्थिक कार्यवाहियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना ही इसका उद्देश्य है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो का ध्यान खाद्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि खाद्य मंत्रालय को-आरडिनेशन स्कीम के मातहत नहीं आता । क्या खाद्य मंत्रालय इस स्कीम के मातहत आता है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सवाल है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं यह कहने वाला था कि मैंने यह बयान देखा नहीं है । लेकिन कोआरडिनेशन स्कीम में तो सारी गवर्नमेंट ही आ जाती है । लेकिन जो खास तौर से लिख कर दिया गया था उसमें कुछ खास चीजों का जिक्र था जैसा कि अभी बतलाया गया है । मैं उन चीजों को याद से तो नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ट्रांस्पोर्ट, पावर, फ्यूअल, कोल वगैरह की तरफ खास तवज्जह देने के लिए लिखा गया था । लेकिन आम तौर से यह ठीक है कि सब इस काम में मदद करें ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या समायोजन के लिये नियम बना लिये गये हैं, तथा मंत्री को काम करने के लिये कोई कार्यालय दिया गया है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** प्रक्रिया नियम मौजूद हैं । समन्वय विभाग के काम करने के निश्चित नियम हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या राजधानी में विद्युत संभरण के बारे में जो धांधली चल रही है वह क्या इस बात का जागृत प्रमाण नहीं है इस संबंध में अच्छा समन्वय और कार्यकुशलता बरती जा रही है या यह उसके अभाव का द्योतक है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस प्रश्न का इससे संबंध है वस्तुतः सरकारी विभागों में पारस्परिक समायोजन है ही नहीं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी**: क्या मंत्री जी के लिये कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिये भी व्यवस्था की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बात का ध्यान नहीं रखते कि सभा में क्या हो रहा है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ? अगला प्रश्न ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के निर्यात

†*४११. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात में ५० परसैंट कटौती का लघु उद्योगों पर कोई असर पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग त्रालय में उद्योग मंत्री(श्री कानूनगो)**: (क)और (ख). छोटे पैमाने के उद्योगों पर आयात में की गई ५० प्रतिशत कटौती का क्या प्रभाव होगा यह अभी नहीं जाना जा सकता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: क्या यह सच है कि आयात की कटौती के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों का उत्पादन कम हो गया है, तथा इससे बेरोजगारी बढ़ रही है ?

†**श्री कानूनगो** : इसका अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । संसाधन उपलब्ध होने पर कटौती समाप्त कर दी जायेगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा**: क्या सरकार को ज्ञात है कि आयात की कटौती के कारण छोटे पैमाने के उद्योगों का उत्पादन कम हो जायेगा तथा छोटे पैमाने के उद्योगपतियों को घाटा उठाना होगा तथा इसे पूरा करने के लिये व चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगोः** यह स्पष्ट है कि कच्चे माल के आयात की कटौती से दिक्कतें पैदा होंगी । तथापि इस संसाधनों के उपलब्ध होते ही हम इस कटौती में कमी कर रहे हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्तः** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में क्या मंत्रालय को इस आशय का अभ्यावेदन दिया गया है कि कुछ छोटे पैमाने के उद्योगों को मशीनें तथा अन्य वस्तुएं खरीदने के लिये थोड़ा सी भी विदेशी मुद्रा नहीं दी जा रही है ।

†**श्री कानूनगोः** हम यथासंभव छोट पैमाने के उद्योगों के लिये मशीनों की व्यवस्था करेंगे तथापि संसाधनों के उपलब्ध होने तक कठिनाई रहेगी ?

श्री म० ला० द्विवेदीः क्या इम्पोर्ट में इस कट की वजह से, छोटी इंडस्ट्रीज़ में जो स्टाफ़ और काम करने वाले लगे हुए हैं, उनमें से बहुत से बरोज़गार हो जायेंगे ? यदि हां, तो क्या मिनिस्टर साहब ने इस बात का अनुमान लगाया है कि कितने लोग बेकार होंगे ?

श्री कानूनगो : इसका हिसाब नहीं है ।

†**श्री ब० कु० दास :** क्या यह कटौती केवल मशीनों के संबंध में की गयी है या सभी वस्तुओं के ?

†**श्री कानूनगो :** सभी वस्तुओं के संबंध में की गयी है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आयात करने को कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी ? क्या उन्हें प्रोत्साहन देने की नीति को ध्यान में रखते हुए छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** हमने यथासंभव मांग पूरी करने की कोशिश की है । विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बीच आयात का अनुपात निकालना बहुत कठिन होगा ।

चाय पर कर

†*४१३. { **श्रीमती ज्योत्सना :**
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम टी प्लान्टर्स असोसियेशन के अध्यक्ष ने असोसियेशन की रजत जयन्ती के अवसर पर सरकार से यह आग्रह किया था कि वह चाय उद्योग पर करों के बाहुल्य के प्रभाव की छानबीन करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार का क्या निश्चय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यपार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). सरकार को समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार देखने को मिला है । सरकार समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती । यह सारी बातें बजट प्रस्तुत करते समय देख ली जाती हैं ।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या सरकार को कचार जिले में चाय उद्योग की कठिनाइयों का पता है । क्या सामान्य चाय पैदा करने वालों का एक वर्ग इस निर्यात प्रोत्साहन रियायत से लाभ नहीं उठा सका है । क्या सरकार चाय उद्योग के इस वर्ग को लाभ देने के लिये उचित व्यवस्था कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : कचार जिले में चाय उद्योग को कई बार राहतें मिल चुकी हैं। पिछले बजट और वित्त विधेयक में उन्हें काफी राहत मिल चुकी हैं। उन्हें पर्याप्त समझा गया है।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : तथापि इस रियायत से भी सामान्य चाय के उत्पादकों को कोई लाभ नहीं हुआ है।

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने यह अग्रेतर रियायत केवल सामान्य चाय के लिये ही की है।

प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन

+

†*४१४. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री अ० वं० राघवन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन का समन्वय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ; और

(ख) उद्योग के निर्माण सम्बन्धी अंग का विकास करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) देश में प्राकृतिक और कृत्रिम रबर के उत्पादन की योजनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त समन्वय किया गया है।

(ख) इस उद्योग तथा इस से सम्बन्धित पहलुओं के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हमारे देश में प्राकृतिक रबर का वर्तमान उत्पादन २७,००० मीट्रिक टन है। रबर का सामान बनाने वाले उद्योगों द्वारा सभी प्रकार के रबड़ की खपत बताने वाला एक विवरण इस प्रकार है :—

संख्यायें मीट्रिक टन में

वर्ष	खपत				उत्पादन	
	प्राकृतिक रबर	कृत्रिम रबर	पुनरावर्तित रबर	योग	प्राकृतिक रबर का उत्पादन	कमी
१९५४	२५८९५	१९	२२६६	२८१८०	२१८३७	६३४३
१९५५	२७९८४	१०७	२५४२	३०६३३	२२८४१	७७९२
१९५६	२९४६०	२४४७	३३१३	३५२२०	२३८१८	११४१०
१९५७	३२२७३	३०८०	३८९८	३९२५१	२४७१७	१५१०४
१९५८	३५३१२	३३०४	४११६	४२७३२	२३७७२	१८०१५
१९५९	३९२८२	४४१०	४५२६	४८२१८	२५१९२	२४४४६
१९६०	४५९४१	६५६१	५३२८	५७८३०	२५१९२	३२६३८
१९६१	४८३१९	९६००	५९२९	६३८४८	२६९९२	३६८५६

†मूल अंग्रेजी में

यह ज्ञात होगा कि रबर की माँग और संभरण के बीच काफी अंतर होता जा रहा है। टायर और रबर निर्माण उद्योग में वृद्धि होने पर इस अन्तर में और भी वृद्धि होगी। अनुमान है कि १९६५-६६ तक सभी प्रकार के रबर की माँग बढ़ कर १४०००० टन तक बढ़ जायेगी। जबकि १९६५-६६ तक सभी प्रकार के रबर की उपलब्धि, जिस में कच्चा रबर, बरेली कारखाने में उत्पादित कृत्रिम रबर और पुनरावर्तित रबर भी शामिल है। अधिकाधिक ९०००० टन है। इसी कारण कृत्रिम रबर की अतिरिक्त क्षमता के लिये लायसेंस दिये जा रहे हैं। कृत्रिम रबर का एक कारखाना जिस में एस० बी० आर टायप का रबर बनेगा, तथा जिसे ३०००० टन की क्षमता का लायसेंस दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बरेली नामक स्थान में स्थापित किया जा रहा है। सामान्य प्रयोजन के लिये काम आने वाले कृत्रिम रबर के एक दो अन्य कारखानों को भी लायसेंस दिया जा रहा है।

†**श्री मे० क० कुमारन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटे पमाने के रबर उत्पादन कर्ताओं को अभी भी नियंत्रित कीमत नहीं मिल रही है, तथा कृत्रिम रबर के बागान में और अधिक संख्या में आ जाने से कीमतों के अधिक गिरने की संभावना है, क्या सरकार उन्हें नियंत्रित कीमतें दिलाने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विवरण से ज्ञात होता है कि आँतरिक माँग व संभरण में अभी भी बहुत अंतर है तथा भविष्य में यह अन्तर इतना बढ़ जायेगा कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भविष्य में नियंत्रित कीमतों की और कमी होगी। अपितु कठिनाई यह है कि प्राकृतिक और आयातित रबर की कीमतों पर कैसे रोक लगाई जाये।

†**श्री मे० क० कुमारन** : दूसरी योजना में ट्रावनकोर रबर वर्क्स के विकास और आधुनिकीकरण की एक योजना शामिल की गई थी। लेकिन कुछ नहीं किया गया। क्या इस सम्बन्ध में तीसरी योजना में व्यवस्था की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने रबर, कहवा और चाय के छोटे पैमाने के उगाने वालों को ऋण संबंधी सुविधायें दी हैं, यह अनुदेश जारी किये गये हैं कि इन के प्रति और अधिक सहानुभूति बरती जाये। अतः यह कहना गलत है कि उन्हें कम सुविधायें दी गई हैं।

†**श्री मे० क० कुमारन** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में त्रावन्कोर रबर वर्क्स के विकास और उसके आधुनिकीकरण की कोई योजना शामिल की गई है।

†**श्री मनुभाई शाह** : दूसरी योजना में रबर संबंधी योजनाओं को और अधिक बढ़ाया गया है तथा उसे तिगुनी राशि दी गई है। तीसरी योजना में भी ऋण, रियायत, ब्याज तथा ऋण सहायता संबंधी कई सुविधायें दी गई हैं।

†**श्री मे० क० कुमारन** : मेरा प्रश्न रबर के सामान के निर्माण के संबंध में था।

†**श्री मनुभाई शाह** : रबर के सामान के उद्योग का उत्पादन पिछले ६ वर्षों में ५ करोड़ से बढ़ कर १३० करोड़ हो गया है। खपत १९५४ में २८००० टन थी जो बढ़ कर ९५००० टन हो गई।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सरकार माँग और खपत के वर्तमान अंतर को दूर करने के लिये जोकि ३६००० मीट्रिक टन है, बरेली के कारखाने के अलावा और क्या करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : उतम प्रकार के कृत्रिम रबर के उत्पादन की कुछ अन्य परियोजनायें विचाराधीन हैं ।

महलोनोवीस समिति

†*४१५. श्री मुरारका :
श्री का० ना० तिवारी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री नाथ पाई :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री उमानाथ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पत्ति संकेन्द्रण सम्बन्धी महलोनोवीस समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस की मुख्य उपपत्तियाँ क्या हैं ; और

(ग) क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही इस ओर निश्चय किया जा सकेगा ।

†**श्री मुरारका :** क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित उस संवाद की ओर आकर्षित हुआ है जिस में प्रतिवेदन का एक अंश उद्धृत किया गया था और कहा गया था कि प्रतिवेदन सरकार को एक दो दिन में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** कदाचित माननीय सदस्य प्रतिवेदन का जिक्र कर रहे हैं । यह सच है कि कई सारिणियों का एक मसविदे पर, जिस पर सरकार को बहुत गौर करने की आवश्यकता थी, समिति के ६ सत्रों में विचार किया गया । कुछ अस्थायी निश्चय किये गये तथा उन की जाँच की गई । इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री मुरारका :** समिति को इतना अधिक समय क्यों लग रहा है । वह अपनी बैठकें स्थगित क्यों करती जा रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** कुछ विशेषज्ञों को समिति में बुलाया जाता है उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता है । समिति का कार्य समाप्त हो गया है । प्रतिवेदन में कई महत्वपूर्ण परिशिष्ट और आँकड़े शामिल किये जायेंगे । उन के संग्रह किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : जब यह काम इतना जरूरी है, तो सरकार द्वारा नियुक्त इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने में इतनी देर लगाने की क्या जरूरत है ? आज स्थिति यह है कि एक जगह धन इकट्ठा हो रहा है और दूसरी जगह गरीबी बढ़ रही है । इस समस्या की इम्पार्टेन्स को देखते हुए सरकार इस बारे में जल्दी क्यों नहीं करती है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्**: विभिन्न आँकड़ों का समिति द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। एक मसविदे पर ६ बैठकों में विचार किया गया ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह अफवाह सच है कि समिति के सदस्यों में गम्भीर मतभेद है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : हमें ऐसी किसी अफवाह का पता नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस संवाद की ओर आकर्षित हुआ है कि उन्होंने साउथ एवेन्यू क्लब में संसद् सदस्यों के समक्ष भाषण देते हुए यह कहा है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में कई त्रुटियां हैं, उसके द्वारा पूंजी का कई स्थानों में केन्द्रीकरण हो रहा है । क्या सरकार इसे देखते हुए समिति से इस महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल प्रतिवेदन मांगेगी ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मुझे विश्वास है कि प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा । प्रो० महालनोबिस को एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी राय व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या विकासशील अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए इस बात का प्रयत्न किया गया है कि किसी विशेष वर्ग में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण न हो जैसे . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री का० ना० तिवारी** : क्या इस प्रतिवेदन का एक अंश समाचारपत्रों में प्रकाशि हो चुका है, तथा ६९ प्रतिशत व्यक्तियों की आय १९ रु० प्रति माह से भी कम है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है । यह किसी व्यक्ति की सुन्दर कल्पना ही हो सकती है ।

श्री यशपाल सिंह : इस कमेटी की रिपोर्ट को प्रेक्टिकल शेप देने के लिए क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि शहरी जायदादों का भी सीलिंग किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट तो आने दीजिये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सम्पत्ति वितरण की व्यवस्था तेजी से बदल रही है और जब तक प्रतिवेदन मिलेगा तब तक वह निरर्थक हो जायेगा ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकार तीसरी योजना में सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये क्या अग्रेतर प्रयत्न कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं तथा सम्पत्ति के केन्द्रीकरण के सम्बन्ध में अन्य प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बत में निरुद्ध भारतीय व्यापारी

+

१६. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत में भारतीय व्यापारी चीनी प्राधिकारियों द्वारा रोक लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) उन के निरोध के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उन के प्रत्यावर्तन के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). केवल एक भारतीय व्यापारी को चीनी अधिकारियों द्वारा बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गयी । अदब वह भारत लौट आया है ।

(ग) उसे इस आधार पर भारत जाने की अनुमति नहीं दी गयी कि उसके विरुद्ध एक भूटानी राष्ट्रिक की शिकायत की जांच की जा रही थी ।

(घ) सरकार ने ल्हासा स्थिति वाणिज्यिक दूत के द्वारा चीनी अधिकारियों को कड़ा विरोध पत्र भेजा जिसके फलस्वरूप उसे भेज दिया गया ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि तिब्बत में हमारे बहुत से व्यापारियों की, भारतीय मुद्रा के अवैध ठहरा देने और तिब्बत में भारतीय व्यापारियों की आस्तियों को जब्त कर लेने के कारण, स्थिति बहुत खराब हो गयी है, यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत आने पर उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उनके पुनर्वास का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मैं नहीं जानता कि उनकी कितनी हानि हुई है तथापि पहिसू तिब्बत द्वारा व्यापार में काफी लाभ होता था ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का अभिप्राय यह था कि भारतीय मुद्रा के अवैध करार दिये जाने तथा उनकी सम्पत्ति जब्त कर लिये जाने के कारण वे अपनी अर्जित सम्पत्ति भारत नहीं ला सके ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका दायित्व हम पर नहीं है । व्यापारी स्वेच्छा से वहां गये थे । वे वहां केवल मुनाफा कमाने की गरज से गये थे । उन्होंने घाटा उठाने का भी खतरा मोल लिया । निस्संदेह चीनियों ने उन पर अत्याचार किया तथापि इसका भारत सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : चीन सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण जिनसे उन्हें अपना लगभग सभी खोना पड़ा है, जब कि भारत में चीनी व्यापारियों को पूरी सुविधायें प्राप्त हैं यदि हां तो क्या भारत सरकार की यह नीति है कि भारत हर क्षेत्र में चीन की दुलत्तियां सहे ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझ सका कि सदस्य किस प्रकार के व्यापारियों की बातें कह रहे हैं । सम्भव है यहां चीनियों की कुछ दुकानें हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कलकत्ता, शिलांग और कालिम्पोंग में सैकड़ों चीनियों की दुकानें हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन में से कई को बाहर निकाल दिया गया है तथा उनके व्यापार में भी हस्तक्षेप किया गया है । सम्भव है कलकत्ता में चीनियों की कुछ दुकानें हों । कभी कभी चीनियों के दो विरोधी गुटों में दंगा हो जाता है ।

†**श्री प्र० के० देव** : कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उनकी आस्तियों का भारत में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है । इन बातों में क्या प्रगति हुई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस बात का तत्काल उत्तर नहीं दे सकता हूं । तथापि इस ओर प्रयत्न किया जा रहा ह ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि शिलांग कालिम्पोंग और कलकत्ता में चीनी लांडरी, डाइंग और कपड़ा धुलाई तथा जूते की दुकानों में बहुत वृद्धि हुई है तथा उनके विरुद्ध शिकायतें हैं कि वे जासूसी कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सम्भव है । तथापि मैं नहीं कह सकता कि लांडरी तथा कपड़े धोने की दुकानों में क्यों वृद्धि हुई है । तथापि भारतीय व्यापारियों के माल लाने में एक कठिनाई यह है कि परिवहन की लागत बहुत अधिक हो जाती है और वे उस माल को भारत लाना उचित नहीं समझते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा कि चीन सरकार से बातचीत चल रही है कि हमारे व्यापारियों का जो रुपया पैसा या सामान वहां पड़ा हुआ है, उसको वापिस लाने दिया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई अंदाजा लगाया गया है कि कितना रुपया कर्ज़ या एडवांसेज़ के रूप में वहां पड़ा हुआ है और कितने का सामान आदि रुका पड़ा है ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसा अभी पूरा विवरण हम को वहां के व्यापारियों से नहीं मिला है जिससे कि इसका पता लगे ।

फिल्म सेंसर सम्बन्धी नियम

*४१७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म सेन्सर सम्बन्धी नियमों में ढील करने का जो सुझाव विचाराधीन था उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : यह विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे मालूम है बम्बई के कुछ फिल्म निर्माताओं ने माननीय मंत्री महोदय के सामने इस तरह का सुझाव रखा था । मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से नियम इतने कठोर हैं जिन को सरल या उदार बनाने का उन्होंने सुझाव दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाम नाथ : पिछली बार जब यह सवाल जून के महीने में पूछा गया था तो मैं ने कहा था कि एक डिनर पार्टी हुई थी जो इम्पा, एक एसोसिएशन फिल्म प्रोड्यूशर्ज की है उन्होंने दी थी। वहां एक सजैशन यह पेश किया गया था कि चूंकि एक्सपोर्ट के लिए फिल्में जाने में कुछ दिक्कत होती है, इसलिए जो सैंसरशिप के स्टेंडर्ड हैं उन में, एक्सपोर्ट के लिए जो फिल्में होती हैं, कुछ कमी कर दी जाये। सिर्फ यह बात थी और कोई खास कानून या कोई खास ऐसी चीज नहीं थी जिस की तरफ उन्होंने तवज्जह दिलाई थी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि इस समय जो फिल्म सैंसरशिप सम्बन्धी नियम हैं वे काफी ढीले ढाले हैं और जो हैं भी उन पर भी पूरी तरह से अमल नहीं किया जाता है अर्थात् उनका कड़ाई के साथ पालन नहीं किया जाता है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उन पर पूरी कड़ाई से अमल करने का क्या प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री शाम नाथ : जो भी उसूल या जो भी रूल सैंसरशिप बोर्ड के लिए बनाये गये हैं, उन पर पूरे तरीके से अमल हो रहा है।

डा० गोविन्द दास : जहां तक इन नियमों का सम्बन्ध है क्या गवर्नमेंट इनको ढीले करने पर ही विचार कर रही है या सैंसरशिप के सारे नियमों पर विचार किया जा रहा है जिससे कि जो अनैतिक फिल्में यहां पर बनाई जाती हैं, उन पर भी कुछ प्रतिबन्ध हो सकें और हमारे यहां नैतिकता कुछ सुधारी जा सके ?

श्री शाम नाथ : जनाब, सवाल सिर्फ यह है कि जो फिल्में बाहरजाती हैं, उनके लिए अगर कोई ढील हो सके तो वह ढील दी जाये या नहीं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री डा० केसकर ने पिछले वर्ष इस विभाग के अनुदानों की चर्चा करते हुए यह कहा था कि आचार्य विनोबा भावे और भारत के समाचार पत्रों ने इस प्रकार की शिकायत की है कि फिल्म सेन्सर बोर्ड के नियम ढीले होने के कारण देश का नैतिक स्तर गिर रहा है, इसलिये वे उस में कड़ाई करने का यत्न करेंगे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विभाग ने कुछ कार्रवाई की ? यदि की, तो वह क्या है ?

श्री शामनाथ : इस के लिये मुझे नोटिस की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल बिल्कुल दूसरा है।

†**श्री वेंकटा सुब्बया :** क्या विदेशों से आयात किये जाने वाले फिल्मों के मामले में यही नियम नहीं अपनाये जाते हैं ? क्या इस का देशी फिल्मों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री शाम नाथ :** विदेशों को जाने वाली फिल्मों के विवाचन करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिल्म का निर्यात होने पर निर्माता के लिये केवल इतना ही प्रमाणपत्र देना काफी होता है कि उस में कुछ आपत्तिजनक नहीं है।

†**श्री हेडा :** क्या फिल्म विवाचन बोर्ड ने भारतीय तथा विदेशी फिल्मों में जो बातें काटी गई हैं उन का विज्ञापन करने या उन पर बयान देने की परम्परा आरम्भ की है यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** : क्या 'ए' (केवल वयस्कों के लिये) और 'यू' (सर्वसाधारण के लिये) प्रमाणपत्र बन्द किये जाने का विचार है । क्योंकि यह असन्तोष का मुख्य कारण है क्योंकि केवल वयस्कों वाली फिल्में सर्वसाधारण का ध्यान अधिक आकर्षित करती हैं ।

†**श्री शाम नाथ** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय मुद्रणालय कलकत्ता का विकेन्द्रीकरण

+

†*४१८. { **श्री प्र० के० देव** :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब कलकत्ता स्थित केन्द्रीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री विभाग का भी विकेन्द्रीकरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वैकल्पिक प्रबन्ध क्या है ; और

(ग) इस विकेन्द्रीकरण के कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) से (ग) कलकत्ता स्थित केन्द्रीय मुद्रणालय के विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । चूंकि इस इमारत के कुछ विभाग अब सुरक्षित नहीं समझ जाते हैं, मुद्रणालय का एक भाग सन्तरगाची में एक नये स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है । वहां कुछ और इमारत बनाने का विचार है जहां मुद्रणालय का शेष भाग भेज दिया जाये ।

जहां तक लेखन-सामग्री विभाग का सम्बन्ध है, लगभग चार वर्ष पूर्व देहली में एक क्षेत्रीय डिपो प्रयोगात्मक रूप में खोला गया था । चूंकि इस डिपों का काम सफल रहा है, अब बम्बई और मद्रास में व्यादेशकों के अच्छी और तेज़ सेवा देने के लिय दो और क्षेत्रीय आगार खोलने की प्रस्थापना है ।

†**श्री प्र० क० देव** : चूंकि मुद्रणालय का काम बढ़ रहा है, तो क्या अधिक केन्द्रीय मुद्रणालय खोलने और उन्हें एक क्षेत्र में इकट्ठे करने की बजाय देश के विभिन्न स्थानों पर खोलने की प्रस्थापना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : यह प्रश्न में से तो नहीं उठता, परन्तु मैं जानकारी देने के लिये तैयार हूं कि कोइम्बटोर में एक मुद्रणालय बनाया जा रहा है ; कोराटी पर एक मुद्रणालय की योजना निकट भविष्य में मन्जूर कर रहे हैं ; एक नजफ़गढ़ के नज़दीक मुद्रणालय खोला जायगा । हम विदेशी मुद्रा की उपलब्धि का ध्यान रखते हुए यथासम्भव मुद्रणालयों को बढ़ा रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : संसद् के पहले अध्यक्ष श्री मावलंकर के समय में संसद् के लिये एक अलग मुद्रणालय की जो परियोजना थी उस के कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह प्रश्न नहीं उठता ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : सरकार को प्रबंध करना है । यह प्रस्थापना आप के पूर्वाधिकारी के समय में बनाई गई थी । सरकार को मुद्रणालय स्थापित करना है, आप को नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या हम अपने संसदीय पत्र कलकत्ता में इस मुद्रणालय में प्रकाशित करवाते हैं ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : नहीं । संसदीय पत्रों के प्रकाशन के विकेन्द्रीकरण का कोई प्रश्न नहीं है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य प्रश्न पर, उन्होंने कलकत्ता के बारे में ही नहीं कहा है, परन्तु मुद्रणालयों के बारे में सामान्य रूप से कहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में केन्द्रीय मुद्रणालय और लेखन सामग्री विभाग जो कलकत्ता में हैं उनके विकेन्द्रीकरण की प्रस्थापना थी ।

†श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने सम्पूर्ण भारत में—कोयम्बटूर आदि स्थानों पर—सरकारी मुद्रणालयों के बारे में प्रश्न का उत्तर दिया, तो संसद् के लिए क्यों नहीं ?

†अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने गलती की है तो मैं और प्रश्न नहीं करने दूंगा ।

†श्री हरि विष्णु कामत : यदि गलती हो, तो ठीक है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा कि यदि उन्हों ने गलती की है । मैं ने यह नहीं कहा कि उन्होंने गलती की है ।

अफरीकी एशियाई सम्मेलन

+

*†४१९. { श्री बी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हेम बरुआ :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रवीन्द्र वर्मा : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इंडोनेशिया की प्रेरणा पर शीघ्र ही आयोजित किये जाने वाले प्रस्तावित दूसरे अफरीकी-एशियाई सम्मेलन (बांडुंग) में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन के समय एवं स्थान के सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है ; और

(ग) भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). अफ्रीकी-एशियाई देशों, जिन्हों ने दूसरे बांडुंग सम्मेलन के विचार की प्रस्थावना की, ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है । इन्डोनेशिया ने प्रस्तावना की है कि इस मामले पर विचार करने के लिये इस वर्ष बाद में एक प्रारम्भिक बैठक बुलाई जाय । यदि यह बैठक हुई और हमें आमंत्रण आया तो हम बैठक में उपस्थित होंगे ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री को उन देशों के नाम पता हैं जो इस बैठक के लिये आमंत्रित किये जायेंगे । यदि हां, तो क्या नाम दिये जा सकते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं सरकार का ध्यान काहिरा में इन्डोनेशिया के राजदूत द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिला सकता हूं, जिस में कहा गया है कि प्रारम्भिक समिति इस वर्ष के अन्त तक बैठक करेगी ? आगे कहा गया कि दूसरा बांडुंग सम्मेलन नई और कठिन समस्याओं, जो पहले सम्मेलन के समय नहीं थीं, की ओर ध्यान देगा । यदि ऐसा है तो, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत और चीन का झगड़ा नई और कठिन समस्याओं में आयेगा और क्या इस सम्मेलन में उस पर चर्चा होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मुझे नहीं पता कि कौन सी समस्यायें काहिरा में इन्डोनेशिया के राजदूत के विचार में थीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने कहे गए शब्द बताये हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं जो राजदूत के मन में है उस के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे सकता । हम बांडुंग सम्मेलन के सम्बन्ध में चिन्तित नहीं हैं । यदि प्रारम्भिक बैठक इस बात पर विचार करने के लिये कि सम्मेलन होना चाहिय या नहीं हुई तो हम एक प्रतिनिधि भेज देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ४२०, श्री रघुनाथ सिंह । वह अनुपस्थित हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : सब सदस्य अनुपस्थित हैं ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : यह प्रश्न जो श्री रघुनाथ सिंह, और श्री विद्यालंकार और अन्य सदस्यों के नाम में है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**एक माननीय सदस्य** : जिन सदस्यों ने यह प्रश्न किया है व सब अनुपस्थित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

ऋण प्रत्याभूति योजना

†*४२१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वाणिज्यिक बैंकों ने भारत के रक्षित बैंक द्वारा राज्य बैंक के सहयोग से वर्ष १९६० में आरम्भ की गयी ऋण प्रत्याभूति योजना से लाभ उठाना लाभप्रद नहीं समझा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब भी योजना को चालू रखने पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योगमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). ऋण प्रत्याभूति योजना भारत के रक्षित बैंक ने राज्य बैंक के सहयोग से नहीं आरम्भ किया है, परन्तु भारत सरकार ने किया है। यह तजुर्बे के तौर पर पिछले दो साल से चल रहा है। इन सुविधाओं से लाभ उठाने वाली ऋण देने वाली संस्थाओं की संख्या में आहिस्ता आहिस्ता वृद्धि हुई है। इस योजना के अन्तर्गत २६ ऋण देने वाली संस्थाओं, जिन में ९ वाणिज्यिक बैंक हैं (रक्षित बैंक और उस के अन्त र्गत बकों के बिना) ने लाभ उठाया है। बहुत से बैंकों, जिन्होंने लाभ नहीं उठाया है, ने स्थायी रूप में इसे चालू रखने की इच्छा प्रकट की है।

श्री प्र० के० देव : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ने प्रस्तुत किया . . .

†**श्री योगेन्द्र झा** : औचित्य प्रश्न पर। प्रश्न संख्या ४२० का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा नाम उस पर जोड़ा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास उसका नाम नहीं है। वे किसी समय बाद में इस मामले को उठाएं। मुझे बताया गया था कि सब सदस्य अनुपस्थित हैं।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या रिजर्व बैंक ने इस ऋण प्रत्याभूति योजना, जो कि दो वर्ष से प्रयोगात्मक रूप से चल रही है, के काम पर अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। क्या मैं रिजर्व बैंक की इस सम्बन्ध में जांच के बारे में जान सकता हूं ?

†**श्री कानूनगो** : प्रतिवेदन के अनुसार योजना का काम सन्तोषजनक रूप से चल रहा है।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इस योजना को अन्य क्षेत्रों और उद्योगों पर स्थायी रूप से लागू करने का विचार है ?

†**श्री कानूनगो** : यह विचाराधीन है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि राज्य बैंक ने इस योजना से कुछ लाभ उठाया है और क्या अन्य अनुसूचित बैंकों ने लाभ नहीं उठाया है।

†**श्री कानूनगो** : मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि ९ वाणिज्यिक बैंक योजना से लाभ उठा रहे हैं और अन्य बैंकों ने दिलचस्पी ली है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री योगेन्द्र झा प्रश्न संख्या ४२० पूछ सकते हैं। सब ने कहा कि जिन सदस्यों ने सूचना दी उनसे कोई भी उपस्थित नहीं था। उस समय वे खड़े नहीं हुए।

भारत में नेपाली विद्रोही

+

*†४२०. { **श्री योगेन्द्र झा** : **श्री रघुनाथ सिंह** **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : **श्री नाथ पाई** : }

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि वह भारत से नेपाली विद्रोहियों को निकाल दें ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : नेपाल सरकार ने सरकारी या गैर सरकारी तौर पर भारत सरकार से यह नहीं कहा है कि तथाकथित नेपाली विद्रोहियों को भारत से निकाल दिया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजनैतिक पीड़ितों का पुनर्वास

†*४०७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में काफी संख्या में विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों और स्वातन्त्र्य सेनानियों ने जमीन खरीदने और मकान बनाने के लिये पुनर्वास अनुदान मांगे हैं ;

(ख) क्या इस काम के लिये सरकार ने कोई रकम मंजूर की है ;

(ग) यदि हां, तो अभी तक उसमें से कितनी रकम दी जा चुकी है ;

(घ) जो रकमें नहीं दी गयी हैं उनका भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ङ) क्या स्वातन्त्र्य सेनानी संघ ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ; और

(च) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) हां, २,६०० राजनैतिक पीड़ितों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) लगभग १,३०० व्यक्तियों को २२.६० लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर कर दी गई है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ऋण को बांट रही है । मार्च, १९६२ तक लगभग ५ लाख रुपए अनुदानों और ऋणों के रूप में बांट दिये गये थे ।

(घ) राज्य सरकार से बांटने के काम को तेज करने के लिये प्रार्थना की गई है ।

(ङ) और (च) संस्था ने कई अभ्यावेदन किए हैं जिनका परीक्षण किया जा चुका है और उचित कार्यवाही की जा चुकी है ।

ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी

†*४०९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री उटिया :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश आप्रवासी अधिनियम, जो १ जुलाई, १९६२ से लागू हुआ, लागू होने से ठीक पहले कितने लोग भारत से गये ;

(ख) इतनी अधिक संख्या में लोगों के बाहर जाने से कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ; और

(ग) उस अधिनियम के लागू होने से पहले ब्रिटेन जाने वालों की स्थिति क्या रही ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) जून, १९६२ में २,७२५ व्यक्ति भारत छोड़ कर इंग्लैण्ड गए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जून, १९६२ में बाहर जाने के लिये १०,४५,५३७ रुपयों की विदेशी मुद्रा जारी की गई थी ।

(ग) जुलाई, १९६२ में ब्रिटिश आप्रवासी अधिनियम के लागू होने से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई और ५२४ व्यक्ति इंग्लैण्ड के लिए रवाना हुए ।

चीन भारत सीमा विवाद

†*४१२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब चीन भारत सीमा विवाद के बारे में भारत और चीन के अधिकारियों को रिपोर्ट के चीनी पाठ का अध्ययन कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) वे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जिनके बारे में हमारे मत और रिपोर्ट में अन्तर है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) चीन सरकार द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अंग्रेजी में हमारे मूलपाठ का ठीक अनुवाद प्रतीत होता है ।

(ग) प्रतिवेदन के चीनी पाठ और मूल चीनी और अंग्रेजी पाठों में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं मालूम पड़ा है ।

कस्तूरी का निर्यात

†*४२२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश से कस्तूरी तथा कस्तूरी कोश के अनियन्त्रित निर्यात की अनुमति है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस वस्तु के निर्यात का नियमन किस प्रकार किया जा रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

बच्चों द्वारा सोवियत रूस की यात्रा

†*४२३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस बच्चों का एक प्रतिनिधि मण्डल अरटेक में ३५ दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय विश्राम शिविर में भाग लेने के लिये सोवियत रूस गया है

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों को किस ने चुना है

(ग) क्या बच्चे समूचे देश में से चुने गये थे; और

(घ) यदि हां, तो इसको चुनने के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई थी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). "पायनीयर्स बच्चों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समाजिक और सांस्कृतिक संघठन" की चुनाव समिति द्वारा अपने सदस्यों में से प्रतिनिधि चुने गए थे । सारे देश से बच्चे "पायनीयर्स" के सदस्य बन सकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) बच्चों की योग्यताओं और कला में योग्यताएं के आधार पर चुनाव किया गया था।

मोनोक्लोरीन बेंजीन

†*४२४. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली, जो रंग उद्योग तथा अन्य रसायन उद्योगों में काम में आने वाले रसायन घोल 'मोनोक्लोरीन वेंज़ीन' उपोत्पाद के रूप में बना रहा था ने इस उपोत्पाद का निर्माण बन्द कर दिया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड के प्रबन्धकों ने इस बात पर विचार कर लिया है कि आयात पर प्रतिबन्ध होने तथा पर्याप्त सम्भरण न होने के कारण बाजार में 'मनोक्लोरोवेंज़ीन' के मूल्य तिगने से भी अधिक बढ़ गये हैं ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में उपरोक्त रसायन घोल का पुनः निर्माण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं। 'मोनोक्लोरीन बेंजीन' डी० डी० टी० के निर्माण में 'इण्टरमीडिएट' उत्पाद है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड सब फालतू 'मोनोक्लोरो बेन्ज़ीन' बाजार में बेचता रहा है। उन्होंने विक्रय मूल्य को भी नहीं बढ़ाया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्या में भारतीय

†*४२५. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि केन्या में केन्द्रीय न्यॉज़ा प्रान्त की जिला परिषद् ने यह निर्णय किया है कि धन की कमी के कारण केन्द्रीय न्याज़ा में २००० प्राइमरी और इंटरमीडिएट स्कूल अध्यापकों को पदच्युत कर दिया जाये ;

(ख) क्या सरकार जानती है कि इस पद्च्युति का प्रभाव भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों तथा कितने भारतीय राष्ट्रजनों पर पड़ेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी कोई कार्यवाही करने का है जिससे इस पद्च्युति से प्रभावित भारतीय राष्ट्रीयता के अध्यापकों को कठिनाइयां न हों ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) सरकार को इस के बारे में कोई राजकीय जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में,

मुसलमानों के मकानों में रहने वाले शरणार्थियों का पुनर्वास

†*४२६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के मकानों में रहने वाले शरणार्थियों के लिए—ऐसे मामलों के अतिरिक्त जिनमें उक्त शरणार्थियों के विरुद्ध मकान मालिकों ने सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में मुकदमें दायर कर दिये हों—वैकल्पिक निवास स्थान मंजूर करने से इन्कार कर रही है ;

(ख) शरणार्थियों द्वारा अपनी वास्तविकता' सिद्ध करने तथा आप्रवास की तिथि बताने पर भी उनको पुनर्वास सुविधायें देने से इन्कार करने के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन शरणार्थियों ने उस अवधि में जब शरणार्थियों को पुनर्वास लाभ मिल रहे थे कई आवेदनपत्र दिए थे और उनमें से किसी को भी पुनर्वास लाभ नहीं मिले;

(घ) क्या यह सच है कि इन शरणार्थियों को पुनर्वास दिए बिना इनसे मुसलमानों के मकानों को खाली कराना सम्भव नहीं है ; और

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल को कोई नये आदेश दिए गए है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). ऋण उन मुसलमानों जायदाद सम्भाले हुए विस्थापित और अन्य व्यक्तियों को दिए जाते है जो कि १९५१ के पश्चिम बंगाल अधिनियम १६ के अन्तर्गत सक्षम-प्राधिकार द्वारा वैकल्पिक स्थान के लिए पात्र घोषित किए गए है।

(ङ) जी नहीं ।

आकाश वाणी का समाचार विभाग

†*४२७. **श्री स० बा० पाटिल** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आकाशवाणी के समाचार विभाग को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक संबंद्ध कार्यालय बनाने का प्रस्ताव है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : जी नहीं ।

सामान्य निशस्त्रीकरण के लिये विश्व कांग्रेस

†*४२९. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ से १४ जुलाई, १९६२ तक मास्को में हुई सामान्य निशस्त्रीकरण तथा शांति के लिये विश्व-कांग्रेस में भारत का भी प्रतिनिधित्व था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) मास्को में हुई कांग्रेस एक गैर-सरकारी इकट्ठे या और कुछ भारतीय राष्ट्रजन अपने व्यक्तिगत रूप से इस कांग्रेस में गए थे ।

(ख) कांग्रेस ने एक घोषणा "संसार के लोगों को सन्देश" स्वीकार करली जिसने अन्य बातों के साथ साथ पूर्ण और सामान्य नि:शस्त्रीकरण और आन्विक परीक्षण शीघ्र बन्द करने के लिए प्रेरणा की ।

कर्नल भट्टाचार्य

†*४३०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपील पर प्रेजीडैंट अय्यूब खां ने कर्नल भट्टाचार्य की कारावास की सज़ा कम कर दी है ;

(ख) क्या सज़ा में की गई इस कमी का आधार भारत सरकार को बता दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने की दृष्टि से कर्नल भट्टाचार्य की रिहाई का आग्रह करने का है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) फिलहाल नहीं । कर्नल भट्टाचार्य को छोड़ कर दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का उत्तरदायित्व पाकिस्तान सरकार पर है ।

पटसन मजूरी बोर्ड

†*४३१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक पेश हो जाने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय मे श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड अपना काम कब समाप्त कर लेगा ।

'नान न्यूक्लियर क्लब'

†*४३२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे देशों का एक 'नान-न्यूक्लिर क्लब' बनाने के मामले में कोई प्रगति हुई है जिन्होंने परमाणु अस्त्रों का विकास अथवा अर्जन न करने का निश्चय किया है तथा जिसके बारे

†मूल अंग्रेजी में

में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासचिव को आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार दिया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्य देशों से प्राप्त उत्तरों का पूरा विवरण महासिचव से मिल गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प १६६४ (१६) में महासचिव से इस बात की जांच करने के लिए प्रार्थना की गई कि किन परिस्थितियों में वे देश, जिन के पास परमाणु अस्त्र नहीं है, ऐसे अस्त्रों के न बनाने या उन्हें न प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार होंगे और किसी अन्य देश की ओर से अपने देश में परमाणु अस्त्र भविष्य में लेने से इन्कार कर देंगे । इस जांच के सम्बन्ध में जो उत्तर आए वे महासचिव ने सदस्य राज्यों को परिचालित कर दिए। ४४ राज्यों ने उत्तर दिया । इनमें से २१ राज्य संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में उल्लेख की गई प्रतिज्ञा जैसा वचन देने के लिए लगभग शीघ्र तैयार हो गए, जब कि शेष देश ऐसी प्रतिज्ञाओं पर केवल पूर्ण और सामान्य निःशस्त्रीकरण के संदर्भ में विचार करने के लिए तैयार थे ।

महासभा के संकल्प में इन उत्तरों पर निःशस्त्रीकरण आयोग द्वारा विचार करने के लिए कहा गया था । आयोग से प्रार्थना की गई थी कि उनके प्रतिवेदन का ध्यान रखते हुए जो कदम उठाने की आवश्यकता थी वे उठाए जाएं । आशा है कि निःशस्त्रीकरण आयोग अगले मास होने वाले अपने अगले सत्र में इन उत्तरों पर विचार करेगा ।

पत्रकारिता संस्था

†४३३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्रकारिता संस्था स्थापित करने के जिस सुझाव पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

हाइड रोड कलकत्ता में गोदाम

†*४३४. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाइड रोड, कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के गोदामों में ९०,००० वर्ग फुट जगह नवम्बर, १९६० से बेकार पड़ी है क्योंकि भवन निर्माण में खराबी के कारण एक गोदाम गिर गया था और उसकी मरम्मत करने में तथा अन्य दो गोदामों को मजबूत बनाने में मंत्रालय के अधिकारियों ने विलम्ब कर दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि जिस जमीन पर गोदाम बने है उसको सरकार ने ९,००० रुपये मासिक पर किराये पर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस बीच उपरोक्त गोदाम की मरम्मत करने तथा उन को मजबूत बनाने के बारे में तथा किराये पर ली गई भूमि का उसी काम के लिए उपयोग करने के बारे में जिसके लिए उसको किराये पर लिया गया था, कोई कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ग). जिनजेरापोल, कलकत्ता में ६ खाद्यान्न गोदाम बनाये जा रहे थे और दो अन्य गोदामों की छतों पर काम चल रहा था । बाद के गोदामों में से एक के दो 'शैल' बनाने के शीघ्र बाद गिर गये । इस दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त की गई सेमिति ने 'शैल' की छत के गलत बनने को गिरने का कारण बताया । ठेकेदार द्वारा की गई त्रुटियों का भी कुछ पता चला । पहले बनाये गोदामों को मजबूत करने के लिए समिति ने कुछ तरीकों का सुझाव दिया और बनाये जाने वाले गोदामों के नमूने में परिवर्तन करने का सुझाव दिया । सिफरिशों का कार्यान्वयन इसलिए शीघ्र नहीं हो सका, क्योंकि ठेकेदार ने गिरे हुए 'शैल्ज़' की कीमत मांगी, परन्तु सरकार ने देने से इन्कार कर दिया । लम्बी बातचीत के बाद ठेका केवल मार्च, १९६२ में बन्द किया जा सका और उसके शीघ्र बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उन दो गोदामों को मजबूत करने और पूरा करने के लिये कदम उठाये जो कि पहले बनाये गय थे और जिन की दो छतें गिर गईं थीं । बदले गये नमूने के अनुसार बाकी दो गोदामों के निर्माण का कार्य हो रहा है । तब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, इन गोदामों में जगह का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

(ख) वह भूमि जिस पर ये गोदाम बनाये जा रहे हैं सरकार ने पत्तन आयुक्त, कलकत्ता से रुपये ६,७४९.५८ नये पैसे प्रति मास के किराये के हिसाब से पट्टे पर लेली है ।

औद्योगिक कर्मचारियों के काम के घंटे

†*४३५. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री र० ना० रेड्डी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए ४० घंटे काम की सिफारिश की है;

(ख) सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ उद्योगों में ऐसा करना सम्भव है; और

(घ) यदि हां, तो वह कौन से उद्योग हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय म श्रम मंत्री (श्री हाजी)** : (क) १९३१–१९४० में ४० घंटे के हफ्ते पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा तीन जून, १९६२ में किये गये अपने ४६वें सत्र में इस ने एक सिफारिश स्वीकार की जो कि ४० घंटे के हफ्ते के सामाजिक स्तर को आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने के बारे में है ।

(ख) से (घ). भारत में वर्तमान परिस्थितियों में ४० घंटे का हफ्ता सम्भव नहीं है ।

अमरीका तथा कनाडा को भारतीय चाय का निर्यात

†४३६. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड के प्रधान के नेतृत्व में चाय व्यापार शिष्टमंडल जो अमरीका और कनाडा का दौरा करके भारत वापस लौटा है उसने बताया है कि अमरीका तथा कनाडा में चाय की खपत में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद इन देशों में भारतीय चाय की मांग बहुत कम हो गई है;

(ख) १९५१ की तुलना में १९६०–६१ तथा १९६१–६२ वर्षों में इन दोनों देशों में हुए चाय के कुल आयात में कितने प्रतिशत भारतीय चाय थी;

(ग) अमरीका तथा कनाडा के बाजारों में भारतीय चाय की मांग कम हो जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उपरोक्त चाय व्यापार शिष्टमंडल नें तथा चाय बोर्ड ने इन दोनों देशों के बाजार में भारतीय चाय की स्थिति पुनः सुधारने के बारे में किन उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि जब कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में चाय का आयात धीरे धीरे बढ़ गया है । १९६० तक प्रतियोगियों के मुकाबले में उस बाजार में भारत का भाग कम हो गया है । १९६१ में १९६० से भारतीय चाय का आयात २० लाख पौंड बढ़ गया ।

कनाडा के बारे में प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि १९५३ से १९६० तक की अवधि में चाय का आयात ४४० से ४५० लाख पौंड प्रति वर्ष तक हो रहा है । भारत का भाग कम हो गया है ।

(ख) १९५१ के मुकाबले में १९६० और १९६१ में दोनों देशों में चाय के कुल आयात में भारतीय चाय का आयात इस प्रकार था :—

	संयुक्त राज्य अमेरिका	कनाडा
१९५१ .	३८.८५ प्रतिशत	४८.७३ प्रतिशत
१९६०	२२.०१ प्रतिशत	३४.९७ प्रतिशत
१९६१	२४.३९ प्रतिशत	३५.०० प्रतिशत

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अमरीका और कनाडा के बाज़ारों में, कीमतों के विचार से, आर्थिक 'पार्क' भारतीय माध्यम और नीचे के माध्यम वाली चाय को हटाने की प्रवृत्ति है। इसका "आसाम" जैसी अच्छी चाय पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) प्रतिनिधिमंडल ने सिफारिश की है कि भारत सस्ते मूल्य पर चाय दे कर अमेरिका और कनाडा को अपना निर्यात बढ़ा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति चाय परिषदों द्वारा व्यापार के साथ पूर्ण सहयोग करके; भारत में उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों की सभी स्तरों पर व्यक्तिगत यात्रा और सम्पर्कों द्वारा, न्यूयार्क में भारतीय चाय विशेषज्ञ की नियुक्ति द्वारा; अपने उत्पादन की किस्म में सुधार के लिए कदम उठाते रहने द्वारा हो सकती है।

(ङ) (१) चाय पर निर्यात शुल्क में ४४ नये पैसे से २५ नये पैसे तक प्रति किलोग्राम कमी।

(२) निर्यात की गई चाय के लिए १५ नये पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से निर्यात शुल्क की छूट।

(३) किराया-खरीद और पुनारोपण ऋण के बारे में चाय बोर्ड की योजनाओं के द्वारा चाय की किस्म में सुधार करने और उत्पादन बढ़ा कर कीमत कम करने के लिए उपाय जारी हैं।

(४) प्रतिनिधिमंडल द्वारा सिफारिश के अनुसार चाय विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

सरकार द्वारा चलाये जाने वाले हस्तशिल्प वाणिज्यालय

†१८६. **श्री तन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन हस्त-शिल्पों के विक्रय के लिए सरकारी वाणिज्यालय और विक्रय डिपो की क्या संख्या है जिन को १९५८–५९ से १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार या हस्तशिल्पों सम्बन्धी बोर्ड से सहायता मिली;

(ख) ऊपर की अवधि में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कितनी सहायता मिली;

(ग) इन वाणिज्यालयों और डिपुओं द्वारा कुल कितनी बिक्री हुई;

(घ) सरकारी समितियों द्वारा बनाये गये वाणिज्यालयों की क्या संख्या है, सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई और उन के विक्रय से कितना धन मिला;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकारी वाणिज्यालयों की बिक्री सहकारी समितियों द्वारा चलाये गये वाणिज्यालयों से बहुत कम है; और

(च) अन्तर क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (च). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) १९५८–५९ से १९६०–६१ के वर्षों में केन्द्रीय सरकार ६१ सरकारी बाणिज्यालयों और विक्रय डिपुओं को सहायता मिली। वर्ष १९६१–६२ के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ से १९६०–६१ में इन वाणिज्यालयों को ३२.४३ लाख रुपये के अनुदान और १५.७९ लाख रुपये का ऋण केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया। वर्ष १९६१–६२ के लिए केन्द्रीय सहायता के आंकड़े और इन वाणिज्यालयों को राज्य सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) १९५८–५९ से १९६०–६१ के वर्षों में इन वाणिज्यालयों ने २७०.८७ लाख रुपये की बिक्री की।

(घ) (१) सहकारी समितियों द्वारा चलाये गये वाणिज्यालयों की संख्या—८।

(२) १९५८–५९ से १९६०–६१ में इन वाणिज्यालयों को दी गई केन्द्रीय सहायता—

अनुदान रुपये	ऋण रुपये
११.२३ लाख	१२.५६ लाख

(३) बिक्री . १३६.२० लाख रुपये

(ङ) जी, हां।

(च) १९५८–५९ से १९६०–६१ तक सरकारी वाणिज्यालयों में २७०.८७ लाख रुपये की बिक्री हुई जब कि उसी अवधि में सहकारी समितियों के ८ वाणिज्यालयों द्वारा १३६.२० लाख रुपये की बिक्री हुई। इस बात की जांच करने के लिए सरकारी वाणिज्यालयों के काम की समीक्षा की जा रही है कि कम बिक्री के क्या कारण हैं और उन्हें वाणिज्यिक एकक बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाये जायें।

मध्य प्रदेश में सूती मिलें

९८७. श्री प्राते : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में ६ सूती मिलें खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्रत्येक डिवीजन में एक मिल खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) वह कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर ये मिलें स्थापित होंगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मध्य प्रदेश में नौ सूती मिलें लगाने के लिये लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) भिण्ड, शुजालपुर, सतना, बिलासपुर, कटनी, राजनादगांव, देवास, खण्डवा तथा इन्दौर।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्ची फिल्मों का आयात

†९८८. श्री मे० क० कुमारन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा रुपए मुद्रा वाले क्षेत्रों से कच्ची फिल्मों के आयात पर विचार किया है ; और

(ख) क्या उस पर कोई निर्णय कर दिया गया है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां ।

(ख) १९५७ से रुपए द्वारा भुगतान प्रबन्ध के अधीन राज्य व्यापार निगम द्वारा सिनेमैटोग्राफ कच्ची फिल्मों की अधिक मात्रा का लगातार आयात किया जाता रहा है ।

राजस्थान में सूक्ष्म मापक यन्त्र बनाने का कारखाना

†९८९. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में सूक्ष्म मापक यन्त्र कारखाने को राजस्थान राज्य में स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ।

(ख) यदि हां, तो कौन सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) परियोजना को स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जी हां। इलेकट्रोनिक और इलैक्ट्रोमैगनेटिक यन्त्र बनाने के लिए यह कारखाना राजस्थान में कोटा में लगाया जायेगा ।

कारखाने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए मैसर्ज प्रोमाशएक्स्पोर्ट, मास्को के साथ एक संविदा किया गया है और इस में इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ।

त्रिपुरा में केन्द्रीय विपणन संगठन

†९९०. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में औद्योगिक उत्पाद के लिए कोई केन्द्रीय विपणन संगठन है ;

(ख) यदि हां, तो इस की बनावट और कृत्य ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) संगठन का प्रबन्ध पांच सदस्यों वाली एक समिति के हाथ में है । उद्योग निदेशक सभापति है । संगठन का प्रयोजन यह है कि स्थानीय छोटे औद्योगिक कारखानों को उचित मूल्यों पर कच्चा माल देने और उनका तैयार किया हुआ माल बिकवाने की सुविधाएं दी जायें ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश को ऋण

†१९१. **श्री दाजी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य को दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में कितनी सहायता और ऋण दिये गये हैं ;

(ख) ये किन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दिये गये थे ; और

(ग) परियोजनाएं किस हद तक पूर्ण की गईं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) केन्द्रीय अनुदान और ऋण क्रमशः १.६ करोड़ और ७७ करोड़ रुपये थे ।

(ख) और (ग). प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता राज्य की योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं के अनुमोदित व्यय पर निर्भर करती है । अदायगी राज्य वित्त विभाग द्वारा बताये गये व्यय के अनुसार की जाती है । अतः विशिष्ट नदी घाटी परियोजनाओं को छोड़ कर योजनावार केन्द्रीय सहायता का बताना संभव नहीं है ।

चाय का उत्पादन

†१९२. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१-६२ में क्षेत्रवार, त्रिपुरा में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) उत्पादन में वृद्धि के कारण ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९१]**

(ख) १९६१ में उत्पादन में वृद्धि के कारण घनी कृषि और अनुकल मौसम की स्थिति थी ।

त्रिपुरा में रिक्शा चलाने वाले

†१९३. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में रिकशा चलाने वालों की कुल संख्या (विभाग–वार) ;

(ख) कुल कितने हैं जिन के अपने रिक्शा हैं ; और

(ग) क्या उनको जिनके पास अपनी रिक्शा नहीं है, रिक्शा देने की कोई योजना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** (क) और (ख): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) रिक्शा चलाने वालों की सरकारी संस्थाएं बनाने के लिए सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय (सरकार विभाग) ने एक अग्रिम योजना तैयार की है, जो सब राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई है । उस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने का नमूना यह है :

(१) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण देगी जो उन ऋणों के बराबर होंगे जो कि राज्य सरकारें संस्थाओं को साइकल/आटो-रिकशाओं के क्रय के लिए देंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकतम राशि एक संस्था के लिए २० हजार रुपये होगी, जो सूद के सामान्य दर पर सात सालों में बराबर किशतों पर वापस किया जायेगा ।

(२) ५ साल तक की अवधि के लिए प्रत्येक संस्था के लिए ९०० रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा, ताकि राज्य सरकारें प्रबन्ध व्यय के लिए सहायता दे सकें । यह राज्य सरकारों के साथ ५०–५० के आधार पर बांटा जायेगा ।

साइकिलों, सिलाई मशीनों और बैटरियों का उत्पादन

†९९४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ३ वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के क्षेत्रों में साइकलों, सिलाई मशीनों और बैटरियों का उत्पादन क्या है ;

(ख) अगले ४ वर्षों में उत्पादन का कार्यक्रम क्या है ;

(ग) क्या इस आशय का एक विस्तृत विवरण पटल पर रखा जायेगा कि कितने छोटे उत्पादक बिल्कुल समाप्त हो गये हैं और कितनों का उत्पादन कम हो गया है ;

(घ) बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उत्पादक एक दूसरे से कितना माल लेते हैं ;

(ङ) कच्चे माल के संभरण के मामले में बड़े पैमाने के उत्पादकों के लिए छोटे उत्पादकों द्वारा निर्माण को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(च) बड़े उत्पादक अपनी आवश्यकता से अधिक माल तैयार करते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :**

(क) उद्योग का नाम	वर्ष	उत्पादन	
		बड़ा पैमाना	छोटा पैमाना
		संख्या	संख्या
बाइसीकल . .	१९५९	९९०,७४८	१७२,८४२
बाईसीकल . .	१९६०	१,०५३,३५७	२२८,०४४
	१९६१	१,०४८,९४६	१,४८,६७२ (अस्थाई)
सिलाई मशीनें . .	१९५९	२५२,६०९	३८,४०१
	१९६०	२९७,२८१	४२६६२
	१९६१	३७१,४००	६२,६३३ (अस्थाई)
बैटरियां . .	१९५९	४४२,२३६	छोटे पैमाने के क्षेत्र में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।
(१) स्टोरेज बैटरी . .	१९६०	५०७,३५०	
	१९६१	५२०,९८०	

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग का नाम	वर्ष	उत्पादन	
		बड़ा पैमाना	छोटा पैमाना
(२) ड्राई बैटरियां	१९५९	१८७.२८	
(एकक दस लाख सेल)	१९६०	२०८.०८	
	१९६१	२१४.०४	

(ख) योजना आयोग ने उत्पादन का कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया । तीसरी योजना में साइकलों और सिलाई मशीनों का लक्ष्य बड़ पैमाने के क्षेत्र में क्रमश: २० लाख और ७ लाख और छोटे पैमाने के क्षेत्र में क्रमश: ५ लाख और १.५ लाख है । तीसरी योजना में बैटरियों का लक्ष्य ८००,००० (स्टोरेज बैटरियां) और ३५०० लाख सेल (ड्राई बैटरियों के लिए) हैं । साईकिलों, सिलाई मशीनों और यन्त्रों की विकास परिषद् वार्षिक लक्ष्य तीसरी योजना के लक्ष्य के अन्दर निर्धारित करती है । १९६२–६३ के लिए परिषद् द्वारा उत्पादन का यह कार्यक्रम निश्चित किया गया है :

बड़े पैमाने में साइकल	१२.५ लाख
बड़े पैमाने में सिलाई मशीन	३.५ लाख
छोटे पैमाने में साइकल .	२.५ लाख
छोटे पैमाने में सिलाई मशीन	८०,०००

(ग) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(घ) छोटे और बड़े पैमाने के क्षेत्रों में पुर्जों का आदान प्रदान होता रहता है, किन्तु कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) छोटे कारखानों को, जो बड़े क़ारखानों के सहायक के रूप में काम करते हैं, सब प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उन की आयात आवश्यकतायें पूरी की जा रही हैं ।

(च) बड़े पैमाने के क्षेत्र में साइकलों के कुछ निर्माताओं की अपनी आवश्यकताओं से अधिक क्षमता है । कुछ ऐसे कारखाने भी हैं जो केवल पुर्जे तैयार करते हैं । वर्तमान स्थिति यह है कि १४.१४ लाख पूरी साइकलों की कुल संस्थापित क्षमता के मुकाबले में, १९६१ में महत्वपूर्ण पुर्जों का उत्पादन इस प्रकार था :—

बाइसीकल चेन .	१५.१६ लाख
फ्रीवील	९. १ लाख
हब . .	२८.१६ लाख
रिम . . .	३०.८ लाख
स्पोक . . .	९.७ लाख
बी० बी० और हैड फिटिंग	२३.२ लाख

चूंकि पुर्जों के अधिकांश कारखानों को लाईसेंस हाल में दिये गये थे, वास्तविक उत्पादन क्षमता से बहुत कम हैं । क्षमता के अधिकाधिक उपयोग के साथ उत्पादन बढ़ने की आशा है । सिलाई मशीन

उद्योग में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है, केवल कुछ ऐसे पुर्जों को छोड़ कर जो इस समय बड़े पैमाने के क्षेत्र में हैं। वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए पुर्जों का आयात तदनुसार विनियमित किया जाता है। बैटरी उद्योग के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गोआ में प्रशासनिक ढांचा

†१९९५. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ राष्ट्रीय संघ और वाणिज्य तथा उद्योग सम्बन्धी मंत्रणा समिति के अध्यक्ष ने एक ज्ञापन दिया है कि प्रादेशिक परिषद् का भी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन में हाथ होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). प्रादेशिक परिषद् के बारे में एक ज्ञापन गोआ के राष्ट्रीय संघ से प्राप्त हुआ है और सरकार के विचाराधीन है।

पटसन मिलों को कोयले का संभरण

†१९९६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण पटसन के उत्पादन में कमी हो गई है ;

(ख) क्या पटसन की मिलों ने कोयले के संभरण के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाईशाह) :** (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) पटसन उद्योग के लिए कोटे मई, १९६२ में ७९३ डिब्बों से जून १९६२ में ९७३ डिब्बे कर दिये गये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के रेलवे कर्मचारी

†९९७. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के उन रेलवे कर्मचारियों ने जिन्होंने भारत संघ के लिए चुनाव किया था और जो भारतीय रेलों पर काम कर रहे थे या कर रहे हैं, सरकार से पुनर्वास के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि वे शरणार्थियों की श्रेणी में नहीं आते ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रार्थना किस हद तक स्वीकार की गई थी ;

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख). हाल में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ । चाहे वे रेलवे कर्मचारी हों या नहीं, सब विस्थापित व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है ।

भूधारण अधिनियम का गोआ पर लागू किया जाना

†९९८. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केंकन सहकारी संघ, गोआ से भारत के भूधारण अधिनियम को गोआ में लागू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की है ;

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) भूमिधारण और तत्सम्बन्धी मामलों पर सरकार विचार कर रही है ।

काफी बोर्ड पदाधिकारी

†९९९. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफ़ी बोर्डों के पदाधिकारियों को कितनी उपलब्धियां और अन्य सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ख) १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में काफी बोर्ड के पदाधिकारियों ने कितना यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते लिये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) बोर्ड के पदाधिकारियों की उपलब्धियों में (१) वेतन, (२) अनुपूरक (नगर) भत्ता, (३) महंगाई भत्ता और किराया मकान भत्ता शामिल हैं । अन्य सुविधायें ये दी जाती हैं :

(१) छुट्टी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह ;

(२) केन्द्रीय डाक्टरी जांच नियमों के अनुसार चिकित्सा का व्यय दिया जाना ;

(३) मकान बनाने की पेशगी, गाड़ी खरीदने की पेशगी और भविष्य निधि में से पेशगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) मुफ्त बिजली और पानी एक निर्धारित सीमा तक, बोलेहुन्नूर और चेरालि यह बोर्ड के अनुसंधान स्टेशनों क सदस्यों को किराया से मुक्त क्वार्टर और अनुषूरक भत्ता ;

(ख)	यात्रा भत्ता रुपये	दैनिक भत्ता रुपये
१९५८–५९	५५,९६८.९८	८,२३१.३५
१९५९–६०	७३,६०३.४१	१९,१९५.४१
१९६०–६१	८४,४१३.८०	१९,१४२.५५
१९६१–६२	६२,९२६.३४	८,०९५.९१

इलमेनाइट का निर्यात

†१०००. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :

क्या **प्रधान मंत्री** ११ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३० के उत्तर के सम्बन्ध में में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लिड्डन एण्ड कम्पनी, बाल्टीमोर, अमेरिका और ट्रावन्कोर मिनरलज लि० क्विलोन के बीच समझौते के अनुसरण में, अमेरिकन कम्पनी १९६१ और १९६२ के नौवहन मौसमों में इलमेनाइट खरीदती रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण, और

(ग) क्या इलमेनाइट के क्रय के लिये किसी विदेशी कम्पनी से कोई नया समझौता हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) ग्लिड्डन कम्पनी ने नवम्बर, १९६१ से अप्रैल, १९६२ के नौवहन मौसम में कोई इलमेनाइट नहीं खरीदा ;

(ख) क्रोमियम और वनेज्यिम की अधिक मात्रा के कारण, जिसके कारण रंग में फर्क पड़ जाता है, अमेरिकन कम्पनी केरल इलमेनाइट को अनुपयोगी समझती है ।

(ग) अभी तक कोई नया समझौता नहीं किया गया ।

लघु उद्योग बोर्ड

†१००१. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २७ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योग सम्बन्धी बोर्ड की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). छोटे पैमाने के उद्योग सम्बन्धी बोर्ड द्वारा स्थापित उद्योगों का वितरण सम्बन्धी समिति की सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है ।

चैकोस्लोवाकिया को पटसन का निर्यात

†१००२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया ने भारत से घटिया पटसन खरीदना मंजूर कर लिया है ;

(ख) वह कुल कितना पटसन खरीदना चाहता है ;

(ग) क्या पटसन का सम्भरण शुरु हो गया है ; और

(घ) यह किस के द्वारा सम्भरित किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) से (घ). यद्यपि कोई निश्चित परिमाण नहीं है, ७ अगस्त, १९६२ तक पटसन की ८६५० चैकोस्लोवेक क्रेताओं द्वारा मनोनीत प्रेषकों के द्वारा निर्यात करने की अनुमति दी गई है ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

१००३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों अर्थात्, झांसी, जालौन, जिला हमीरपुर व बांदा में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की व्यवस्था थी वह क्यों स्थगित रही ;

(ख) इन जिलों में इन बस्तियों की निर्माण की दिशा में अब क्या प्रगति हुई है ;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (घ). दूसरी पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के किसी भी दक्षिणी जिले में औद्योगिक बस्तियां बसाने का राज्य सरकार का कोई मूल प्रस्ताव नहीं था । फिर भी राज्य सरकार के पास से झांसी में एक छोटी औद्योगिक बस्ती तथा कालपी (जालौन) में एक हरिजन औद्योगिक बस्ती बसाने के बारे में प्राप्त योजनायें १९६०-६१ में स्वीकार कर ली गई थीं। चार दक्षिणी जिलों में एक-एक ग्रामीण औद्योगिक बस्ती बसाने का प्रस्ताव तीसरी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके लिये स्थानों का चुनाव कर लिया गया है तथा भूमि प्राप्त करके निर्माण कार्य शुरू करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दी गई है। झांसी की लघु औद्योगिक बस्ती तथा कालपी की हरिजन औद्योगिक बस्ती का निर्माण कार्य अगले वर्ष के मध्य तक तथा चारों औद्योगिक बस्तियों का १९६३-६४ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

सियालदा स्टेशन पर शरणार्थी

†१००४. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदा स्टेशन क्षेत्र में धरना देने वालों में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए कोई विस्थापित या आप्रवासी (अप्रैल १९५८) भी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या ; और

(ग) उनको वितरित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). उनमें से अधिकतर व्यक्ति पुनर्वास सहायता ले चुके हैं और उन बस्तियों से भाग आये हैं, जहां उन्हें बसाया गया था । यदि वे वहां वापस जायें, तो राज्य सरकारें उनकी शिकायतों पर विचार करेंगी । कुछ परिवारों को पिंड राशि अनुदान दिये गये थे किन्तु वे सियालदा लौट आये थे । वहां पर धरना देने वालों को हटाने के काम पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं ।

सूती कपड़ों की कीमतें

†१००५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती कपड़ों और उनकी कीमतों की समस्या पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशुल्क आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन अब प्राप्त हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो आयोग की उपपत्तियां क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बोनस आयोग

†**१००६. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रतिवेदन १९६२ में मिल जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या यह आयोग लाभांश बोनस योजना के अधीन न आने वाले लोगों के लिये प्रोत्साहन बोनस दिये जाने के बारे में भी निर्णय करेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) आयोग अपने काम को यथासम्भव शीघ्रता से कर रहा है और उसकी जांच के स्वरूप तथा महत्व को देखते हुए अभी कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि आयोग अपना काम कब तक समाप्त कर लेगा ।

(घ) जी नहीं ।

कोयला खनिकों की मांगें

†**१००७. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल, धनबाद और रानीगंज क्षेत्र की कोयला खानों के मालिक खान कर्मचारियों की यूनियन की मांगों के बारे में अभी भी उनसे बातचीत कर रहे हैं ;

(ख) कोयले का मूल्य बढ़ जाने के बाद भी क्या उन्होंने मजदूरी बढ़ाने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठाने वाली है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). कोयला खान उद्योग में मजदूरी के ढांचे में परिवर्तन करने क प्रश्न पर बिचार करने के लिये एक मजूरी बोर्ड बना दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान को गांवों का हस्तांतरण

†१००८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, पाथेर कंडी के पथरिया वन में ५ गांव पाकिस्तान को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया था ;

(ग) इस हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप कितने परिवार बेघरबार हुये ; और

(घ) उन्हें फिर से बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) सीमांकन का काम पूरा हो जाने के बाद ही ठीक स्थिति पता लग सकेगी ।

(घ) उन्हें फर से बसाने की योजनाओं पर विचार हो रहा है ।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत एक भारतीय राष्ट्रजन की रिहाई

†१००९. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परितोश दास को, जिन्हें पाकिस्तानियों ने अपहृत कर लिया था, अब रिहा कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी रिहाई के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने हमारे नोट का जवाब दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने हमारे उप-उच्चायुक्त के नोट का यह उत्तर दिया है कि श्री परितोश दास को पाकिस्तान (प्रवेश नियंत्रण) अधिनियम, १९५२ के अधीन गिरफ्तार किया गया है और उनका मामला न्यायनिर्णयाधीन है । ढाका स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त इस मामले को देख रहे हैं ।

ईंटों की कीमतें

†१०१०. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किन-किन राज्यों ने ईंटों की कीमतों पर नियंत्रण लगाने सम्बन्धी परामर्श को मान लिया है;

(ख) विभिन्न राज्यों में इंटों की वर्तमान कीमतें क्या हैं; और

(ग) ये कीमतें पहली योजना के आरम्भ के समय की कीमतों से कितनी कम या अधिक हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) ईंटों की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए अभी तक किसी भी राज्य ने कोई विधान नहीं बनाया है;

(ख) और (ग). मांगी गयी जानकारी का एक विवरण संलग्न है। पर एक ही राज्य में स्थान-स्थान पर ईंटों की कीमतें, ईंटों की किस्म तथा उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२ ।]**

कार्यालयों के लिये भवन

†**१०११. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कार्यालयों के लिए किन-किन इमारतों को काम में लाने का मामला विचाराधीन है ; और

(ख) विचाराधीन प्रस्तावों का वास्तविक स्वरूप क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). राजधानी में निम्नलिखित बड़ी-बड़ी इमारतें विचाराधीन हैं :—

	क्षेत्र	अनुमानित लागत	
१. रामकृष्णपुरम् में (पूर्वनिर्मित इमारत)	४.४३ लाख वर्ग फीट	०.८६ करोड़ रु० (विभागीय खर्चों को छोड़ कर)	६-८-६२ को मंजूर किया गया ।
२. रामकृष्णपुरम् में (स्थायी कार्यालय इमारत)	३.८४ लाख वर्ग फीट	१.०७ करोड़ रु० (विभागीय खर्चों को छोड़ कर)	२७-६-६२ को मंजूर किया गया ।
३. (१) राजेन्द्र प्रसाद रोड पर			विचाराधीन
४. (२) मौलाना आजाद रोड पर			
५. साउथ ब्लाक के दक्षिण की ओर प्लाट संख्या ३५ पर			
६. साउथ ब्लाक के दक्षिण की ओर एक अन्य प्लाट पर			
७. इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में	२.३५ लाख वर्ग फीट, (लगभग)		

पूर्वी बंगाल में हिन्दू

१०१२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान बनने के बाद वहां पर जो हिन्दू पर्याप्त संख्या में रह गये थे उन में से अधिकांश का विशेषत: हरिजनों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास क्या उनके आंकड़े हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि जो अब शेष हैं उनके लिये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि या तो वह भी धर्म बदलें अथवा फिर पाकिस्तान छोड़ जाय?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्यमंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). जी नहीं; माननीय सदस्य का यह ख़याल ठीक नहीं है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं को और ख़ास तौर से हरिजनों को मुसलमान बनाया गया, और न यह उनके भारत आने का कारण ही है। इसका पता १९५१ और १९६१ में पूर्व पाकिस्तान की जनसंख्या के आंकड़ों से चलता है :

	१९५१ जनसंख्या	१९६१ जनसंख्या
कुल जनसंख्या	४,१९,३२,३२९	५,०८,४०,२३५
सवर्ण हिन्दू	४१,८७,३५३	४३,८६,६२३
अनुसूचित जाति के हिन्दू	५०,५२,२५०	४९,९३,०४६

पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जाति के लोगों के निरन्तर भारत आते रहने का कारण है उन में सुरक्षित न रहने की भावना; व्यापार, रोज़गार, यात्रा, धन भेजने की सुविधा और निजी सम्पत्ति की मिल्कियत आदि के बारे में भेदभाव।

"मापतौल समाचार" हिन्दी पत्रिका

१०२३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीट्रिक बाटों और पैमानों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए हिन्दी में "मापतौल समाचार" नामक जो पाक्षिक पत्रिका निकाली गयी थी उसे बन्द क्यों कर दिया गया है;

(ख) यह पत्रिका कितनी संख्या में छपती थी और इसे कितने लोगों के हाथ बेचा जाता था; और

(ग) क्या खर्च में किफायत करने के लिए इसे बन्द किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ग). "मापतौल समाचार" पत्रिका बन्द नहीं कर दी गई है। यह नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली पाक्षिक पत्रिका नहीं है वरन् यह सामग्री उपलब्ध होने तथा आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर निकाली जाती है।

(ख) एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]**

राष्ट्रीय आय

†१०१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री हेडा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहले वर्ष में राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह वृद्धि मूल लक्ष्य से कम रही है; यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ?

---

†नूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** :(क) वर्ष १९६१–६२ के बारे में राष्ट्रीय आय के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रबड़ के बागान

†**१०१५. श्री अ० व० राघवन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप-समूह में नकद फसलों की कमी और रबर की खेती बढ़ाने की बड़ी सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वहां के प्रशासन की बस्ती बसाने सम्बन्धी योजना का रबर बागान योजना के साथ समन्वय करने के औचित्य पर विचार करेगी;

(ख) क्या प्रशासन रबर के बागान के लिए वन क्षेत्र देने के विरुद्ध है; और

(ग) क्या रबर बागान के प्रयोजन के लिए इन द्वीपों का पूरा सर्वेक्षण कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस विषय पर विचार हो रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी हां, नीकोबार और अंदमान द्वीप समूह के उपयुक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो चुका है।

सूक्ष्म मापक यंत्र बनाने का कारखाना

†**१०१६. श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूक्ष्म मापक यंत्र कारखाने के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी निर्णय हो गया है कि इस में कौन-कौन से यंत्र बनाये जायेंगे, यह निश्चय हो गया है;

(।) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). सूक्ष्म मापक यंत्र कारखाने के लिए पालघाट में पुडुसरी के निकट एक स्थान छांट लिया गया है।

इस कारखाने में बनने वाले यंत्रों के सम्बन्ध में अस्थायी रूप से यह निर्णय किया गया है कि इस में मैकनिकल हाइड्रॉलिक और न्यूमेटिक यंत्र जैसे न्यूमेटिक लेवल इन्डीकेटर, स्वयं मापक प्रेशर गेज, फ्लोमीटर और रोटामीटर, लेवल कन्ट्रोलर, प्रोग्राम सेटर तथा अन्य सहायक पुर्जे जैसे कन्ट्रोल वाल्ब, बेलोज़ बाऊडन ट्यूब आदि बनाये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†१०१७. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा दिये गये वेतन-क्रमों तथा अन्य सुविधाओं के मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियमित कर्मचारियों तथा काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों में भेदभाव किया जाता है :

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार दोनों प्रकार के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किये जाने के लिये उपाय करेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग) . केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित कर्मचारियों तथा काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में केन्द्रीय वेतन आयोग ने वेतन-क्रम के बारे में जो सिफारिश की थी उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और लागू कर लिया गया है ।

जहां तक अन्य सुविधाओं का प्रश्न है, औद्योगिक कर्मचारियों के बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है । आयोग ने औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिये एक-सी सुविधाओं की सिफारिश नहीं की थी ।

वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इस बात के आदेश निकाल दिये गये है कि काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी उसी दर से निवृत्ति-लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत और यात्रा भत्ता दिये जायें जिस दर से नियमित कर्मचारियों को मिलते हैं । काम के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

सभी औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अर्जित छुट्टी संबंधी नियमों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है । इस बीच उन पर वही बर्तमान कानून लागू होंगे जिन के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम के अनुसार वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारी और नियमित कर्मचारी अर्जित छुट्टी के अधिकारी हैं ।

पंजाब की पहाड़ियों में सड़कों और पुलों का निर्माण

†१०१८. **श्री हेम राज :** क्या **योजना** मंत्री १९ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब की पहाड़ियों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये दो करोड़ रु० का ऋण देने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने क्या कोई निर्णय कर लिया है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : पहले से ली गई जिम्मेदारियों को देखते हुए यह संभव नहीं था कि पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों के लिये कोई विशेष उपबन्ध किया जा सके । ऐसी सड़कों का विकास राज्यों की योजनाओं में किये गये उपबन्ध में से किया जाना चाहिये । पंजाब सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में रोजगार का सर्वेक्षण

†१०१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में रोजगार की प्रवृत्तियों और आंकड़ों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य उपपत्तियां क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी नहीं ; रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन नियोजकों से प्राप्त तिमाही विवरणों से हर तीसरे महीने रोजगार की प्रवृत्ति का पुनरीक्षण किया जाता है । जून १९६१ से मार्च १९६२ के बीच सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार में हुई हर तिमाही में रोजगार की वृद्धि का विवरण निम्नलिखित विवरण में दिया गया है :—

तिमाही	गैर-सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
जून, १९६१ में समाप्त होने वाली .	०.७	१.१
सितम्बर, १९६१ में समाप्त होने वाली .	०.०२	१.९
दिसम्बर, १९६१ में समाप्त होने वाली	०.९	१.७
मार्च, १९६२ में समाप्त होने वाली .	०.२	१.६
मार्च, १९६१ के बाद कुल वृद्धि . .	१.८	६.४

विद्रोही नागा

†१०२०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में नागालैंड में खाद्य वस्तुओं के आवागमन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये है ताकि ये वस्तुयें कहीं विद्रोही नागाओं के हाथ न पड़ जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिबन्ध लगाये गये है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) राज्यपाल द्वारा २१ जून, १९६२ को निकाली गई अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४]**

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†१०२१. **श्री मुरारका :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर शुरू से अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है ;

(ख) अभी तक उस ने कितन प्रतिवेदन प्रकाशित किये है ; और

(ग) क्या उस के आंकड़े योजना आयोग और अन्य सरकारी विभागों के लिये उपयोगी सिद्ध हुए है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) ३० जून, १९६२ तक केन्द्रीय सरकार ने कुल ८.४१ करोड़ रु० खर्च किये है ।

(ख) ६३ ; और

(ग) जी हां ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†१०२२. **श्री मुरारका :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अब तक कितनी बार सर्वेक्षण किये है ;

(ख) कितनी बार के सर्वेक्षण के बारे में आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं ; और

(ग) ये आंकड़े किस अवधि के बारे में हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) १७ बार आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण और १० बार निर्माण उद्योगों के सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा हो गया है ।

(ख) और (ग). सितम्बर १९५० से जुलाई १९५९ तक की प्रवधि में १७ बार किये गये आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण और १९५१ से १९५९ तक की अवधि में ६ बार किये गये निर्माण उद्योगों के सर्वेक्षण के प्रतिवेदन प्रकाशित किये गये हैं ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम

†१०२३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ की धारा १८क के अधीन आज तक सरकार ने कुल कितने उद्योग अपने अधीन लिये हैं ;

(ख) ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण रहे हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में किसी बड़े औद्योगिक कारखाने को उस के अंश धारियों को लौटाने का कोई विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) पन्द्रह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उद्योग को इसलिये अपने हाथों में लेना पड़ा कि वे ऐसे ढंग से चल रहे थे कि संबंधित अनुसूचित उद्योगों और लोकहित के लिये अहितकर था ।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८ क के अधीन सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये १५ उद्योगों में से ८ को उन के स्वामियों को सौंप दिया गया है । एक अन्य मामले में उद्योग को वापस लौटाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

संसद् कार्य के लिये छापाखाना

१०२४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् के लिये अलग छपाई प्रेस स्थापित करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : इस की तफसीलें तैयार की जा रही हैं । इस समय भारत सरकार का एक मुद्रणालय नई दिल्ली में मिन्टो रोड पर है । परन्तु यह पुराना मुद्रणालय है और इस की क्षमता दिल्ली में सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त पाई गई है । इसलिये सरकार तिलकनगर के पास एक दूसरा मुद्रणालय लगाने की योजना बना रही है और जब यह मुद्रणालय लग जायेगा, तब संसद और सरकारी कार्यालयों के काम को इन दोनों मुद्रणालयों में यथोचित रूप से बांट दिया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का निर्माण

†१०२५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की नई बस्तियों के नजदीक केन्द्रीय सरकार कोई कार्यालय खोलना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). अभी हाल में रामकृष्णपुरम में कार्यालय के लिये दो इमारतों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है । इन दोनों इमारतों पर १.९३ करोड़ रु० की लागत आयेगी और इन में ८ लाख वर्ग फुट जगह कार्यालय के लिये उपलब्ध हो जायेगी ।

गोआ वाणिज्य संघ का शिष्टमंडल

†१०२६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने में किसी समय गोआ वाणिज्य संघ का कोई शिष्ट मंडल उन से मिला था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस की क्या मांगें थीं ; और

(ग) गोआ के व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) शिष्ट मण्डल ने अन्य बातों के साथ (१) जनवरी—मार्च १९६२ के लिय आयात नीति की कार्यान्विति ; (२) उन मदों की संख्या में कमी, जिनके आयात पर प्रतिबन्ध है, और (३) गोआ में जो पारसल आ पहुंचे हैं उनके वितरण की मांग की ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

इलेक्ट्रो-टैकनिकल पोर्सिलेन का निर्माण

†१०२७. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या काश्मीर में मिट्टी के बर्तन बनाने के सरकारी कारखाने में इलैक्ट्रो-टैक्निकल पोर्सिलेन के निर्माण के लिये जम्मू और काश्मीर सरकार तथा इटालिय फर्म के बीच सहयोग की बातचीत का अन्तिम निर्णय हो गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ईरान के साथ व्यापार करार

†१०२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इरान के साथ व्यापार तथा वाणिज्य करार का नवीकरण हो गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी नहीं । एक नये करार के लिये बातचीत चल रही है ।

बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश म यूरेनियम मिलने की संभावना

†१०२९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरेनियम की खुदाई की जरूरतों को पूरा करने के लिये खुदाई के यन्त्र बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश को भेज दिये गये हैं ; और

(ख) इस समय किन-किन स्थानों पर खुदाई हो रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय बिहार में सिंहभूमि की तांबे की पेटी में, आन्ध्र प्रदेश में महबूबनगर जिले में और राजस्थान के उदयपुर, जयपुर और झुंझनूं जिलों में खुदाई का काम हो रहा है जिसमें रेडियो सक्रिय धातुओं के लक्षण दिखाई पड़े हैं परन्तु चालू छानबीन के बाद, जो कि हो रहीं है, ही यह बताया जा सकता है कि इस धातु को वाणिज्यिक ढंग पर निकालने की कितनी सम्भावना है।

निर्यात संवर्द्धन के लिये वित्त योजना

१०३०. श्री रा० बरुआ: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्द्धन के जापानी तरीके का, जिसे अल्प-कालीन वित्त-प्रबन्ध कहा जाता है, जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निर्यात बढाने और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये निर्यात व्यापार के लिये अल्प-कालीन वित्त-प्रबन्ध हेतु कोई कार्यक्रम बनाने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां। जापान में निर्यात के वित्त-प्रबन्ध के लिये दिये जाने वाली सुविधाओं की जांच कर ली गई है।

(ख) इस मामले के बारे में व्यापक रूप से जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

पंजाब म बेरोजगारी का सर्वेक्षण

†**१०३१. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में बेरोज़गारी का हाल में कोई सर्वेक्षण हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में औद्योगिक सहकारी समितियां

†**१०३२. श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अब तक स्थापित की गई औद्योगिक सहकारी समितियों के नाम क्या हैं ;

(ख) कौन-कौन सी समितियां घाटे में चल रही हैं ;

(ग) वे घाटे में क्यों चल रही हैं ; और

(घ) इन सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) त्रिपुरा में १३२ औद्योगिक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के नाम आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और यह जानकारी प्राप्त करने में बहुत समय और श्रम आवश्यक है।

(ख) ५१ समितियां घाटे में चल रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—(१) कारीगर सदस्यों में प्रबन्ध की योग्यता का अभाव (२) उत्पादन और विपणन के आधुनिक तरीकों की जानकारी न होना (३) कच्चे माल के यातायात का ऊंचा व्यय और (४) त्रिपुरा में मजूरी की दर अपेक्षाकृत ऊंची होना।

(घ) त्रिपुरा प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारी इन समितियों के कार्य की देखभाल कर रहे हैं तथा उन्हें आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिये उनका आवश्यक मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। त्रिपुरा के विभिन्न बाजारों में जो बिक्री दूकान तथा कलकत्ता में जो दूकान है वे इन सहकारी समितियों को अपनी वस्तुओं को बेचने के लिय सुविधायें दे रही हैं। केन्द्रीय विपणन संगठन भी इन समितियों से सीधे खरीद कर तथा उन्हें उचित मूल्य पर कच्चा माल देकर उनकी सहायता कर रहा है।

त्रिपुरा में औद्योगिक बस्तियां

†१०३३. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में दूसरी और तीसरी योजनावधि में (१९६१–६२ तक) कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईं ;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक बस्ती में उक्त अवधि में कितने कर्मचारी काम पर लगाये गये ; और

(ग) क्या और कर्मचारियों को काम पर लगाने की कोई गुंजाइश है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो** : (क) एक।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३०० व्यक्ति तथा १९६१–६२ के अन्त तक १८८ व्यक्ति काम पर लगाये गये।

(ग) जब कर्मचारी उपलब्ध हों तो उन्हें काम पर लगाने की गुंजाइश होती है।

मलाया के साथ व्यापार करार

†१०३४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाया के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कोई प्रतिनिधि मण्डल मलाया भेजने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री** (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) मामला विचाराधीन है।

पुरुष और महिलाओं को समान वेतन सम्बन्धी संकल्प

†१०३५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और सामाजिक परिषद् की सामाजिक समिति ने १० जुलाई, १९६२ को एक संकल्प स्वीकार करते हुए पुरुष और महिलाओं के लिये समान वेतन की सिफारिश की थी जिसमें ब्रिटेन, जापान, इथोपिया और आस्ट्रेलिया तटस्थ रहे ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भारत का क्या दृष्टिकोण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां। किन्तु समिति की प्रारम्भिक बैठक में इथोपिया और जापान ने संकल्प के पक्ष में मत दिया था।

(ख) भारत ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया था।

मकान बनाने के लिये गरीब लोगों को ऋण देना

१०३६. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन गरीब लोगों को (जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है) जो अपने घास-फूस के मकानों को खपरैल वाले मकान बनाना चाहते हैं, दीर्घ कालीन ऋण देने के लिये अब कोई योजना है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को घासफूस के मकानों के अस्वास्थ्यकर दशाओं तथा घास-फूस के बढ़ते हुए आवर्तक व्यय की जानकारी है ; और

(ग) क्या सरकार किसी ऐसी योजना को लागू करने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग). ग्रामीण आवास परियोजनाओं की योजनायें, योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले चुनिन्दा गांवों में सुधार करने तथा मकानों की छत बदलने के लिये ऋण देती है जो २० वर्षों में अदा किये जा सकते हैं।

विमानों के इंजनों का आयात

†१०३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मई, १९६२ तक तथा इससे पिछले वर्ष इसी अवधि में ब्रिटेन से आयात किये गये विमानों के इंजन तथा पुर्जों का मूल्य कितना है ; और

(ख) क्या इस आयात में सामान्यत: कमी हुई है और क्या इस कमी के साथ इन वस्तुओं के देशी उत्पादन में उतने ही अनुपात में वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जनवरी से मई १९६२ तक तथा इससे पिछले वर्ष में इसी अवधि में ब्रिटेन से आयात किये गये विमानों के इंजनों और पुर्जों का मूल्य लगभग एक सा अर्थात् क्रमश: १,०२,२०,००० और १,०५,३०,००० रुपय है।

विद्युत निर्माण यूनिट

†१०३८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े औद्योगिक उपक्रमों को अपने विद्युत् निर्माण (यूनिट) स्थापित करने देने का निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ; और

(ग) क्या इस निर्णय के कार्यान्वय के फलस्वरूप बिजली की कमी दूर होने की सम्भावना है?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). निजी औद्योगिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्युत् निर्माण यूनिटों की क्षमता ३० अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक संकल्प के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

(ग) औद्योगिक उपक्रमों के विद्युत् संयन्त्रों की कुल क्षमता में कोई विशेष वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है ।

लन्दन की तिब्बत संस्था द्वारा दी गई छपाई की मशीन

†१०३९. **श्री प० कुन्हन :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन की तिब्बती संस्था ने तिब्बत की दुर्लभ पाण्डुलिपियों और धार्मिक ग्रन्थों की छपाई के लिये एक रौटरी की छपाई मशीन दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मशीन भारत पहुंच गयी है; और

(ग) यदि हां, तो यह मशीन कहां लगाई जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह मशीन तिब्बत की परम्परा व संस्कृति सम्बन्धी केन्द्रीय परिरक्षण संस्था में लगाई जायेगी जो दलाई लामा भारत में किसी स्थान में स्थापित करने का इरादा रखते हैं ।

मनीपुर म औद्योगिक एकक

१०४०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन की नीति औद्योगिक एककों के यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन देने की है अथवा उसे प्रोत्साहन न देने की है ;

(ख) यदि उस नीति यन्त्रीकरण के पक्ष में है तो उन उद्योगों को, जो अतीत में तेल मिल, दाल मिल, चावल मिल, आरा मिल आदि मशीनों से काम करती रही हैं, क्या कोई सहायता दी गयी है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौनसी योजना कार्यान्वित की जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) मनीपुर प्रशासन की नीति औद्योगिक एककों के यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन देने की है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उद्योगों को सरकारी सहायता अधिनियम, १९४९ के अन्तर्गत उपक्रमों को कार्यवाहक पूंजी और मशीनरी की खरीद के लिये सहायता के तौर पर ऋण दिया जाता है। अब तक किसी मिलने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया है।

(ग) सहायता के तौर पर ऋण देने के अतिरिक्त कारीगरों के प्रशिक्षण की योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी हैं।

मनीपुर में ग्राम घानी कुटीर उद्योग

†१०४१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में जुलाई, १९६२ तक ग्राम घानी कुटीर उद्योग तथा हाथ से कुटाई करने वाली कितनी समितियों का पंजीयन किया गया तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) १९६०–६१ और १९६१–६२ में कितना ऋण दिया गया ; और

(ग) अब तक कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत-मोरक्को व्यापार करार

†१०४२ { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-मोरक्को व्यापार करार की अवधि बढ़ाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दो देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य का विकास करने के लिये और कौनसी वस्तुएं करार में शामिल की जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भारत मोरक्को व्यापार करार पर, जो एक वर्ष वैध रहेगा, टैन्जियर्स में ३ अगस्त, १९६२ को हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) करार के अन्तर्गत जिन वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाने वाला है उनकी सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५]**

बागानों में शिक्षक

†१०४३. **श्री नटराज पिल्लै** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि के आयुक्त ने दक्षिण भारत में बागानों के स्कूलों के शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में भाग लेने से वंचित किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई योजना के अन्तर्गत बागानों के शिक्षक कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य नहीं बन सकते। किन्तु शिक्षकों को इस योजना में शामिल करने के लिये अधिनियम में संशोधन करने का इरादा है। यदि मालिक तथा बागान के किसी स्कूल के अधिकांश शिक्षक और अन्य कर्मचारी सहमत हों जाये तो इस बीच वे स्वेच्छा से भविष्य निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय

१०४४. श्री साधू राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९६२ को ग्रेट ब्रिटेन में कितने भारतीय थे ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रेट ब्रिटेन में रहने वाले अधिकांश भारतीय विभिन्न व्यवसायों अथवा कारखानों में काम कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ;

(ग) यदि हां, तो ये भारतीय प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाते हैं और भारत को भेजते हैं ;

(घ) ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र मण्डल आप्रवासन अधिनियम का ऐसे लोगों के भविष्य में ग्रेट ब्रिटेन जाने पर क्या असर पड़ेगा ; और

(ङ) क्या सरकार ब्रिटिश सरकार को इस विषय में उदार नीति अपनाने के लिये तैयार करने हेतु कोई कदम उठा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ग्रेट ब्रिटेन में १ जुलाई, १९६२ को अनुमानतः कुल १,२०,००० भारतीय थे।

(ख) अधिकांश वयस्क व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों और कारखानों में लगे हुए हैं। वे ग्रेट ब्रिटेन में निर्धारित मंजूरी और ओवरटाइम मजूरी कमाते हैं और घर भेजने के लिये सामान्यतः पर्याप्त धन बचा लेते हैं।

(ग) इन भारतीयों द्वारा कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने १९६० और १९६१ में अनुमानतः क्रमशः १२९ और १४३ लाख रुपये भारत भेजे।

(घ) ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्रमण्डलीय आप्रवासन अधिनियम का असर यह होगा कि ग्रेट ब्रिटेन जाकर बसना चाहने वाले भारतीयों की संख्या घट जायेगी।

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का इरादा नहीं रखती।

व्यापार प्रतिनिधिमंडल

†**१०४५. श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में अब तक कितने व्यापार प्रतिनिधिमण्डल विदेश गये;

(ख) क्या प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था ;

---

†मूल अंरेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या सभी प्रतिनिधिमण्डलों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है ; और

(घ) प्रत्येक प्रतिनिधिमण्डल पर कितना धन खर्च हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६]**

गोआ में 'शहीद भवन' १

†१०४६. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गोआ में एक शहीद कक्ष के निर्माण सम्बन्धी किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भिलाई के आसपास सहायक उद्योगों की स्थापना

†१०४७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भिलाई के आसपास कुछ सहायक उद्योग स्थापित करने को सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९७]**

पेंसिल बनाने के कारखाने

१०४८. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पेंसिलें बनाने के कारखानों की संख्या क्या है और इन कारखानों में कितने रुपये की पेंसिलें बनाई जाती हैं ;

(ख) क्या भारत से बाहर भी पेंसिलें भेजी जाती हैं ; और

(ग) इन कारखानों की लागत धन राशि कुल कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के विकास स्कन्ध की सूची के १५ कारखाने (छोटे पैमाने के कारखानों के अतिरिक्त) विभिन्न किस्मों की पेंसिलें जैसे काले सुरमे वाली, रंगीन तथा कापिंग पेंसिलें बना रहे हैं। इनकी कीमत ९ रु० से लेकर ३८ रु० प्रति ग्रुस तक है जो पेंसिलों की किस्म और उनके वर्ग पर निर्भर करती है।

(ख) जी हां।

(ग) इनमें लगी कुल पूंजी के बारे में ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं पर अनुमान है कि वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के विकास स्कन्ध में पंजीबद्ध १५ कारखानों की कुल अचल सम्पत्ति ८३ लाख रुपये होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Martyrs 'Hall

चौथी पंचवर्षीय योजना

†१०४९. **श्री हेडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी शुरू कर दी गई है ; और

(ख) अब तक कितने दल बनाये जा चुके है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) और (ख). योजना आयोग ने १९६१–७६ की अवधि के लिये दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना और विशेष कर चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये परियोजनाय तैयार करने के लिये केन्द्रीय मन्त्रालयों के परामर्श से काम शुरू कर दिया है । अब तक आयोग ने इस्पात, कोयला, बिजली भारी इंजीनियरिंग, बुनियादी रसायन, उर्वरक, परिवहन (जिसमें सड़क, नौवहन और पत्तनों के सहायक दल हैं) और प्रविधिक शिक्षा के लिये दल गठित करने का निर्णय किया है । एक कर्णधार समिति भी, जिसका सभापति योजना आयोग का सचिव तथा विभिन्न आयोजना दलों के सभापति और कुछ अन्य अधिकारी जिसके सदस्य होंगे, गठित करने का निर्णय किया गया है । ये दल बनाये जा रहे है ।

कागज के कारखाने

†१०५०. **श्री बसुमतारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कागज बनाने के ५२ कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो क्या इसके लिये विदेशी मुद्रा दे दी गयी है ;

(ख) नये कारखानों का वार्षिक उत्पादन अनुमानत: कितना होगा ; और

(ग) क्या सरकार मशीनों का निर्माण आरम्भ करने की सोच रही है ताकि अगले पांच वर्षों में देश कागज के मामले में आत्म निर्भर हो जाये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). कागज और 'पल्प' के नये ८८ यूनिटों की स्थापना के लिये, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता ६१२,१२० टन होगी, लाइसेंस दे दिये गये है । ४१ यूनिटों के लिये, जिनकी कुल क्षमता ३०६,३६० टन है, विदेशी मुद्रा दे दी गयी है । २८ यूनिट, जिनकी क्षमता ६९७२० टन है, देशी सन्यन्त्रों और मशीनों से स्थापित किये जायेंगे । शेष १९ यूनिटों को देशी मशीनरी निर्माताओं से अपनी बातचीत पक्की करना है ।

(ग) 'पल्प' और कागज के निर्माण के लिये दस योजनाओं के लिये कारखानों के मशीनों के, जिनकी प्रतिदिन क्षमता ५/१० टन, ५०/६० टन और १०० टन या इससे अधिक क्षमता होगी, लाइसेंस दिये जा चुके है । ये योजनायें कागज कारखानों की मशीनरी बनाने वाले कुछ विदेशी निर्माताओं के सहयोग से कार्यान्वित की जायेंगी । आशा है कि वह मशीनरी उपलब्ध होने पर आगामी वर्षों में कागज उद्योग का विस्तार काफी हद तक देशी मशीनरी की सहायता से किया जा सकेगा ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†१०५१. **श्री बसुमतारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम भारतीय खनिज संस्था के प्रतिनिधियों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के अफसरों के बीच हाल ही में हुई बातचीत के दौरान मैंगनीज अयस्क के लिये दोनों को मान्य कोई निर्यात नीति बनाई गई है,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सीधे तौर पर निर्यात के लिये भी कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). मैंगनीज अयस्क के निर्यात से सम्बन्धित नीति के बारे में एक विवरण संलग्न है।**[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९८]**

सिंगरेनी कोयला खानें

†**१०५२. श्री र० न० रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य खान निरीक्षक ने सिंगरैनी कोयला खदान समवाय के प्रबंधकों को सुझाव दिया है कि ढलान नं० ५ पर माल को पूर्णतया व्यवस्थित रूप से संभाल कर रखें या १० फुट चौड़ी दरार छोड़ें ;

(ख) बाद वाले तरीके से कितने कोयले के नष्ट हो जाने की संभावना रहती है ; और

(ग) क्या सब कोयले को प्राप्त करने के लिये किसी वैकल्पिक तरीके के अपनाये जाने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अक्तूबर १९६० में मुख्य खान नियंत्रक ने प्रबन्धकों को ढलान संख्या ५ में किये दरार में खंभे गाड़ने और पूर्णतया हाइड्रौ लिफ सैंड स्टोइंग करने की अनुमति दी । कुछ समय तक चलने के बाद, प्रबन्धकों ने इस तरीके को जारी नहीं रखा, क्योंकि भूतत्वीय अवस्थाओं में परिवर्तन आ गये थे और खनन सम्बन्धी अन्य कठिनाइयां थीं। इसलिये १९६२ में २ से ३ फुट तक पत्थर समेत १० फुट की दरार छोड़कर केविंग तरीके के द्वारा दरार के दो भागों में एक साथ खंभे खेंचने की अनुमति दी गई।

(ख) अनुमानित हानि २५ परसेंट तक होगी।

(ग) इस समय यह सवाल पैदा नहीं होता ।

शिक्षित बेकार लोगों का प्रशिक्षण

†**१०५३. श्री वारियर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेकार शिक्षित लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना सब राज्यों में कार्यान्वित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रशिक्षित लोगों में से कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं, केवल कुछ राज्यों ने बेकार शिक्षित लोगों के लिये कार्य एवं पुनश्चर्या केन्द्रों की योजना को चला कर देखा है ।

(ख) इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं रोजगार प्राप्त करना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रायपुर-जगदलपुर मार्ग

१०५४. श्री बड़े : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर-जगदलपुर मार्ग जो राजपथ घोषित हो चुका है उसको दण्डकारण्य के अन्तर्गत ले लिय गया है ;

(ख) क्या दण्डकारण्य के अंतर्गत लेने के पश्चात् कुछ रुपये 'मरम्मत' मद के अधीन खर्च किये गये हैं और यदि हां, तो कितने रुपये खर्च किये गये ;

(ग) क्या वह सड़क शीघ्र मरम्मत के लायक हो गई है और उसके ऊपर बने लकड़ी के पुल पुराने होने के कारण सड़क खतरनाक हो गई है ; और

(घ) सरकार उनकी मरम्मत कब से शुरू कराने वाली है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) दिसम्बर, १९५९ में नैशनल हाई वे–४३ के मील ६६/४ से मील १९८/२ तक मार्ग की मरम्मत तथा बेहतर बनाने का काम दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने ले लिया था। मार्ग का कुछ भाग (मील ६६/४ से १४० मील तक) २१ जुलाई, १९६२ को लोक निर्माण विभाग मध्य-प्रदेश को वापिस लौटाया जा चुका है ।

(ख) से (ग) . जानकारी दण्डकारण्य विकास प्राधिकार से मांगी गई है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ में मंडवी में एक पुल का निर्माण

†**१०५५. श्री नाथ पाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ में मंडवी पर एक पुल बनाने की प्लान बनाई है,

(ख) यदि हां, तो पुल की अनुमानित लागत क्या होगी , और

(ग) पुल कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) १,२५,००,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) १९६५–६६ के अन्त तक ।

पाकिस्तानियों द्वारा हमला

१०५६. श्री बागड़ी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और काश्मीर राज्य के इलाका छप में पाकिस्तानियों ने हमला कर के बकरियां और सरकारी स्कूल का सामान और हस्पताल का माल लूट लिया और कुछ सुरंगों का भी वहीं पता चला ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अनुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). रिपोर्ट है कि पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर के मवेशी उठाने वाले लोग २६ और २७ जून को छांब क्षेत्र के देवा गांव से ६ गाएं और ६१ बकरियां चुरा ले गये। जम्मू क्षेत्र में छप नामक कोई गांव नहीं है।

२८/२९ जून के बीच की रात को देवा की सरकारी डिस्पेंसरी में चोरी हुई और चोर एक स्टोव और गैस की लालटेन (पैट्रोमैक्स लैम्प) उठा ले गए। अधिकारियों को इसका पता नहीं है कि किसी सरकारी स्कूल की संपति भी लूटी गई।

२ जुलाई को उसी गांव के एक मकान के पास एक टी० एन० टी० स्लैब पाया गया जिस के साथ एक पटाखा (डिटोनेटर) और आरेंज फ्यूज लगा था।

चुराए हुए जो मवेशी मिल जाते हैं, उनका आदान-प्रदान सामयिक फ्लैग मीटिंगों में किया जाता है। इन मीटिंगों में पाकिस्तान और भारत के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पुलिस ने इन मामलों को जांच-पड़ताल के लिये रजिस्टर कर लिया है।

उत्तम चलचित्रों का निर्माण

†१०५७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये उत्तम चल चित्रों का निर्माण करने के लिये चलचित्र उद्योग को कोई विशेष सुविधायें, वित्तीय या और प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे सुविधाएं क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

चलचित्रों के स्तर में सुधार

†१०५८. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चलचित्रों के मानक को उठाने के लिये चल चित्र उद्योग के सहयोग से सरकार ने कोई कार्रवाई की है, और

(ख) यदि हां, तो वे कार्रवाई क्या हैं और वे कहां तक प्रभावशाली रही हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)**: (क) और (ख). देश में चल चित्रों के मानक को ऊंचा उठाने की दृष्टि से सरकार ने अन्य बातों के साथ निम्न कार्रवाई की है :—

(१) विविध श्रेणियों की सर्वोचय फिल्मों, अर्थात् फीचर, प्रलेखीय, शिक्षात्मक एवं बच्चों के चलचित्रों के लिये सरकारी पारितोषिक रखे गये हैं।

(ख) प्रतिवर्ष बच्चों की फि म संस्था को जो संस्था पंजीयन अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया है, बच्चों की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने वाले चलचित्र बनाने के लिये, सहायक अनुदान दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अच्छे चल चित्रों के निर्माण के लिये ऋण देने के लिये एक चलचित्र वित्त निगम स्थापित किया गया है।

(घ) चलचित्र निर्माण के विविध प्रविधिक पहलुओं का प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय चलचित्र संस्था बनाई गई है।

उपरोक्त उपायों के ठोस प्रभाव का निर्धारण करना कठिन है।

हथकरघा क्षेत्र क उत्पादन में कमी

†१०५९. **श्री र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में कितनी कमी की संभावना है ;

(ख) क्या प्रशुल्क आयोग ने योजना के अन्तर्गत मिल क्षेत्र के लिये, हथकरघा क्षेत्र की कमी की मात्रा तक, कपड़े उद्योग के लक्ष्य को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर प्रशुल्क आयोग का निर्णय क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) दूसरी योजना अवधि के उत्पादन की तुलना में, हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में तीसरी योजना में काफी वृद्धि होने की की आशा है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

नियोगी समिति

†१०६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति समन्वय सम्बन्धी नियोगी समिति ने जो १९५९ में बनाई गई थी, कोई अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) समिति से प्राप्त एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९९]**

नेपाल द्वारा आयात पर शुल्क बढ़ाया जाना

†१०६१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेपाल सरकार ने भारत से आयात किये गये माल पर अधिक शुल्क लगा दिये है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : नेपाल सरकार ने १९६२ के लिये अपनी सीमा शुल्क प्रशुल्क २४ जुलाई, १९६२ से लागू किया है। बहुत सी चीजों पर जो बड़ी मात्रा में भारत से आयात की जाती हैं नवीन-प्रशुल्क के अधीन प्रशुल्क नहीं है जो १९६१ में थे। कुछ दूसरी चीजों पर प्रशुल्क घटा दिये गये थे। बहुत थोड़ी चोजों पर शुल्क या तो बढ़ा दिये गये हैं या १९६१ के शुल्क पर अधिभार, अलग लगा दिया गया है।

विदेशों में भारतीय मिशन

†१०६२. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि विदेशों में ८० भारतीय राजनयिक मिशन विदेशों में बनी स्टाफ कारों का उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सही है कि इन कारों की कीमत विदेशी मुद्रा में दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेश-स्थित राजनयिक मिशनों पर विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये भारत में निर्मित कारों का उपयोग करने पर जोर देने का विचार किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नहीं। ९० मिशनों में से केवल ६१ के पास विदेशों में बनी कारे हैं।

(ख) विदेशों में बनी कारों का मूल्य विदेशी मुद्रा में दिया जाता है।

(ग) कारों की खरीद और बदलने के प्रस्तावों की खूब छानबीन इस दृष्टि से की जाती है कि जहां तक संभव हो विदेशी मुद्रा बचाई जाए। नवीन खरीद की मंजूरी वास्तविक आवश्यकता के मामले से ही दी जाती है। जहां तक संभव होता है, समीपस्थ मिशनों को, विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से, भारत में बनाई या जोड़ी गई कारें/जीपें दी जाती हैं। दूरस्थ मिशनों के बारे में ऐसा करना संभव नहीं होता, क्योंकि (१) वहां कारें भजने पर बहुत लागत आती है और (२) पर्याप्त मरम्मत सर्विस सुविधाओं का अभाव रहता है।

केरल आरनमा देवसोम बोर्ड

†१०६३. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार को केरल अरानमा देवसोम बोर्ड की ओर से इस मांग का अभ्यावेदन मिला है कि देवसोम को केरल कृषि सम्बन्धी सम्बन्ध अधिनियम के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) केरल कृषि विषयक सम्बन्ध अधिनियम में धार्मिक एवं पूर्व संस्थाओं के हितों का रक्षण करने के सम्बन्ध में पर्याप्त उपबन्ध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय निर्यात

†१०६४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत निर्यात को बढ़ाने के लिये निर्यात जोखिम बीमा निगम ने किन दो नवीन वित्त योजनाओं का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) ये दोनों नवीन योजनाएं कब आरम्भ की जाएंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) बीमा की दो नवीन किस्तों में बीमा, जिसे भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात जोखिम बीमा निगम जारी करना चाहता है, ये हैं:

(१) उन निर्यातकों के जोखिम को लेना, जो निर्यात के लिये माल तैयार वाले निर्यातार्थों को धन देते हैं ; और

(२) विदेशी खरीदारों द्वारा माल स्वीकार न किये जाने की जोखिम को लेना ।

(ख)(क)(१) की योजना पहले ही जारी है और (क)(२) की योजना शीघ्र ही जारी की जाएगी ।

सीतानाला कोयला खान में दुर्घटना

†१०६५. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्र में प्रकाशित इस खबर की ओर दिलाया गया है कि २० जुलाई, १९६२ को सीतानाला कोयला खान (धनवाद से २० मील दूर) में छत गिर जाने के कारण बहुत से कर्मचारी जीवित दब गये और मर गये ।

(ख) कितने कर्मचारी मरे और कितने घायल हुए;

(ग) दुर्घटना के कारण क्या थे और वह रोकी क्यों नहीं जा सकी ;

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में कोयला खानों की कितनी दुर्घटनाएं हुई , ताकि यह पत लगे कि दुघटनाएं बढ़ रही है या घट रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). १९ जुलाई, १९६२ को सीतानाला कोयला खदान में एक दुर्घटना हुई जिसके फलस्वरूप छः कर्मचारी मर गये और एक घायल हो गया ;

(ग) दुर्घटना का कारण यह था कि छत से बहुत से पत्थर गिर गये । दुर्घटना इस कारण हुई प्रतीत होती है कि उस स्थान को ढंग से सहारा प्राप्त नहीं था ।

(घ) कोयला खान विनियम १९५७ (विनियम १०२ और १०८) में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिये पर्याप्त परित्राण दिये गये हैं । वर्तमान दुर्घटना उन परित्राणों के पालन न किये

†मूल अंग्रेजी में

जाने के कारण हुई प्रतीत होती है । इस के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का विचार है :

(ङ)	वर्ष	खनिकों की संख्य	दुर्घटनाओं की संख्या
	१९५९	३,८३,७६१	१९१
	१९६०	३,९७,४२२	१९८
	१९६१	४,१५,०००	२२२
		(अस्थायी)	

सहकारी पटसन मिल

†१०६६. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, आसाम, बिहार और उत्तरप्रदेश, के राज्यों में सहकारी पटसन मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,;

(ख) क्या उड़ीसा में एक पटसन मिल स्थापित करने की कोई योजना सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाईशाह)** : (क) आसाम में प्रस्तावित सहकारी पटसन मिल के ३ लाख, जिसके लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जा चुका है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

गुड़ की मंडी, दिल्ली

१०६७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़ की मंडी में निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा और वहां जगह देने की क्या पद्धति अपनाई गई है ;

(ख) निमड़ी गांव के क्वार्टर अलाट करने के लिये कब तक तैयार हो जायेंगे ;

(ग) गुड़ की मंडी के १७० परिवारों को जो अस्थायी कैम्पों में भी चले गये हैं, क्वार्टर अलाट हो जाने के बाद शेष परिवारों के लिये क्या व्यवस्था की जायेंगी ;

(घ) क्या शेष १८७ परिवारों को निमड़ी गांव में क्वार्टर दिये जायेंगे जैसा कि नगर निगम ने अनुमोदन कर दिया है ;

(ङ) यदि हां, तो कब तक और निमड़ी गांव के क्वार्टरों की कितनी कीमत है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या ये क्वार्टर किराया खरीद के आधार पर अथवा कम किराये के आधार पर दिये जायेंगे ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क), से (च). गुड़ की मंडी में भूमि के विकास तथा उस पर मकान बनाने की मंजूरी, केवल ६ अगस्त, १९६२ को दिल्ली नगर निगम को भेजी गई थी। अभी यह बताना संभव नहीं कि क्वार्टर अलाटमेन्ट के लिये कब तैयार होंगे और उनको अलाट करने की क्या पद्धति होगी।

(ग) और (घ). दिल्ली नगर निगम ने यह निर्णय किया है कि जिन विस्थापित परिवारों को गुड़ की मंडी में आवास स्थान नहीं दिया जा सकेगा उनको ढक्का ग्राम के पीछे वाले क्षेत्र या निमड़ी ग्राम में आवास स्थान दिया जायेगा जिसका विकास होना प्रस्तावित किया गया है।

मंगलौर में अल्युमीनियम फैक्टरी

†१०६८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर में एक अल्युमिनियम फैक्टरी लगाने के लिये लाइसेंस दिया है ;

(ख) क्या प्रस्ताविक फैक्टरी गैर सरकारी क्षेत्र में होगी ;

(ग) यदि हां, तो लाइसेंस किस को दिया गया है ;

(घ) किन कारणों से सरकार ने बंगलौर में ही फैक्टरी लगाने का फैसला किया ; और

(च) इस परियोजना पर कितना परिव्यय होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी नहीं। भारत सरकार को मंगलौर (मैसूर) में एक अल्युमिनियम फैक्टरी लगाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) से (च). सवाल पैदा नहीं होता।

वेनियमकुलम, केरल में चपड़ा प्रशिक्षण संस्था

†१०६९. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि वेनियमकुलम, पालाघाट, जिला, केरल की कपड़ा प्रशिक्षण संस्था वहां से हटा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कहां लगाई गई है ; और

(ग) ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) यह केन्द्र वेनियमकुलम से हटा दिया गया है और त्रिचूर के जूता बनाने के विस्तार केन्द्र के साथ मिला दिया गया है ?

(ग) निम्नलिखित कारणों से केन्द्र मिलाया गया है :—

(१) केन्द्र को चलाने का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला ;

(२) इस का स्थान उपयुक्त न होने के कारण, इस केन्द्र में कपड़ा उद्योग के विकास के लिये कम संभावनाएं थीं ।

(३) वेनियमकुलम से ८ मील की दूर पर शोरानूर में एक विस्तार केन्द्र है,

(४) विस्तार सेवा सुविधाओं के दृष्टिकोण से, त्रिचूर के मूल केन्द्र के साथ इस केन्द्र को मिलाने का यह अर्थ नहीं कि वेनियमकुलम में इनवि सुधाओं के मिलने में कोई कमी है ।

(५) केन्द्र को त्रिचूर के विस्तार केन्द्र के साथ मिलाने से उस क्षेत्र के छोटे उद्योगपतियों को बहुत अधिक सेवाएं प्राप्त होंगी ।

कम आय वर्ग के लोगों को दिये गये ऋणों पर ब्याज

†१०७०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है कि कम आयु वर्ग के लोगों के ऋणों पर ब्याज के नियमों में कुछ नर्मी कर दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं । दिल्ली कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।।

(ख) क्योंकि ब्याज में कमी करने का अर्थ-सहायता देना होगा जिसका योजना में उपबन्ध नहीं है, ऋण लेने वालों को बताया गया है कि उन्होंने जो बन्धक लेख लिखे थे उन के निबन्धनों के अनुसार ब्याज दिया जाना है । तथापि जहां ऋण लेने वाले लोग बाद में कम अवधि में ऋण अदा करने की इच्छा करें, सरकार ने अदायगी की शेष अवधि के लिये कम दर पर ब्याज लेना स्वीकार कर लिया है ।

पश्चिम पाकिस्तान के गुरुद्वारों को जाने वाले भारतीय

†१०७१. **श्री जूटा सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान में गुरुद्वारों में जाने के लिये पंजाब में अकाली दल के सदस्यों पर कोई रुकावट है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पंजाब के किसी जिला मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को हिदायतें दी हैं कि वे यह बताएं कि क्या उपरोक्त (क) में उल्लिखित कार्य के लिये पारपत्र मांगन वाला व्यक्ति अकाली दल का सदस्य है या नहीं;

(ग) यदि हां, तो इन रुकावटों के कारण क्या हैं ;

(घ) क्या भारत सरकार को जून या जुलाई १९६२ में पंजाब से, इन रुकावटों को हटाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ; और

(ङ) यदि हां, कब और किसकी ओर से तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). डिप्टी कमिश्नर, अमृतसर ने, नकि जिला मैजिस्ट्रेट ने, यह पूछताछ की थी, किन्तु किसी व्यक्ति को केवल उसके दल गत सम्बन्ध के आधार पर पारपत्र देने में किसी भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं था। सामान्य तरीका यह जानने का है कि विदेश में किसी व्यक्ति की गतिविधि के हमारे राष्ट्रीय हित को हानि न पहुंचे।

(घ) और (ङ). प्रधान मंत्री को श्री हरबन्स सिंह गुजराल, अकाली दल के कानूनी सलाहकार ने जुलाई, १९६२ में एक पत्र लिखा था। श्री गुजराल को बताया गया कि किसी व्यक्ति या दल के विरूद्ध कोई भेदभाव करने का विचार नहीं है अपितु सभी लोगों को पारपत्र दिये जाने से पूर्व उनके नेकनियती जानने का साधारण तरीका है ।

नागालैंड में कुटीर उद्योगों का विकास

†**१०७३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालड में कुटीर उद्योगों के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस कार्यक्रम की अनुमानित लागत कितनी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). नागालैंड में कुटीर उद्योगों के विकास की योजना नागालैंड की तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक अंग है । उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कच्चे माल की सप्लाई बढ़ा कर, निर्माण की अधिक अच्छी प्रणालियां लागू कर और बिक्री की अधिक सुविधायें देकर उत्पादन बढ़ाया जाये। १९६१–६६ के दौरान कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने आरम्भ में ५ लाख रुपये के खर्च की मंजरी दी थी। इसमें से ८०,००० रुपया प्रशिक्षण के लिए, १२०,००० रुपया राज सहायता के लिए और ३००,००० रुपया ऋण के लिए नियत किया गया था । १९६१–६२ में ८०,००० रुपया खर्च किया जा चुका है और ३१७,००० रुपये का खर्च चालू वर्ष के लिए मंजूर किया गया है। योजना की अवधि में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए निधि बढ़ाने की आवश्यकता की छानबीन नागालैंड प्रशासन अलग से कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कनवेयर बेल्ट्स का निर्माण

†१०७४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कनवेयर बेल्ट्स केवल डनलप एण्ड गुड ईअर कम्पनियों द्वारा ही तैयार किये जाते हैं और उनकी कीमत दुनिया के बाजार में मौजूदा कीमत से ५० से १०० प्रतिशत अधिक रखी गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी नहीं। जहां तक कि सरकार को मालूम है, मेसर्स डनलप रबर कम्पनी आफ इंडिया के अतिरिक्त, दूसरी चार फर्में कनवयर बेल्ट्स तैयार कर रही हैं। मेसर्स गुड ईअर टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इंडिया इन्हें तैयार नहीं करतीं। विभिन्न प्रकार के केनवेयर बेल्ट्स तैयार करने की छः और योजनाएं भी सरकार ने मंजूर कर ली हैं और इनके कार्यान्वित होने पर इन बेल्टों की कीमतें संभवतः गिर जायेंगी।

बिड़ला हाउस को गांधी स्मारक बनाना

१०७५. **श्री बागड़ी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला हाउस को महात्मा गांधी स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). नहीं। परन्तु बिड़ला हाउस के बगीचे का एक भाग, जहां गांधी जी की हत्या हुई थी, बाड़ लगा कर घेर लिया गया है और उसे बाकी मकान से अलग कर दिया गया है, जिससे लोगों को उस स्थान को देखने की उचित सुविधा प्राप्त रहे।

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

१०७६. **श्री उटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के सहायता कोष में सन् १९६१ में कितनी रकम प्राप्त हुई ; और

(ख) उक्त कोष से नवम्बर और दिसम्बर, १९६१ एवं जनवरी और फरवरी, १९६२ में कितनी-कितनी रकम किस-किस संस्था को दी गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९६१ में (१ जनवरी, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक) प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में जो अनुदान प्राप्त हुए उनका जोड़ रुपए ३०,४७,३२८.३१ नए पैसे था।

(ख) १ नवम्बर, १९६१ से २८ फरवरी, १९६२ तक की अवधि में प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में से जो अदायगियां की गईं उनकी एक फहरिस्त सदन के पटल पर रखा जाती हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १००**]

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानकों को बोनस

१०७७. **श्री उटिया** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश स्थित शहडोल जिले के अन्तर्गत स्थित कोयला खानों के मजदूरों को सन् १९६० एवं १९६१ में कितना बोनस दिया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : सन् १९६० एवं १९६१ में अदा की गई बोनस की रकम इस प्रकार हैं :—

	अदा किया गया बोनस
	रुपए
(१) १९६०	१२,२३,१२०.३ नये पैसे
(२) १९६१	१२,५३,१५८.२ नये पैसे

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी

†१०७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा कच्ची फिल्म परियोजना के निर्माण में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : कारखाने की इमारतें बनाने का काम सन्तोषपूर्ण ढंग से चल रहा है । मेसर्स बॉशेट एण्ड कॉइ द्वारा सप्लाई की जाने वाली विदेशों से मंगायी गयी मशीनें और साजसामान कारखाने की जगह पर पहुंचना शुरु हो गया है । अग्रिम जलसंभरण संयंत्र पूरा हो चुका है और कारखाने को पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन डाली जा रही है । पानी लेने के बुर्ज (इनटेक टावर) के लिए ठेका दिया जा चुका है और काम जारी है । निर्माण-कार्य के दौरान बिजली सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए २५० किलोवाट का एक अस्थायी छोटा बिजलीघर बनाया गया है। उस बिजलीघर के उपकरण के लिए आर्डर दे दिये गये हैं। एक छोटी ऋतु विज्ञान शाला (मेट्रालाजिकल आब्जर्वेटरी) और परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गयी है ताकि वाणिज्यिक उत्पादन से पहले उत्पादों और कच्चे माल पर नियंत्रण रखा जा सके। १५ इंजीनियर फ्रांस से अपना प्रशिक्षण पूरा कर के लौट रहे हैं और कुछ दूसरे लोग अगले दो महीने में संभवतः लौटेंगे ।

हथ करघा कपड़े का इकट्ठा हुआ स्टाक

†१०७९. **श्री उमानाथ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हथकरघा कपड़े का बहुत अधिक स्टाक इकट्ठा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी निकासी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मद्रास राज्य में फिलहाल कितना स्टाक है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकार को किसी भी राज्य में हथकरघा कपड़े के किसी स्टाक के इकट्ठा हो जाने के बारे में सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नागरिक जीवन में सुधार

†१०८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोजना आयोग ने अभी हाल में ऐसी कोई योजना निश्चित की है जिसके अधीन देश में नागरिक जीवन में सुधार करने की आयोजना में नगर संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). नगरपालिकाओं जैसी नगर संस्थाओं को अब तक बनायी गयी योजनाओं से सक्रिय रूप से सम्बद्ध नहीं किया गया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गयी सिफारिश के अनुसार, तीसरी योजना की अवधि में प्रारंभिक कार्यवाही आरंभ की जाती है ताकि आयोजन के अगले दौर में यथासंभव अधिक से अधिक नगर और शहर जिनकी आबादी १ लाख या उस से अधिक हो, आलोचना की योजना से संबद्ध किये जा सकें । आयोजन आयोग ने अभी हाल में इस दिशा में प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया है ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

†१०८१. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकट्ट :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ;

(ख) जिन संस्थाओं को ऋण मिलते हैं उन के पदाधिकारियों को बोर्ड का पदाधिकारी न बनाया जाय इस के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) वर्तमान बोर्ड में ऐसे कितने पदाधिकारी हैं और दूसरी योजना की अवधि में उन्हें कितना ऋण दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड १ अगस्त, १९६२ से पुनर्गठित किया गया था ।

(ख) ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों को बोर्ड के पदाधिकारी बनाये जाने पर पाबन्दी लगाने के प्रश्न पर और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड संबंधी प्राक्कलन समिति अन्य सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्तमान बोर्ड में ऐसे दो पदाधिकारी हैं। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने उन्हें किसी समय कोई ऋण नहीं दिया था।

कार्मिक संघ

†१०८२. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कर्मचारियों और मालिकों के प्रतिनिधियों के एक दूसरे की सहमति से एक एकक में एक ही कार्मिक संघ को मान्यता देने की प्रथा कायम की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था वहां किस प्रकार चल रही है ; और

(ग) क्या मजदूर संघों की मान्यता के विषय में राष्ट्रीय स्तर पर उसी प्रकार का ढांचा अपनाया जा सकता है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) बिहार सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कसौटियों को जो अनुशासन संहिता के अधीन उल्लिखित हैं, मजदूर संघों की मान्यता के लिए मालिकों और कर्मचारियों के सभी केन्द्रीय संगठनों ने स्वीकार कर लिया है।

नया बैरकपुर में बसाये जाने वाले शरणार्थियों के लिए जमीन

†१०८३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नया बैरकपुर, २४ परगना के कोदलिया—आगापुर—मसुन्दा क्षेत्र में तम्बुओं में अब भी रहने वाले शरणार्थियों के लिए जमीन कहां तक प्राप्त कर ली गयी है ; और

(ख) उन्हें जमीन और मकान बनाने के लिए ऋण कब तक मिल सकेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

श्रीलंका में भारतीय

१०८४. **श्री विश्वनाथ पडेय :**
श्री बागड़ी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भारतीय राष्ट्रजनों की कितनी संख्या जिन्हें श्री लंका की सरकार राज्यहीन व्यक्ति घोषित कर रही है और जिन्हें श्री लंका की नागरिकता देने से इंकार कर दिया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जिन भारतमूलक लोगों ने श्री लंका अथवा भारत की नागरिकता के लिए अर्जियां दी थीं लेकिन जिन्हें न तो श्रीलंका का और न भारत का नागरिक माना गया है, और इस तरह जो 'राज्य हीन' बन

†मूल अंग्रेजी में

गए हैं, उनकी कुल संख्या ७०२,०१६ है । श्री लंका सरकार ने इन में से श्री लंका की नागरिकता के लिए जिनकी अर्ज़ियां रद्द कर दीं, उनकी संख्या ६९१,९७५ है । एस्टेटों में ख़ास तौर से कुछ ऐसे लोग है, जिन्होंने न तो श्रीलंका और न भारत की नागरिकता के लिए अर्ज़ियां दीं थीं लेकिन वे लोग भी वास्तव में शायद 'राज्यहीन' ही हों । ऐसे लोगों की संख्या मालूम नहीं है ।

बंगलौर और धारवाड़ में आकाशवाणी केन्द्र

†१०८५. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और धारवाड़ में आकाशवाणी केन्द्रों के लिये स्थायी इमारतों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में जो कार्यवाही की है, उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) और (ख). बंगलौर में ट्रांसमीटर और रिसिविंग सेन्टर पहले से ही स्थायी इमारतों में हैं । धारवाड़ में १० किलोवाट के नये मीडियम वेव ट्रांसमीटर और रिसिविंग सेन्टर के लिए स्थायी इमारतों की व्यवस्था तीसरी पंच-वर्षीय योजना में की जा रही है । बंगलौर और धारवाड़ में स्टूडियो किराये की इमारतों में स्थापित किये गये हैं । इन स्टूडियो के लिये स्थायी इमारतों के निर्माण की कोई व्यवस्था तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं है ।

अल्जीरियाई शरणार्थियों को सहायता

†१०८६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन अल्जीरियाई शरणार्थियों को जिन्हें मोरक्को से अपने देश वापिस लौटाया जा रहा है, अभी हाल में सहायता के लिए तम्बू , दवाइयां और कई दूसरी चीजें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन कौन सी खास खास चीजें भेजी है ; और

(ग) जो चीजें भेजी गयी हैं ; उनका कुल मूल्य कितना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :

(क) जी हां ;

(ख) चीनी
बच्चों के कपड़े
तेम्बू और
दवाइयां (विटामिन बी काम्प्लेक्स इन्जेक्शन और टेब्लेटस्, क्लोरम कैपसूल्स, स्टेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि) ;

(ग) ९०,००० रूपया ।

हथकरघा उद्योग

†१०८८. **श्री शामलाल सर्राफ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बनाये जाने के बाद से देश में हथकरघा उद्योग की सहायता करने के लिए उस ने क्या प्रभावोत्पादक कार्यवाही की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उसके कार्यक्षेत्र में सहकारी और गैर-सहकारी एकक, संगठन और संस्थाएं इस बोर्ड के अधीन आ जाती हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हथकरघा उद्योग को नया रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की जाये इस बारे में सरकार को सलाह देने के लिए अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड १९६२ में बनाया गया था । तब से हथकरघा उद्योग की सहायता देने और उसकी उन्नति करने के लिए अनेक कार्य किये गये हैं और काफी अच्छी प्रगति हुई है । जिन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये वितीय सहायता दी जाती है उनका उल्लेख संलग्न अनुबन्ध में दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १०१]** ।

(ख) ऋण और अनुदान केवल बुनकर सहकारी समितियों को ही दिये जाते हैं । निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं सभी बुनकारों पर लागू की गयी हैं ।

केरल से मछली का निर्यात

†१०८९. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बर्फ की कमी के कारण केरल से मछली का निर्यात मंद पड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी नहीं । सरकार की जानकारी यह है कि चूंकि अधिक अच्छी शीत भांडागार-सुविधाओं और बर्फ की अधिक सफाई से निर्यात में वृद्धि होगी और इस कारण केरल सरकार कोचीन में एक फ्रीज़िंग कम-आइस प्लान्ट स्थापित कर रही है इसलिये बर्फ की कमी के कारण निर्यात बन्द नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत अधिसूचना

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत ४ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या ८/२६/६२—इम्प में प्रकाशित अखबारी कागज नियन्त्रण (दूसरा संशोधन) आदेश १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३६/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

कागज के मूल्यों सम्बन्धी सरकारी संकल्प

†**श्री कानूनगो :** में कागज की कीमतों सम्बन्धी २१ जून, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या सी० एच०(१)—१७(१३०)/६० की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३७/६२)**

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत अधिसूचना

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** में खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत ४ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५१ में प्रकाशित खनिज रियायत (तीसरा सशोधन) नियम १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३८/६२]**

सदस्य की दोष सिद्धि

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे जिला सुपरिंटेंडेंट, बेल्लौर से १७ अगस्त, १९६२ का निम्न तार मिला है :

> "श्री धर्मलिंगम, सदस्य लोक सभा को वेल्लौर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा १४३ और १४१ तथा दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत दोषसिद्धि किये जाने और उन्हें एक सप्ताह की सख्त कैद की सज़ा दिये जाने पर १६ अगस्त, १९६२ को बेल्लौर की केन्द्रीय जल में रख दिया गया है ।"

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंहा):** आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि २० अगस्त, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिया जाने वाला कार्य यह होगा :

(१) आज के आदेश-पत्र में से बची हुई किसी मद पर चर्चा, जिस पर कुछ चर्चा हो चुकी हो ।

(२) अणुशक्ति विधेयक, १९६२ और भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार और उनका पारित किया जाना ।

(३) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों पर चर्चा, जो क्रमश: ८ अगस्त, १९६० और २४ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये थे ।

(४) अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार तथा पारित किया जाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) निर्वाचन का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में रूपभेद करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे विचार ।

(६) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में श्री नाथपाई के द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

(७) सोमवार, २० अगस्त, १९६२ को ३ म० प० बजे श्री बागड़ी और श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा उठाये जाने पर मिलावटी और नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर चर्चा ।

(८) बुधवार, २२ अगस्त, १९६२ को ३ बजे म० प० श्री राम रतन गुप्त तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन पर लेखापरीक्षित लेखे सहित, जो १२ दिसम्बर, १९६० को पटल पर रखा गया था, चर्चा ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२-६३

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सदन वर्ष १९६२-६३ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनदानों की अनुपूरक के मांगों पर चर्चा आरम्भ करेगा ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** मांग संख्या २ और १७ के सम्बन्ध में दो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं । यह राशि १७ लाख की है । मांग संख्या २ केअन्तर्गत अनुपूरक मांग १२ लाख की है जो विभिन्न रेलों पर पांच सर्वेक्षण करने और ५२५ मील की दोहरी लाइन बनाने के लिये ताकि कोयला परिवहन की वृद्धि की जा सके । क्योंकि उत्पादन लक्ष्य ९७० लाख टन से १०१ लाख टन कर दिया है । यद्यपि यह तीसरी योजना के अन्त तक जा कर सफल होगा । खड़गपुर से विजयानगरम तक की २६० मील की लाइन का दोहरा किया जाना बड़ा जरूरी है । पूर्वी घाट पर दक्षिणी रेलवे के सर्वेक्षण का कार्य बहुत ही कठिन होगा ।

छटी मद लगभग ५० मील की साइडिंग पर यातायात सर्वेक्षण की है । इससे अयस्क डिपूओं को लाभ पहुंच सकेगा । इसका हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इशारा किया था । मांग संख्या १७, ५ लाख रुपये की है यह भी लाइनों को दोहरा करने के लिये है । कोयला परिवहन को प्रोत्साहन दिया जायेगा । लोक लेखा समिति ने भी अपने ४०वें प्रतिवेदन में इसके लिये सिफारिश की है । अतः इस लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

वर्ष १९६२-६३ के लिये रेलवे की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	१२,००,०००
१७	चालू लाइनों पर निर्माण कार्य—प्रतिस्थापन	५,००,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : मैं अपना भाषण मांग संख्या १७ तक सीमित रखूंगा। मैं इस का समर्थन करता हूं कि न्तु एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बोंडामंडा-डुमारो निर्माण कार्य पर लगे हुए कर्मचारियों का निर्माण भत्ता बन्द कर दिया गया है यद्यपि पहले यह तय हो गया था कि वह लाइन के सामान्य यातायात के लिए खुल जाने पर ही लागू होगा। मेरा निवेदन है कि इस लाइन पर कोई गाड़ियां नहीं आ जा रही हैं।

सरकार को उन कर्मचारियों तथा डी० बी० के० परियोजनाओं में लगे हुए कर्मचारियों को वह भत्ता दिलाना चाहिये। यह भत्ता २० अप्रैल, १९६१ को बन्द किया गया था। इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाना चाहिय कि यह क्यों बन्द किया गया था।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मांग संख्या २ के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं कि सर्वेक्षण एवं निर्माण की प्राथमिकताएं कैसे निश्चित की जाती हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में कई साल से कोई लाइन नहीं बनी। कारवार क्षत्र में कम से कम सर्वेक्षण अवश्य कराया जाना चाहिये ताकि वहां भविष्य में लाइने बनने की आशा की जा सके। यह क्षेत्र बन्दरगाह, बिजली, इमारती लकड़ी और जनशक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

†**श्री प्र० के० देव** : (कालाहांडी) : डी० बी० के० रेलवे परियोजनाओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है और हमारे लिए लौह -अयस्क निक्षपों के निर्यात के कार्यक्रम का पालन करना संभव नहीं हो रहा है।

कोट्टवलासा–वैलाडिलला लाइन को और आगे बढ़ाना चाहिये तथा उसे बल्लरशाह अलग मध्य रेलवे के बर्धा–बिजयवाड़ा विभाग के सीरपुर स्टेशन से मिला देना चाहिये। सरकार को यह विचार करना चाहिये कि क्या वैलाडिल्ला से बल्लरशाह तक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

यदि तलचेर लाइन और किरूबूरू लाइन के बीच के ६० मील के अन्तर को मिलाया जा सके तो परादीप पत्तन का भली प्रकार विकास हो सकता है जिससे लौह-अयस्क के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

आशा है कि खड़गपुर और विजयनगरम् के बीच के सेक्शन की लाइन को दोहरा करने का कार्य शुरू किया जायगा, उस से कोयले के परिवहन में सुविधा होगी। नागपुर–हावड़ा लाइन को दोहरा बनाने के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। यह १९६३ के निर्धारित समय तक पूरा नहीं हो सकेगा, यदि इस रफतार से काम जारी रहा। यह काम अवश्य समय पर पूरा किया गया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री योगन्द्र झा।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ फ़ार ग्रान्टस (जनरल) पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मुझ को तो यह बात नहीं बताई। श्री शिवमूर्तिस्वामी।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, अभी तीन ही महीने हुए, जब कि इस सदन में रेलवे का बजट पास किया गया था। सरकार की ओर से जो ग़लत अन्दाज़ा लगाने की वजह से आज सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ पेश की गई हैं, उस का मैं विरोध करता हूं। फिर भी चूंकि इन डिमांड्ज़ में नई

†मूल अंग्रेजी में

लाइन्ज़, ओपन लाइन वर्क्स और सरवेज़ के बारे में आंकड़ दिये गए हैं, इसलिए उनका स्वागत करते हुए अपने राज्य तथा क्षेत्र के बारे में दो चार बातें कहना चाहता हूं ।

यह अफ़सोस की बात है कि भारतवर्ष एक मुल्क होते हुए भी नई लाइन्ज़ डालने और सरवे का काम तमाम स्टेट्स में एक सा नहीं हुआ है। आप को यह जानकर ताज्जुब होगा कि हालांकि तीन पंच-वर्षीय योजनायें गज़र गईं, लेकिन मैसूर स्टेट में अर्थात् कर्नाटक में अभी तक एक भी मील रेलवे लाइन बिछाने का काम नहीं हुआ है और ऐसा कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हर वजत पर डिस्कशन के समय और हर सवाल में हम इस बात का ज़िक्र करते हैं कि उस क्षेत्र में रेल-व्यवस्था की बहुत सख़्त ज़रूरत है, जहां पर खाने हैं, आयरन -ओर पाया जाता है और जहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मैं तुंगभद्रा के उस क्षेत्र से आ रहा हूं, जहां बहुदत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि वहां पर एक मील भी रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ हैं ।

माननीय सदस्य, श्री आल्वा ने कारवाड़ के बारे में आप के सामने अपने विचार रखे हैं। वहां पर रेल-व्यवस्था को डेवलपमेंट करना न सिर्फ़ मैसूर के लिये बल्कि सारे मुल्क के लिए अशद ज़रूरी है ।

सरकार की ओर से जो पूना से मिरज तक बड़ी लाइन डालने का विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार गुन्तकल से हास्पेट तक बड़ी लाइन डालने के सम्बन्ध में सरवे हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम गुन्तकल से हुबली तक और पूना से हुबली तक ब्राडगेज लाइन बिछाने की व्यवस्था की जाय, नहीं तो यह योजना बिल्कुल बेकार होगी ।

मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि रेल-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह विभाग बहुत सालों से पिछड़ा हुआ है और ट्रांस्पोर्ट की उचित सुविधा न होने की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और व्यापार को जो नुक्सान हो रहा है, उस को पूरा करने के लिये यह अहाद जरूरी है कि जल्द से जल्द यह सरवे का काम शुरू कर के कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र की रेल-व्यवस्था को उन्नत करने का प्रयत्न किया जाये ।

मुल्क के दूसरे भागों में हजारों मील रेलवे लाइन डाली गई हैं, लेकिन हमारे यहां दस मील रेलव लाइन भी अगर न बिछाई गई, तो यह उचित न होगा। इस कारण दक्षिण भारत में यह फ़ीलिंग पैदा हो रही है कि उत्तर भारत में, या अन्य कुछ प्रान्तों में, रेलवे का ज्यादा काम किया जा रहा है और हमारे यहां एक मील भी रेलवे-लाइन नहीं बिछाई जाती है, उस का क्या कारण है। हम लोगों से पूछा जाता है कि आप इस सदन में जा कर क्या करते हैं।

लिहाज़ा इस कमी को पूरा करने के लिये यह ज़रूरी है कि या तो इन सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ में या दूसरी सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ में जल्द से जल्द यह सरवे का काम हाथ में लिया जाय। माननीय मंत्री को यह नहीं समझना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र की ही बात करते हैं, बल्कि उनको अनुभव करना चाहिये कि मैसूर में एक मील रेलवे-लाइन भी न बिछाकर कर्नाटक-वासियों के साथ स्टेपमदरली ट्रीटमेंट हो रहा/है। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझाव पर ग़ौर किया जायगा।

इतनी ही प्रार्थना करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : ओं सनो बंधुर्जनिता सविधाताधामानिवेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतंमानशानास्तृतीय धामन्न ध्यैरयन्त :।

अध्यक्ष महोदय रेलवे का बजट पहले ही बहुत है। उस के लिए और अनुदान स्वीकार करने का अर्थ देश को अति हानि पहुंचाना है। रेलवे में पहले ही इतनी फिजूलखर्ची है, जिसका कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता ।

जैसे सरकार के औरविभाग शहरों की तरफ़ ही देखते हैं,गांवों की तरफ़ उन्होंने आंखें बन्द कर रखी होती हैं, उसी तरह रेलवे विभाग ने भी गांवों की तरफ़ आंखें बिल्कुल बन्द कर रखी हैं। चश्मा होते हुए भी वह उन की तरफ देखता नहीं है । मैं आपको दिल्ली से अम्बाला, अम्बाला से सहारनपुर . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किस पर बोल रहे हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : अनुपूरक मांगों पर ?

अध्यक्ष महोदय : कौन सी डिमांड पर ?

श्री रामेश्वरानन्द : रेलवे की ।

अध्यक्ष महोदय : रेलवे की कौन सी डिमांड पर ? सदन के सामने दो ही डिमांड्ज़ हैं २ और १७। माननीय सदस्य किस पर बोलना चाहते हैं। ?

श्री रामेश्वरानन्द : १७ पर।

†**अध्यक्ष महोदय** : १७ तो सिर्फ़ डवलिंग के बारे में है। ख़ैर, माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहें, पांच मिनट में कह दें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं उतना ही समय लूगा। मुझे अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है।

मैं कह रहा था कि जितनी अधिक से अधिक सुविधा दी जाती है वह शहरों की तरफ़ दी जाती रही है। पीछे मैंने यहां पर प्रश्न पूछा था कि अम्बाला से दिल्ली तक डबल लाइन की जायगी या नहीं, तो उत्तर मिला था कि अभी एसा कोई विचार नहीं है। आप देहाती क्षेत्रों के स्टशनों को जा कर देखिये। वहां पर ऐसी स्थिति है कि गर्मी, सर्दी और वर्षा में लोगों को सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। उन के लिए छाया का प्रबन्ध नहीं है। वहां पर कोई विश्रामालय नहीं है। इस प्रकार से दुर्व्यवस्था है —जो फाटक हैं, उन को आप जा कर देखें। उनकी ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। घंटों गाड़ियां खड़ी रहती हैं। घंटों बेचारे यात्री खड़े रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : फाटकों का तो इस समय सवाल नहीं है। माननीय सदस्य कुछ वक्त इन्तजार करें। जब रेलवे के बजट पर विचार होगा, तो उस समय वह ये बातें कह सकते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : बहुत अच्छा।

मैं कह रहा था कि लाइनों को डबल किया जाना चाहिये, परन्तु देहातों का भी ध्यान रखना चाहिये। पानीपत की लाइन बड़ी देर पहल अंग्रेज के वक्त चला करती थी। अभी तक उस का थोड़ा सा टुकड़ा बना है, बाकी ज्यों का त्यों बीच में पड़ा हुआ है। वे बनाई तो जाए। किन्तु पैसा ले लिया जाता है, पैसा स्वीकृत तो करा लिया जाता है मगर उस तरफ ध्यान बहुत कम दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वरानन्द]

मैं चाहता हूं कि शहरों की अपेक्षा देहातों को अधिक लक्ष्य में रखा जाना चाहिये। रेलें देहातों के सिर पर से चलती हैं, मगर देहातों की तरफ ध्यान न दे कर केवल शहरों की ही तरफ आज ध्यान दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि लाइनें निकलें, डबलिंग लाइनों का हो, किन्तु देहाती क्षेत्रों को भी लक्ष्य में रखा जाना चाहिये और देहाती क्षेत्रों को लक्ष्य में रखते हुए यह काम किया जाना चाहिये और केवल शहरी आबादी की सुविधा की ओर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये।

†**श्री दाजी** (इंदोर) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नये निक्षेपों में काम चालू करने के विचार के परिणामस्वरूप अनुपूरक मांगों का पेश किया जाना इस बात का द्योतक है कि सरकार तदर्थ विधि से काम कर रही है, जब कि हमारी अर्थ व्यवस्था आयोजन की है। इस मांग से प्रकट होता है कि रेलवे जो काम अपने हाथ में ले रहा है वह निर्धारित नहीं है।

मैं जानता हूं कि कोरबा कोयला निक्षेपों और कोरबा बिजली के कारखाने के उपयोग के के लिये रेलवे लाइन बनाने की कोई योजना नहीं बनाई गई।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : कोरबा से चम्पा तक एक लाइन है। यह चम्पा से वहां भी ले जाई जा सकती है। किन्तु कोरबा कोयले के लिये कोई खरीदार नहीं है।

डलाडिला खानों का प्रश्न भी है। अब समय आ गया है कि विभिन्न मंत्रालय, विशेष कर रेलवे तथा खान और ईंधन मंत्रालयों को बिना विभाग के मंत्री के साथ परामर्श करके तीसरी योजना की आवश्यकता निश्चित करनी चाहिये। लाइनों को दोहरा करने और नये सर्वेक्षणों का स्वागत है परन्तु लम्बे अर्से के आयोजन और अधिक समन्वित प्रयत्न करने से स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है। मुझे यह भी आशा है कि लाइन को दोहरा करने से दुर्घटनाओं की संख्या भी कम हो जायेगी।

†**श्री सोनावने** : मांग संख्या २ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यद्यपि कुछ यातायात इंजीनियरिंग सर्वेक्षण समाप्त किये जा चुके हैं, फिर भी उन्हें खटाई में डाला हुआ है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है।

बार्सी लाइट रेलवे के सम्बन्ध में यातायात सर्वेक्षण किया गया था और काफी रुपया भी खर्च किया गया था, किन्तु अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला। पंढरपुर के मन्दिर में जाने के लिये लाखों लोग उस रेलवे में यात्रा करते हैं किन्तु उन्हें अत्याधिक असुविधा होती है। उन्हें माल के डिब्बों में सफर करना पड़ता है। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार इस लाइन को मीटर गेज या बड़ी लाइन में परिवर्तित कर देना चाहिये।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : मैं लौह-अयस्क के निर्यात की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से बड़ी कठिनाई रेलवे लाइन पर अत्याधिक भीड़ का होना है। मसूलीपटम--मामागाको लाइन पर और सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा लौह-अयस्क निर्यात किया जाता है।

कोयले के परिवहन की सुविधा के लिये लाइन को दोहरा बनाने के लिये प्रस्तुत की गई मांग का स्वागत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फा० गो० सेन** (पूर्णिया) : यह देख कर बहुत निराशा हुई कि कटिहार से बरौनी तक की बड़ी लाइन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी लाइन के अभाव से आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। उस लाइन का निर्माण कार्य यथा शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का आभारी हूं।

अनुपूरक मांगों के विषय में एक भ्रम पाया जाता है। श्री दाजी ने पूछा है कि एक योजना को अन्तिम रूप दे कर काम शुरू क्यों नहीं किया जाता। किन्तु वे देखेंगे कि स्वयं तीसरी योजना में कहा गया है कि कोयल और कुछ और महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास कार्यक्रमों को अभी विस्तार से तैयार नहीं किया गया। माननीय सदस्य देखेंगे कि यही कारण है कि हमें बार बार मांग पेश करनी पड़ती है।

तीसरी योजना में अधिकतम सीमा १३२५ करोड़ रुपये की थी। किन्तु हमारे कहने पर योजना आयोग ने १५० करोड़ रुपये और बढ़ा दिये थे। इसलिये विकास होने वाली अर्थव्यवस्था में कोई कड़ाई नहीं है, क्योंकि जब कोई नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उनका हल निकालना ही पड़ता है। दूसरे सरकार को लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में २ करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाले समस्त कार्यक्रमों के बारे में संसद् को सूचना देनी पड़ती है और उसे अनुमोदित कराना पड़ता है।

इन बातों में समय लगता है। इस योजना के निर्माण के पश्चात् हमें सिंगरौली कोयला खानों का पता लगा और हमने वहां रेलवे लाइन बनाने का विचार किया।

कोयले के यातायात की रूपरेखा भी स्पष्ट नहीं हुई थीं। अब जाकर कहीं यह स्पष्ट हुआ है। कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा आगामी योजनाओं में स्थिति क्या होगी। इसी प्रयोजन से लाइनों को दुहरा किया जा रहा है। नई रूपरेखा को देखते हुए तीसरी परियोजना के अंत तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर दिया गया है।

मध्य भारत की कोयला खानों से पश्चिम की ओर कोयले का यातायात करने के लिये बीना-कटनी लाइन को दुहरा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इटारसी से जबलपुर तक की रेलवे लाइनों के प्रारम्भिक सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए उस लाइन को भी सुदृढ़ बनाना जरूरी था जिससे उस लाइन में और अधिक कोयले का यातायात हो सके।

पूर्वी रेलवे में, सन्टिया-साहिबगंज लूप में ६० मील दुहरी लाइन डालने के लिये सर्वेक्षण किया गया। दक्षिण रेलवे में वाल्टेयर—सामलकोट खंड में ४० मील दुहरी लाइन डालनी थी।

श्री प्र० के० देव ने खड़गपुर-विजयनगरम् लाइन को दुहरा करने की ओर ध्यान दिलाया। इससे कलकत्ता और मद्रास के बीच की पूरी लाइन दुहरी हो जायेगी। इसके अधीन २६० मील का सर्वेक्षण किया जायेगा।

यह लाइन समुद्र तट से बिल्कुल मिली हुई जाती है। दूसरी लाइन कुछ अन्दर की ओर हट कर बनायी जायेगी। अतः इसमें कुछ समय लगेगा तथापि इसे काफी पहिले किया जा रहा है जिससे तीसरी परियोजना के अंत तक बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

निर्माण भत्ता कुछ सिद्धान्तों पर निर्भर है । पहिला यह कि परियोजना नयी होनी चाहिये। लाइन को दुहरी करने में कर्मचारियों को कठिनाई होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्यों कि वहां पहिले से ही एक लाइन मौजूद है । अतः लाइनें दुहरी करने में भत्ता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री जोकीम आल्वा ने पूछा है कि सर्वेक्षण की पूर्ववर्तितायें किस आधार पर निश्चित की जाती हैं । सदस्यों को परिचालित किये गये टिप्पणों से यह स्पष्ट है कि दुहरी लाइनों का निर्माण अर्थ व्यवस्था, उद्योगों को कोयला संभरण तथा उद्योगों के विकास को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

श्री जोकीम आल्वा ने कारवाड़ के बारे में कहा था हमारा कार्यक्रम डंडेली से झलनबेर तक बड़ी लाइन डालने का है जिससे कि लोह अयस्क का निर्माण हो सके । हम एक अन्य रेलवे लाइन बना रहे हैं जिससे कि हम कारवाड़ से निर्यात की मात्रा बढ़ा सकें । तथापि अभी इस पर पूरी तरह विचार नहीं किया गया है ।

श्री वेंकटसुब्बैय्या ने गोआ के मार्ग द्वारा लोह अयस्क के निर्यात का उल्लेख किया है। तथापि इस सम्बन्ध में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है । यह प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के विचाराधीन है। इसमें सन्देह नहीं कि निकट भविष्य में गोआ में पश्चिमी तट का एक बड़ा बन्दरगाह हो जायेगा । उसकी आय लौह अयस्क के निर्यात से होगी ।

उन्होंने मसुलीपट्टम का भी उल्लेख किया । उन्हें इस बात के लिये कृतज्ञ होना चाहिये कि हमने अभी हाल में मसुलीपट्टम-वैजवाड़ा लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया । माननीय मंत्री ने पिछले महीने ही इसका उद्घाटन किया । दुर्भाग्य से मसुलीपट्टनम बन्दरगाह विकसित नहीं है । हमारा विकास परिवहन मंत्रालय के अधिकार में है । यदि इस पत्तन का विकास किया जाये तो यह भी लौह अयस्क का विकास कर सकता है ।

उत्तरी कनारा के बारे में मैं अपने माननीय मित्र श्री आल्वा को बतलाना चाहता हूं कि हमने अलनवेद-डंडेली लाइन के लिये मैसूर सरकार को एक निश्चित राशि देने का फैसला किया है । मैसूर सरकार इस बात पर राजी हो गयी है और यथा समय यह लाइन भारतीय रेलवे के द्वारा ले ली जायेगी । उत्तरी सतारा भारत के सब से धनी इलाकों में से एक है । वहां कई उद्योग हैं। इस लाइन को लिये जाने के पश्चात् यह क्षेत्र उद्योगों के लिये अत्यंत समृद्धिशाली क्षेत्र हो जायेगा ।

श्री प्र० के० देव ने कई सुझाव दिये हैं। समय आने पर उन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा। तथापि अपने सीमित संसाधनों का विचार करते हुए और तीसरी परियोजना में नयी रूपरेखा के अन्तर्गत कोयले के यातायात पर विचार करते हुए हमें वर्तमान संसाधनों तक ही सीमित रहना है ।

उन्होंने भिलाई-नागपुर लाइन के दुहरा करने के कार्य को असन्तोषजनक बताया । निस्सन्देह इस कार्य में पटरियों तथा उच्च सामग्री के अभाव में काफी विलम्ब हो गया । तथापि रेल इस कार्य को यथाशीघ्र समाप्त करने को बहुत इच्छुक है । मध्य भारत

†मूल अंग्रेजी में

मेंगनीज अयस्क के मामले में ये बहुत आगे है यह अयस्क विजगापट्नम् को भेजा जा सकता है। इस कार्य को समाप्त करने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने गांवों का उल्लेख किया है । रेलगाड़ियां गांवों के बीच से होकर जाती हैं । यदि उद्योगों इत्यादि के कारण गांवों का विकास हो तो वे 'हाल्ट' की मांग कर सकते हैं। यही 'हाल्ट' स्टेशन बन सकते हैं । अतः रेलें भी गांवों की समृद्धि में अंशदान देती हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६२-६३ के लिये रेलवे की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
२	विविध व्यय . . .	१२,००,०००
१७	चालू लाइनों पर निर्माण-कार्य—प्रतिस्थापन . .	५,००,०००

अनुदानों की अनुपूरक मागें, (सामान्य), १९६२-६३

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा सामान्य आय व्ययक १९६२-६३ के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों की चर्चा करेगी ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६२-६३ के लिये सामान्य आयव्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी सेना . . .	१,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी नौसेना . . .	१,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी वायु सेना . . .	१,०००
४४	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	८,००,०००
४९	मंत्रिमंडल . . .	३,८७,०००
११४	प्रतिरक्षा पूंजी परिव्यय	११,३७,०००
१३३	खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	२५,००,०००

†**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :** मैं मांग संख्या ९, २३ और ४४ और ४९ तक ही अपने शब्दों को सीमित रखूंगा ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि प्रतिरक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मैडीकल कालेज, पूना, में अवर स्नातक शाखा भी खोली गयी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पाठ्यक्रम में इस वर्ष भी कुछ विद्यार्थी लिये गये हैं ?

अब मैं मांग संख्या २३ को लेता हूं । सरकार को अपने कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने का निर्णय करने में बहुत सावधानी करनी चाहिये क्योंकि उन मामलों के न्यायालय में ले जाने पर सरकार को अनेक मामलों में उनकी बकाया राशि देनी पड़ी है । ऐसे मामलों में मुकदमेंबाजी पर व्यय करने के बजाय पुर्नविचार कर लेना चाहिये ।

जिस मामले का मैंने मांग में उल्लेख किया है उस पर केवल दुर्व्यवहार तथा अवैध हड़ताल में भाग लेने का आरोप लगाया गया है । इसी प्रकार सरकार के महालेखापरीक्षक ने हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के प्रति ऐसा मनमाना और अविवेकशील रवैया अपनाया है कि न्यायालयों द्वारा उनकी सेवायें पुनः रखी जाने पर सरकार को भारी राशि चुकानी होगी ।

अब मैं मांग संख्या ४४ को लेता हूं । भारतीय चीनी उद्योग को ८ करोड़ रुपये का सहायता अनुदान दिया जा रहा है । यह विषय कई बार सभा के समक्ष आ चुका है कि क्या यह उचित है कि हमें थोड़ी सी विदेशी मुद्रा के लिये इतनी बड़ी राशि चुकानी पड़े । वस्तुतः निर्यात के परिणामस्वरूप अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा की तुलना में राजसहायता पर व्यय की गई राशि कहीं अधिक है । यदि चीनी की उत्पादन लागत और मूल्य कम कर दिया जाये तो आन्तरिक खपत बढ़ जायेगी । चीनी के मूल्यों के सम्बन्ध में जांच कराई जानी चाहिये क्योंकि अन्य देशों की तुलना में वे बहुत अधिक हैं । सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों के लगभग ३.५ करोड़ रुपये बाकी हैं ।

अब मैं मांग संख्या ४९ को लेता हूं । इसके अन्तर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन विशेष आर्थिक समन्वय विभाग खोलने के लिये ३ लाख रुपये की मांग रखी गयी है । मेरे विचार से यह मांग उचित नहीं है । मेरे विचार से यह सारे कर्मचारी एक विभाग से दूसरे विभाग को दे दिये जाने चाहिये । यदि यह केवल जमाखाता का प्रश्न है तब तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इसके सम्बन्ध में सारी नियुक्तियां नई की जा रही हैं तो मुझे इस पर बहुत आपत्ति है ।

†**श्री म० ना० स्वामी** (आंगोल) : मैं मांग संख्या ४४ को लेता हूं । इस कार्य के लिये पहिले ५ करोड़ रुपये रखे गये थे तदुपरांत यह राशि बढ़ा कर ८ करोड़ कर दी गयी । इसका यह कारण दिया है कि हमारे पास चीनी की अतिरिक्त मात्रा है जिसका हमें निर्यात करना है इसके लिये हमें निर्यात बाजार में चीनी की कीमतें गिराने के लिये यह राशि चाहिये ।

चीनी के निर्यात में राजसहायता देने के बजाय उसका मूल्य तथा उत्पादन लागत कम की जानी चाहियें ताकि आन्तरिक खपत बढ़ सके और प्रति व्यक्ति खपत, जो संसार में सब से कम है, में वृद्धि हो सके । चीन पर राज सहायता बन्द कर दी जानी चाहिये । चीनी उद्योग को अपनी लाभ की राशि निर्यात की सहायता में लगानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं मांग संख्या १२६ को लेता हूं। यह भी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की है। बम्बई के एक माल छड़ाने वाले की गलती से उर्वरकों की राशि में कमी हो गयी और हमें १,७५,००० रुपये का भुगतान करना पड़ा। समस्त राज्यों में आयात किये गये उर्वरक कम निकले हैं। उर्वरकों का चोर बाजार खूब चल रहा है। किसानों को मिलावट वाले उर्वरक दिये गये हैं। उनके बोरों की तोल भी कम निकली है। पत्तनों पर माल की देखभाल करने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते होंगे वह क्या करते हैं?

मांग संख्या १३३ सिंगारेनी कोयला खानों के सम्बन्ध में है। आंध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे इस सम्बन्ध में पूर्ण व्यवस्था करें। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस मामले में उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

†**श्री दे० द० पुरी** (कैथल) : चीनी को राजसहायता देने के सम्बन्ध में काफी भ्रांति है। सच्चाई यह है कि चीनी, विदेशों में राजसहायता प्राप्त मूल्य पर मिल रही है। हमने इस वर्ष चीनी पर उत्पादन शुल्क लगा कर ७२ करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं इसमें से हमें १३.५ करोड़ रुपये चीनी के निर्यात के लिये देने होंगे। यदि हम उत्पादन शुल्क पर विचार न करें तो ज्ञात होगा कि अधिकांश देश चीनी भारत से अधिक ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। निस्सन्देह हमारे उत्पादन की लागत भी कम होनी चाहिये। चीनी की उत्पादन लागत कम करने का एकमात्र तरीका गन्ने की पैदावार बढ़ाना और उसकी किस्म सुधारना है ताकि चीनी का तत्व बढ़े।

किसान गन्ना तो उत्पादन करते हैं किन्तु उनके पास न तो सिंचाई और न उर्वरकों के ही पर्याप्त साधन हैं। और न उनके पास कृषि के आधुनिक उपकरण ही हैं। यही कारण है कि वे प्रति एकड़ १३ या १४ टन ही गन्ना उत्पाद कर पाते हैं। जब कि हवाई में ७५ टन प्रति एकड़ पैदावार होती है। इन्डोनेशिया में भी जो कि अन्य विकसित देशों की भांति विकसित नहीं है, ५० टन प्रति एकड़ की पैदावार होती है। हमारे यहां गन्ने में चीनी का तत्व भी बहुत ही कम होता है। इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि हमारे यहां प्रति एकड़ उत्पादन सब से कम होता है। लेकिन इस स्थिति में सुधार हो सकता है। हमारे देश में भी उत्साही गन्ना उत्पादक है और वे इस आशा में हैं कि अधिक से अधिक गन्ने का उत्पादन हो।

अब यह सवाल उठता है कि गन्ने का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जाये। हम देखते हैं कि राज्य सरकारों ने गन्ना उपकर के नाम पर बहुत सा रुपया इकट्ठा किया है किन्तु उस राशि में से गन्ने के विकास पर बहुत ही कम धन व्यय किया गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अतः मेरा निवेदन है कि वह राशि गन्ने के उत्पाद कों वापस कर देनी चाहिये।

चीनी के उत्पादन मूल्य गैर-चीनी उद्योगों को होने वाले लाभ की जांच कई बार हो चुकी है अब और अधिक जांच की आवश्यकता नहीं है। रिज़र्व बैंक ने भी कई बार जांच की है और वह भी इस परिणाम पर पहुंचा है कि चीनी उद्योग में लागत पूंजी पर अन्य उद्योगों की अपेक्षा, जैसे, लोहा, इस्पात, सीमेंट, काग़ज़, दियासलाई, चाय आदि, बहुत ही कम हैं।

चीनी उद्योग के सहायक उत्पादों का भी सदुपयोग किया जाना चाहिये। सहायक उत्पादों का प्रयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। चीनी उद्योग में हम सब तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा]

गन्ने का उत्पादन सस्ते से सस्ता नहीं होता। इस बारे में मेरा सुझाव है कि राज्य सरकारों को इस बात के लिये तैयार किया जाये कि वे गन्ने के कर के रूप में वसूल किये गये धन को गन्ने के विकास पर व्यय करने के लिये कहा जाना चाहिये। पंजाब सरकार ने गन्ना कर को गन्ने के विकास के लिये देने की घोषणा कर के इस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। राज्य सरकारों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। चीनी और चीनी उद्योग की समस्याओं का यही एक मात्र और सच्चा हल है।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा** (आनन्द) : इन मांगों में से बहुत सी मांगें ऐसी हैं जिन पर यदि अच्छी तरह विचार किया गया होता तो वे आय-व्ययक में आसानी से सम्मिलित की जा सकती थीं।

मांग संख्या ९ में पूना के आर्म्ड फोर्सेज़ मैडिकल कालेज में अवर स्नातक विभाग (अन्डर ग्रेजुएट विंग) के शुरू किये जाने की योजना का उल्लेख मिलता है। निश्चय ही यह सुझाव स्वागत करने योग्य है। यह भी अच्छी बात है कि इसका सम्बन्ध पूना विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० डिग्री से जोड़ा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस पाठ्य क्रम में एम० डी० डिग्री भी सम्मिलित कर ली जाये। इसलिये मैं इस मांग का पूरा पूरा समर्थन करता हूं।

मांग संख्या २३ वित्त मंत्रालय के बारे में है। इस मांग, के अन्तर्गत राशि एक कर्ल्क को हटाने के लिये उस मंत्रालय को जो व्यय करना पड़ा, उस सिलसिले में है। अच्छा होता कि इस प्रकार धन न मांग कर इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती।

मांग संख्या ४४ समर्थन के योग्य है। इस में जो राशि मांगी गई है वह चीनी के निर्यात के लिये है। इस से किसानों को संरक्षण मिलता है। हमारे देश में विदेशी मुद्रा की बहुत कमी है और इस प्रकार उसे अर्जित करने का हमें अवसर मिल रहा है। यह अच्छा है कि निर्यातकों को और भी संरक्षण दिया जाये।

मांग संख्या ४९ से मैं सहमत नहीं हूं। मेरा विचार है कि इस्पात, कोयले तथा विद्युत् आदि के बारे में किसी सहयोग जन विभाग की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस के सह-योजन के बाद भी कोई अधिक अच्छा सहयोजन कार्य नहीं हो पाया है। हम कोयले का अधिक उत्पादन करने में समर्थ नहीं हो सके और न ही परिवहन स्थिति को सुगम बना सके हैं। बिना विभाग के मंत्री को कोई अधिक महत्वपूर्ण काम सौंपा जाना चाहिये। व्यर्थ ही मंत्रियों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिये।

मांग संख्या ७८ इस प्रतिकर के बारे में है जो सरकार ने एक साइकिल वाले को उसकी ोप द्वारा मृत्यु हो जाने के लिये दिया था। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि एक व्यापक योजना बनाई जाये जिस से इस मांग में प्रस्तावित भुगतानों की आवश्यकता ही न रहे और बीमा कम्पनी सभी दावों का भुगतान करे।

जहां तक मांग संख्या १३३ की बात है यदि सेन्ट्रल प्राविंसिज़ मैंगनीज़ ओर कम्पनी को दुबारा लीज़ दी जा रही है तो मैं उसका विरोध करता हूं।

अंत में मैं यही कहूंगा कि वे मांगें साधारण आय व्ययक में सम्मिलित की जानी चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : मांग संख्या ९ का सभी ने समर्थन किया है लेकिन एक बात विचारणीय है। सारे देश में अवर स्नातक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया है; पूना के सशस्त्रबल मैडिकल कालेज में इसे पुनः आरम्भ करने का मतलब है पुरानी नीति को फिर से लागू करना। सरकार इस बारे में स्थिति को स्पष्टतया बताये। सरकार को सभा को अधिक ब्यौरा देना चाहिये था जैसे कि पाठ्यक्रम जिस प्रकार का होगा। इसकी अवधि कितनी होगी तथा कितने विद्यार्थियों को लिया जायेगा।

मांग संख्या २३ का मैं विरोध करता हूं। उस कर्ल्क को जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है उसका तो मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस मामले को निबटाने में १० से १२ वर्ष लग गये। सरकार तथा हमारे न्यायक प्रशासन के कार्यकरण का अच्छा द्योतक नहीं है। इस से अधिक बात यह है कि उसे क्षतिपूर्ति धन केवल १९५७ से ही दिया गया जब कि उसे सेवा से १९४९ में ही मुक्त किया गया। सरकार ऐसे मामलों में नैतिकता की अच्छी भावना प्रकट करे तथा सीमांकन कानून की आड़ न ले।

जहां तक मांग संख्या ४४ का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमें चीनी का खर्च अपने यहां ही बढ़ाना चाहिये और निर्यात नहीं करना चाहिये। चीनी के निर्यात के द्वारा हम ने काफ़ी राशि कमाई है। इसलिये हमें इसकी और भी अच्छी तरह जांच करनी चाहिये।

मांग संख्या ४९ समन्वय विभाग की स्थापना के बारे में है। समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी ने समन्वय की आवश्यकता को महसूस किया है और इसे अच्छा बताया है। इसलिये सरकार ने इस विभाग को खोल कर अच्छा किया है। विभिन्न मंत्रालयों के कार्य में समन्वय प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है तथा इसकी ओर भी अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि यह प्रबन्ध किस सीमा तक क्रियाकारी सिद्ध होगा। तथ्य यह है कि कोई भी मंत्री ऐसा समन्वय करने में सफल नहीं हो सकता जब तक कि मंत्रिमंडल में उसका स्थान केवल प्रधान मंत्री के बाद हो अन्यथा उसके कामों से रोष प्रकट किया जायेगा तथा उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अतः यह आवश्यक है कि उपप्रधानमंत्री पद की पुनः स्थापना की जाये तथा साथ ही सभा को यह भी आश्वासन दिया जाये कि स्थापित किया गया समन्वय विभाग समन्वय कार्य को क्रियाकारी ढंग से करेगा। आशा है कि सरकार इस पर अच्छी तरह विचार करेगी।

श्री योगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों पर जो बहस चल रही है, उस में पहले में डिमांड नम्बर, ९ में उल्लिखित पूना के आर्म्ड फ़ोर्सिज़ मेडिकल कालेज में एक अंडर ग्रेजुएट विंग खोलने के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जहां तक उस मेडिकल कालेज में अंडर ग्रेजुएट प्रशाखा खोलने का प्रस्ताव है, उस का कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि योजनाबद्ध विकास की इस तरह अवधि में जब हम पांच वर्षों के लिये योजना बनाते हैं, तो क्या इस विंग के लिए आज से तीन, चार, पांच महीने पहले कुछ सोचा गया था या नहीं। यह मैं समझता हूं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुदान की अनुपूरक मांगों की ही आवश्यकता होती है, यह स्पष्ट है कि कुछ अदृश्य शक्तियों और कारणों के आधार पर कुछ मदों में खर्च करना आवश्यक हो जाता है, तो उस अवस्था में अनुपूरक मांगों की आवश्यकता समझी जा सकती है। जहां तक इस मांग का प्रश्न है, यह मेडिकल कालेज पहले से था और उस में एक अंडर ग्रेजुएट विंग खोलने की योजना पहले से ही बनाई जा सकती थी। इसलिये यह कोई ऐसी बात

†मूल अंग्रेजी में

[श्री योगेन्द्र झा]

नहीं है, जिसका ख़र्च करने के लिये कोई अदृश्य कारण कह सकें। यह तो एक योजना की बात है और इसका हम पहले से ही अनुमान कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आज से चार पांच महीने पहले इस बारे में कोई अनुमान किया गया था। या उस पर कोई विचार किया गया था या नहीं। इन परिस्थितियों में मैं अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करने की इस प्रवृति और तरीके का विरोध करता हूं। जो विभागीय अधिकारियों को बजट बनाते समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अनावश्यक रूप से अनुदान के लिये अनुपूरक मांगों को इस सदन में नहीं लाया जाना चाहिये।

मांग संख्या ४४ बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का चीनी उद्योग घोर संकट काल से गुजर रहा है। अभी जो गन्ने के लिये मूल्य-नीति तय की गई है, उस के प्रभाव से बिहार और उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों का भविष्य क्या होने वाला है, यह तो अलग बात है। मैं मानता हूं कि विदेशी मुद्रा देश के लिए आवश्यक है। मैं इस की आवश्यकता को भी समझता हूं, लेकिन विदेशी मुद्रा का अर्जन किस प्रकार हो और हम कितनी क्षति उठाकर विदेशी मुद्रा का अर्जन करें, यह एक बिल्कुल अलग सवाल है। अगर विदेशी मुद्रा के अर्जन की यह विधि अपनाई गई कि १३.५ करोड़ रुपये का घाटा उठा कर १२.७५ करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा का अर्जन हो और अगर इस तरह से विदेशी मुद्रा का अर्जन करके देश का सिकास किया गया, तो मैं समझता हूं कि देश बेच कर के भी देश का विकास सम्भव नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी उद्योग प्रइवेट हाथों में है और जो शूगर निर्यात का व्यापार है, वह भी उन्हीं लोगों के हाथ मैं है। अब सवाल उठता है कि यह जो निर्यात चीनी का होता है उस पर प्राफिट जो है, मिल मालिकों का जो लाभ है, वह किस अंश में होता है, वह अंश कम होता है या कायम रहता है। देश के भीतर चीनी का जितना मुनाफा वे उठाते हैं, उतना ही मुनाफा निर्यात के लिये जो चीनी दी जाती है उसके ऊपर भी क्या वे उठाते हैं या नहीं उठाते हैं और अगर उठाते हैं तब क्या सरकार की तरफ से उनको वह सहायता मिलनी चाहिये जो मिल रही है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हमको विचार करना होगा। देश में चीनी बेच कर जो मुनाफा वे उठाते हैं, तथा विदेशों में चीनी भेज कर अगर उनको मुनाफा न हो तो भी मैं समझता हूं कि पूरे व्यापार में जो उनको मुनाफा होता है, उससे ही उनको सन्तोष कर लेना चाहिये। चीनी के निर्यात व्यापार से मुनाफे के अंश को कम ही नहीं करना चाहिये, बल्कि उसको हटा ही देना चाहिये। यह मेरा सुझाव है। इस पर मैं आशा करता हूं कि विचार किया जाएगा।

जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, अगर हम अनाज का आयात थोड़ा कम कर दें तो जिस हद तक हम आयात अनाज का कम करेंगे, उस हद तक हम विदेशी मुद्रा बचा सकनें में समर्थ हो सकते हैं। आप आज १३.५ करोड़ रुपया खर्च कर के विदेशी मुद्रा लाने की, विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बात सोच रहे हैं। किन्तु अगर हम ने इतनी बड़ी रकम खर्च कर के देश में भूमि सेना का संगठन किया होता और अधिक अन्न उपजाया होता तो उसी अनुपात में हमारे देश में अनाज का आयात कम हुआ होता और उसके अनुपात मैं हम विदेशी मुद्रा को बचा सकते थे। लेकिन इस ओर आपका ध्यान हीं नहीं गया है।

अगर देश में चीनी बहुत अधिक हो गई है और यहां पर चीनी रखने की आप को जगह नहीं मिलती है, तो आप उसको फैंक देते तो कम से कम आपको यह १३.५ करोड़

रुपये का घाटा तो सहन न करना पड़ता। अगर व्यापारियों के गोदामों में चीनी रखने की जगह नहीं है, तो इसको आप फेंक सकते थे या किसी और तरह से इसको डिसपोज आफ कर सकते थ। देश में गरीब लोगों को खाने के लिए चीनी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ चीनी के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर मंत्रिमंडल में कोई एक ऐसा मंत्री हो जो देश के वैस्टिड इंटिरेस्ट्स का प्रतिनिधित्व करता हो, देश के निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो बिना हिचक यह कहा जा सकता है कि वह हमारे खाद्य और कृषि मंत्री हैं। जब कभी भी कृषि वस्तुओं की कीमत तय करने का सवाल आता है तो उनका रुख विचित्र हो जाता है। प्लांनिग कमिशन की जो एडवाइजरी कमेटी है, उसकी मीटिंग इस सैशन के पहले हुई थी। एक नोट उसमें प्लानिंग कमिशन की तरफ से दिया गया था जिस में लिखा हुआ था;

औद्योगिक वस्तुओं के कच्चे सामान के मूल्य में भारी कमी हुई है।

उसके बाद भी यह हालत है कि आज गन्ना उत्पादकों को बहुत कम पैसा मिलेगा। एक तरफ हमारी योजना चल रही है और योजना के मुताबिक हम अन्दाज लगाते हैं कि राष्ट्रीय आमदनी में इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसी हिसाब से हम लोगों पर कर भारत भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो रा-मैटीरियल पैदा करने वाले हैं, उनकी हालत यह है कि जब रामैटीरियल की कीमतें बहुत कम हुई हैं तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी कम हुई है। एक तरफ तो उनकी आमदनी कम हुई है, दूसरी तरफ उनको अपने उत्पादन का कम पैसा मिल रहा है। यह अन्दाजा लगा कर कि उनकी आमदनी बढ़ रही है और उसी हिसाब से कर बढ़ा देना, यह सरासर अन्याय है। इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। जहां तक गन्ने के मूल्य का सम्बन्ध है, दुनिया में दूसरे चीनी पैदा करने वाले देशों की तुलना में हम गन्ना उत्पादकों को ज्यादा पैसा नहीं देते हैं और मजदूरी भी हमारे यहां सस्ती है। फिर क्या कारण है कि चीनी का मूल्य हमारे यहां इतना अधिक हो। चीनी के मूल्य को कम करने के उपायों पर विचार करने के लिए, मेरा सुझाव है, कि एक कमिशन बनाया जाए।

अब मैं मांग नम्बर ४९ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत दुःख की बात है कि मंत्रियों की संख्या इस हिसाब से बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जिस अनुपात से कांग्रेस बैंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों की संख्या घटती जा रही है, उसी अनुपात से मंत्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछली बार जब बजट पर बहस हुई थी तो हमारे नेता श्री एच० वी० कामत ने कहा था कि मंत्रियों की उपज में भारी वृद्धि हुई है। नए मंत्री के पद की जो सृष्टि की गई है और जिस के लिए ३.८७ लाख रुपये के अनुदान की मांग की गई है, वह हमारी समझ में नहीं आई है। यह कहा गया है कि कोआर्डिनेशन का सवाल है, जिसको हल करना है। लेकिन इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री हैं। प्रधान मंत्री का काम इतना ही नहीं है कि वह विदेश मंत्रालय के काम को देखें। एक प्रधान मंत्री की सब से बड़ी जवाबदेही इस बात के लिए होती है कि वे मंत्रिमंडल के कामों को देखते हैं या नहीं। उनके अलावा हमारे यहां प्लानिंग कमिशन है। कहा गया था कि इकोनोमिक मामलों में, आर्थिक मामलों में कोआर्डिनेशन लाने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिये। लेकिन इस कोआर्डिनेशन के काम के लिए हमारे यहां पहले ही से प्लानिंग कमिशन मौजूद है। ऐसी सूरत में यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। कांग्रेस में आपस में जितने झगड़े हैं, और जिस अनुपात में गुटबन्दी

[श्री योगेन्द्र झा]

बढ़ी है, उसी अनुपात में मंत्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और ऐसा न केवल प्रान्तों में बल्कि केन्द्र में भी हुआ है । यह एक विचित्र हालत है, विचित्र तमाशा है। सरकार की तरफ से मंत्रियों की संख्या पर एक सीलिंग लग जानी चाहिये और यह तय कर दिया जाना चाहिये कि मंत्रियों की संख्या अमुक सीमा से अधिक नहीं होगी । ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से .

श्री त्यागी (देहरादून) : आपकी राय में सीलिंग कहां तक होनी चाहिये ?

श्री योगेन्द्र झा : इसको आप जानिये, सरकार जाने । मैं तो समझता हूं कि अगले आम चुनाव के बाद जितने भी कांग्रेसी सदस्य यहां एम० पी० हो कर आयेंगे, वे सब कैबिनेट में खपा लिये जायेंगे, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जायेंगे, कोई स्टेट मिनिस्टर बन जायेंगे, कोई डिप्टी मिनिस्टर बन जायेंगे, और कोई पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी बन जायेंगे और शायद ही दो चार पांच अभागे ऐसे बच जायें, जिन को कोई पद न दिया जा सके या जिन को पूछने वाला कोई न हो . . . .

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : आप भी इधर कांग्रेस में आ जाइये।

श्री योगेन्द्र झा : उस तरफ कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम इस पर तो आपको सब्र करना चाहिये कि हम इधर व्यवस्था में बैठे हुए हैं ।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस बात की व्यवस्था करें कि मंत्रियों की संख्या एक निर्धारित संख्या से किसी भी हालत में अधिक नप्हो और अगर प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि संसद् में इस व्यवस्था के ऊपर विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : चीनी के अत्यधिक उत्पादन को देखते हुए सिवाय इसके कि हम चीनी का निर्यात करें हमारे सामने कोई और दूसरा चारा नहीं है । इसलिये मैं इस मांग संख्या ४४ का स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह भी मालूम करना चाहता हूं कि यह नीति कब तक चलेगी । यदि हम बहुत बड़ी हानि उठाकर विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं तो वह हमें बहुत महंगी पड़ेगी । इसलिये सारे मामले पर बड़ी गम्भीरता एवं सावधानी से विचार किया जाना चाहिये ।

इस बारे मेरा ऐसा एक सुझाव है कि हम बहुत दिनों तक चीनी का इस प्रकार निर्यात नहीं कर सकते अतः यदि चीनी का मूल्य घटा दिया जाये तो देश में इसकी खपत काफी बढ़ जायेगी । यदि अतिरिक्त खपत बढ़ जाये तो सरकार को भी अधिक उत्पादन शुल्क मिलेगा । यह नीति अच्छी है कि चीनी का मूल्य उस की किस्म से सम्बद्ध है । परन्तु यदि बढ़िया और घटिया गन्ने को मिला दिया जाये तो किसान के लिये अच्छी प्रकार के गन्ने का उत्पादन करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा । प्रौद्योगिक किसान के मामले पर अलग से फैसला किया जाये । इस नीति पर अवश्य विचार किया जाये ।

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यह कहा गया है कि समन्वय का काम प्रधान मंत्री या उसके बाद के पद वाला व्यक्ति ही ठीक से कर सकता है ।

मंत्रिमंडल में मेरी स्थिति क्या है मैं इसके बारे मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक समन्वय विभाग की बात है यह विभाग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है । यह विभाग सदैव चलता रहेगा। यह बात दूसरी है कि वहां कौन व्यक्ति काम करता है । यह कैबिनेट से सम्बद्ध है । इसको कुछ काम सौंपा गया है ।

मंत्रिमंडल एक इकाई है । सभी मंत्रियों को समान अधिकार है । सभी को एक दूसरे से सहायता लेने का अधिकार है यदि कोई एक गलती करता है तो इसका दायित्व सारे मंत्रि-मंडल पर है । वह बात ठीक है कि अन्ततोगत्वा दायित्व तो प्रधान मंत्री का ही है । इसलिये इस विभाग को मंत्रिमंडल को सौंपा गया । यह बात दूसरी है कि प्रधान मंत्री यह काम करें या वह व्यक्ति यह काम करे जिसे कि वह काम सौंपते हैं । लेकिन यह प्रधान मंत्री के क्षेत्राधिकार में आता है । कभी कभी किसी मंत्री से कोई काम करने के लिये कहा जाता है भले ही वह उस काम करने को समर्थ हो अथवा न हो । कुछ सदस्यों का कहना है कि इस विभाग के मंत्री को कोई पद मिलना चाहिये । मैं कहूंगा कि मान लीजिये उसे द्वितीय स्थान मिल भी गया । किन्तु उस स्थिति में क्या होगा जब कि कोई उसकी बात माने ही नहीं । इसलिये इसमें कोई हानि नहीं है कि यदि प्रधान मंत्री किसी को यह काम सौंपे । इसलिये मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस विभाग की आवश्यकता है भी अथवा नहीं ।

एक सदस्य ने कहा है कि मुझे काम सौंपा जाये । यह ठीक है कि मुझे कुछ काम दिया जाये ।

इस समय इस विभाग से परिवहन, कोयले तथा विद्युत् शक्ति सम्बन्धी समस्याओं की जांच पड़ताल करने की आशा की जाती है । वास्तव में हमें यह देखना पड़ता है कि सरकारी खंड में समस्त उपक्रम क्या कर रहे हैं तथा क्या उनके पास काम चालू रखने के लिये अपेक्षित सामग्री है । विभाग का काम यह भी जानना है कि योजना के फलस्वरुप इसकी बढ़ी हुई क्रियाशीलता से सरकार के विभिन्न कृत्यों में कहां टक्कर होती है ।

शायद उस विभाग में अभी एक सचिव है, हो सकता है कि उसमें और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़े । जो भी हो, इतना निश्चित है कि वह विभाग अधिकारियों की भरमार नहीं करना चाहता । वह ऐसे अधिकारी चाहता है जो दायित्व लेने के लिये और अपने सहयोगियों से बात करने और यदि कुछ भी न हो सकता हो, तो मंत्रिमंडल के सचिव या किसी मंत्री को उसकी रिपोर्ट देने के लिये तैयार हो । फिर उसके बाद ही उस मामले पर सहयोगियों के साथ बात शुरु करनी चाहिये ।

माननीय मित्र ने पूछा था कि विभाग ने किया क्या है । मैंने आज सुबह उसका यही उत्तर दिया था कि यदि विभाग अपने किये हुए काम की शेखी धारने लगे तो फिर उसके साथ कोई भी सहयोग नहीं करेगा । इसलिये कि इसके काम में प्रत्येक मंत्रालय का हाथ होता है । यदि श्रेय किसी एक को दे दिया जायेगा, तो काम नहीं चलेगा ।

इसलिये विभाग के अधिकारी को बड़ी ईमानदारी से बिचवाई का काम करना पड़ता है । उसे विभाग से आकर कहना पड़ता है कि उसमें कहीं कोई खामी है, क्या मैं आपके लिये कुछ कर सकता हूं ? या फिर उसे उन सब के साथ बैठना पड़ता है । वह समस्याओं का निरन्तर अध्ययन करता रहता है । उसका काम ही होता है कि वह समस्याओं के बारे में केवल सलाह न दे, बल्कि बताये कि समस्यायें क्या हैं । यह उसकी जिम्मेदारी होती है । और एक बार उसके बता देने के बाद, यह जिम्मेदारी मंत्री की होती है कि वह या तो प्रक्रिया में सुधार करे या गलत प्रक्रिया के परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहे ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

इसीलिये यह विभाग कभी भी अपनी सफलताओं का दावा नहीं कर सकता। मैंने पहले ही हफ्ते में विभाग से यह कह दिया था।

इस विभाग में प्रेस सम्पर्क अधिकारी नहीं रखा गया है। इसलिये कि मैं नहीं चाहता कि इसका प्रचार हो। मैं चाहता हूं कि यह विभाग अज्ञातनामा रहे। प्रचार होने पर, इसका प्रभाव ख़त्म हो जायेगा।

इस विभाग के करने के लिये अभी बहुत काफी काम पड़ा है। वास्तव में सरकार आज सहयोग की आवश्यकता को कहीं अच्छी तरह समझती है। उसकी इसी समझ का परिणाम है कि मुझे इस काम पर लगाया गया है। दस हजार करोड़ रुपये की इस योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के दौरान कई ऐसे परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं, जिनको योजनाकार पहले से न देख सकें।

मैं संक्षेप में बता दूं कि इस विभाग के दो प्रकार्य हैं : एक तो यह कि योजना के परिणामस्वरूप सक्रियता बढ़ने पर सरकार के विभिन्न विभागों में प्रकार्य सम्बंधी क्या टकराव पैदा होते हैं और दूसरे यह कि विभागों के ढांचे में क्या त्रुटियां हैं। प्रकार्य सम्बंधी खामियां तो स्वयं विभाग ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन ढांचे से सम्बंधित ख़ामियां तो उचित अधिकारी ही बता सकेंगे। वही उनको ठीक कर सकेंगे।

इसीलिये मैं समझता हूं कि यह विभाग प्रकार्यों के बारे में प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। यह विभाग अपना प्रचार नहीं कर सकता। मैं इससे सम्बंधित ब्यौरा भी आपको नहीं बता सकता। मेरे किसी नोट पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिये कि मेरे नोट्स में यही कहा जाता है कि किन-किन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसीलिये मैंने विभाग के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं की है। मैंने केवल इतना कहा है कि यह विभाग एक नियंत्रण-कक्ष की तरह है। यह फैक्टरी के उस नियंत्रण-कक्ष की तरह है, कि यदि फैक्टरी में कहीं कोई गड़बड़ी हो तो कक्ष में लाल बत्ती जल उठती है। लेकिन मैंने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि अमुक चीज़ ग़लत थी और मैंने उसे ठीक कर दिया है। मैं अपने माननीय मित्रों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया।

†**श्री त्यागी** : हम इस सम्बन्ध में किन विषयों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्यगण मंत्रिमंडलीय सचिवालय के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछते। यह विभाग उसी का एक अंग है।

इस विभाग की कार्यवाही का खुलासा नहीं किया जा सकता। खुलासा कर देने से इसकी उपयोगिता ख़त्म हो जायेगी।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या दिल्ली में विद्युत् संकट आने की संभावना के खतरे की सूचना आपने मंत्रिमंडल को दी थी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : दिल्ली प्रशासन मेरे अधीन नहीं है। और यदि उसके लिये मैंने कुछ किया भी हो, तो मैं बता नहीं सकता।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अब क्या आप उनको हरी बत्ती दिखायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हरी बत्ती तो सम्बंधित विभाग ही दिखा सकता है । यह विभाग तो केवल लाल बत्ती दिखा सकता है । इस विभाग का काम तो सिर्फ इतना है कि अगर कहीं कोई ग़लती हो, तो उससे आगाह कर दे । उसे ठीक करने का काम तो मंत्रालय को ही करना पड़ेगा । हां, यह हो सकता है कि एक सरकारी मंत्री होने के नाते में भी उसे ठीक करने में कुछ योग दूं पर सहकार्य मंत्रालय का वह काम नहीं है ।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : कहा जाता है कि कुछ मंत्रालय इस सहकार्य मंत्रालय के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे किसी भी सहयोगी ने मेरे साथ सहयोग करने में आना-कानी नहीं की । मुझे किसी भी विभाग या अधिकारी के साथ काम करने में कठिनाई नहीं पड़ी ।

मेरे सभी सहयोगी अच्छे हैं । लेकिन कभी-कभी अच्छे आदमी भी दायित्व से वंचित किये जाने पर असहयोग करने लगते हैं । इस विभाग को अज्ञातनामा ही रहना पड़ता है । मुझे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही चलना पड़ता है । और जब सभी मंत्रालय प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं तो विलम्ब हो ही जाता है । इसीलिये इतनी बड़ी योजना की पूर्ति के लिये एक नियंत्रणकर्ता विभाग का होना अत्यावश्यक है ।

यदि योजना आयोग विभिन्न मंत्रालयों में सहकार्य पैदा करने की कोशिश में लग जाये तो योजना बनाने का काम ही नहीं कर सकेगा । आयोग सफलताओं का लेखा-जोखा तो नहीं कर सकता । और आयोग सरकार की ओर से कार्यपालक उत्तरदायित्व तो नहीं ले सकता । इसीलिये हम सब वहां हैं । सांख्यकीय विभाग भी योजना आयोग के लिये उपयोगी है । मेरा ख्याल है कि मैं भी आयोग के लिये कुछ तो उपयोगी हूं । योजना के विभिन्न पक्षों में सहकार्य पैदा करना आयोग का काम नहीं है वह तो कार्यपालिका का दायित्व है ।

योजना आयोग स्वतंत्र है । मंत्रालय इस सभा के अधीन है । इसलिये यदि कुछ ग़लती हो जाती है तो सहकार्य मंत्रालय उसका जवाबदेह नहीं हो सकता । मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह मेरा उत्तरदायित्व है । उत्तरदायित्व तो सभी का है ।

इन्हीं सब को देखते हुए प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों ने तय किया था कि इस विभाग की स्थापना की जानी चाहिये । आप निश्चित रहें इसकी स्थापना मुझे काम जुटाने की गरज़ से ही नहीं की गई है । यह तो संयोगमात्र है कि काम मुझे सौंपा गया है । आशा है कि विभाग उपयोगी सिद्ध होगा ।

†**खाद्य और कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : इन अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में चीनी के निर्यात के लिये दी जाने वाली आर्थिक सहायता की वांछनीयता का प्रश्न काफी उभर कर सामने आया है । आंकड़े भर देखने से तो यहां निर्यात अवांछनीय मालूम पड़ता है क्योंकि हम चीनी के निर्यात द्वारा १२.७५ करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा पाने के लिये १३.५ करोड़ रुपये का घाटा उठा रहे हैं । लेकिन यदि हम सभी पहलुओं पर विचार करें तो ग़लतफहमी दूर हो जायेगी ।

श्री पुरी, श्री माथुर और श्री महीडा ने इस सम्बन्ध में काफी कुछ कह कर मेरा भार हल्का कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० म० थामस]

चीनी की कमी का प्रश्न इस सभा में दो वर्ष पहले काफी जोर शोर से उठाया गया था। १९५९–६० में हमारे पास एक महीने की जरूरत पूरी करने लायक चीनी भी नहीं थी। १९५८–५९ की खपत से केवल १.७३ लाख टन चीनी शेष बची थी जो एक महीने के लिये भी काफी नहीं थी तभी सरकार ने चीनी उत्पादन को प्रोत्साहित करने की बात सोची थी।

इसीलिये हमने गन्ने का मूल्य १ रुपया ७ आने से बढ़ा कर १ रुपया १० आने कर दिया था। पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन की मात्रा पर ५० प्रतिशत की छट दी गई थी। तभी उत्पादन में वृद्धि हो सकी है।

उत्पादन की वृद्धि में कई चीजें शामिल रहती हैं, इसलिये सोलहों आने बिलकुल ठीक-ठीक अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता था। यदि अनुमान लगाया भी जाता, तो उसके पूरे होने की तो कोई गारंटी नहीं थी।

लेकिन हमारे सभी प्रयत्नों का फल यह निकला कि १९६०-६१ की समाप्ति तक हमारे पास ११.८३ लाख टन चीनी शेष थी जबकि १९५८-५९ में केवल १.७३ लाख टन बची थी। इसलिये हमें इस स्टाक की खपत के उपाय सोचने पड़े। आन्तरिक खपत में वह चुक नहीं सकता था। इसलिये चीनी का निर्यात करना आवश्यक हो गया। हम उसके लिये विवश हो गये थे।

और, योजना में सम्मिलित प्रमुख परियोजनाओं के लिये हमें विदेशी मुद्रा भी दरकार थी। यदि यह परियोजनायें पूरी हो जायेंगी, तो हमें उन से कहीं अधिक लाभ होगा। इसलिये हमें विदेशी मुद्रा कमाने वाले संसाधनों को भी महत्व देना पड़ा। निर्यात संवर्धन ही उस का एक तरीका है।

अब प्रश्न है कि क्या १२.७५ करोड़ रुपये कमाने के लिये १३.५ करोड़ रुपये खर्च करना बुद्धिमानी है? उद्योग ने स्वयं ही निर्यात संवर्द्धन के साधन निकाले हैं। श्री पुरी ने कहा था कि चीनी से कुल ७१–७२ करोड़ रुपये उत्पादन शुल्क के रूप में मिले हैं। इस में वह अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की राशि भी शामिल है, जो राज्य सरकार को अदा की जानी है।

बुनियादी उत्पादन-शुल्क की दर ८.२५ रुपये प्रतिमन है, अर्थात् २२५ रुपये प्रति टन। वह केन्द्र को मिलती हो। चालू वर्ष की खपत २४.५ लाख टन होगा। उस पर केन्द्र को ५४ करोड़ रुपये मिलेंगे, और घाटे के १३.५ करोड़ रुपये इसी में से पूरे किये जायेंगे।

मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने १९५७ के आय-व्ययक प्रस्ताव पेश करते हुए १५ मई, १९५७ को, चीनी पर उत्पादन शुल्क की दर ४.१२ रुपये प्रति मन से बढ़ा कर लगभग दुगनी करते हुए कहा था कि उस से दो प्रयोजन सिद्ध होंगे। आन्तरिक खपत कम होगी और निर्यात में वृद्धि होगी। आगे उन्होंने कहा था कि कपड़े पर उत्पादन-शुल्क की वृद्धि का भी यही उद्देश्य था। इससे स्पष्ट है कि घाटा सहन करना आवश्यक था।

श्री स० मो० बनर्जी ने पूछा है कि चीनी का ही निर्यात क्यों किया जा रहा है। वह क्यों भूल जाते हैं कि चीनी का कितना अधिक स्टाक जमा हो गया है। और गन्ना उत्पादकों को उनकी बकाया राशि तब तक अदा नहीं की जा सकती जब तक इस स्टाक को ठिकाने न लगा दिया जाये। उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को भी तब तक संरक्षण नहीं दिया जा सकता, जब तक कि निर्यात में वृद्धि न की जाये।

श्री बनर्जी भूल जाते हैं कि वर्तमान चीनी उद्योग और उसमें काम करने वाले मजदूरों को संरक्षण देना है और गन्ना-उत्पादकों को भी उचित मूल्य दिलाना है।

अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग करते हुए देश के लिये अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा कमाने का भारत सरकार ने यही उपाय निकाला है ।

निर्यात की अत्यावश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता । ज्ञापन में कहा गया है कि आशा है कि निर्यात ३.५ लाख टन तक होगा, हम ३.३७ लाख टन तक विक्रय कर चुके हैं । बिक्री चल रही है और आशा है कि अगले वर्ष के आरम्भ तक ३.५ लाख टन तक पहुंच जायेगी ।

माननीय सदस्यों ने स्वयं कहा है कि इस परिस्थिति में एक ही इलाज है कि गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया जाये । चीनी उत्पादन की लागत का हिसाब समझे बिना यह कहा जा रहा है कि इस उद्योग के साथ विशेष रियायत की जा रही है । चीनी की कुल लागत का ४४.४ प्रतिशत गन्ने, ३३ प्रतिशत करों और २३ प्रतिशत चीनी के निर्माण में लगता है । मैं आप को बता दूं कि निर्यात संवर्द्धन के लिये चीनी उद्योग भी कुछ अंशदान कर रहा है । निर्यात से चीनी उद्योग को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सभा सर्व सम्मत हो कर इस का अनुमोदन करे ।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : अधिकांश माननीय सदस्यों ने इन अनुपूरक मांगों, विशेषकर पूना में सशस्त्र बल का स्नातकपूर्व चिकित्सा कालेज खोलने से संबंधित मांग का समर्थन किया है । मैं इसके लिये आभार मानता हूं । चिकित्सा सेना में अधिकारियों की कमी की पूर्ति के लिये ही हमने यह कदम उठाया है । हमने १९६० में एम० बी० बी० एस० विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की योजना चालू की थी, लेकिन मुट्ठी भर ही उसका फायदा उठा पाये थे । कुछ और भी उपाय इसके लिये किये जा रहे हैं । यह उनमें से एक है । प्राक्कलन समिति ने भी सिफारिश की थी कि विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ सामान्य प्रविधिक प्रशिक्षण योजनायें भी चालू की जानी चाहियें । इससे देश की चिकित्सीय शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होगा । अभी इस में १२० विद्यार्थियों के लिये गुंजाइश है । उनमें से आधे विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी और उनको प्रशिक्षण के बाद अनिवार्य रूप से सेना में आना पड़ेगा । इसे स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम इसलिये कहा गया है कि हमारे यहां एम० डी० इत्यादि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी हैं । यह वास्तव में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम ही है ।

एम० बी० बी० एस० बनने तक तो वे स्नातकपूर्व ही कहलायेंगे । ऐसी कई योजनाओं के जरिये प्रतिरक्षा मंत्रालय अपने संसाधनों का यथासंभव अधिकतम उपयोग करना चाहता है । पूना और उसके आसपास १५०० चिकित्सीय पलंगों की क्षमता है । यदि उनका लाभ न उठाया जाये और अलग से कोई नया कालेज खोला जाये तो उस पर दुगुना व्यय करना पड़ेगा । उसमें जितनी भी और सुविधायें अपेक्षित हैं, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं । छात्रों और छात्राओं के लिये छात्रावास भी रखा गया है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या उन डिग्रियों को मान्यता प्राप्त होगी ।

†**श्री रघुरामैया** : जी, हां । पूना विश्वविद्यालय उनको मान्यता देगा ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं श्री हरिश्चन्द्र माथुर की एक बात का उत्तर देना चाहता हूं । पदच्युत होने वाले क्लर्क को यदि पुनः लगाया जाय तो उसे सारी राशि देने की नैतिकता के बारे में उन्होंने प्रश्न किया है । मेरा निवेदन है कि जिस क्लर्क ने अपने को बहाल किये जाने के लिये सरकार पर दावा किया है, उसने अपने वेतन तथा भत्ते का दावा नहीं किया है क्योंकि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

वह जानता था कि परिसीमन विधि के कारण वह नहीं मिल सकता । न्यायालय ने तीन वर्ष के लिये डिग्री दी है । विधि मंत्रालय ने भी यह सलाह दी है कि केवल तीन वर्षों का वेतन आदि दिया जा सकता है । इसलिये उसमें नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं है । यह तो प्रश्न यह है कि कानूनी औपचारिकता का पालन किया गया है अथवा नहीं । उस मामले में डिग्री हो गई थी और हमने सारी राशि अदा कर दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६२-६३ के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

		रुपये
९	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी सेना	१,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी नौसेना . . .	१,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी वायु सेना . . .	१,०००
४४	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	८,००,०००
४९	मंत्रिमंडल	३,८७,०००
११४	प्रतिरक्षा पूंजी परिव्यय	११,३७,०००
१३३	खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	२५,००,०००

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**श्री राम रतन गुप्त** : मैं दोनों प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर, लेखापरीक्षित लेखे सहित, जो ३१ मार्च, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

"कि यह सभा राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड की वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन पर, लेखा-परीक्षित लेखे और उसपर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित, जो ११ अप्रैल, १९६१ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम ने दोनों को एक साथ ले लिया है । आप दोनों के बारे में बोल सकते हैं ।

†**श्री राम रतन गुप्त**: इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करके मैं सरकार का ध्यान निगम के कार्य की त्रुटियों की ओर का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । एक यह कि ऐसे साधनों को तलाश किया जाय जिस से भारत में उन वस्तुओं का निर्माण किया जाये जो अभी भारत में नहीं बनतीं ।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा यह कि ऐसे राष्ट्रीय उद्योगों का विकास किया जायें जिससे हमें विदेशी विनिमय प्राप्त हो सकता है, परन्तु वित्तीय कमजोरियों से उनका विकास नहीं हो पा रहा । तीसरा यह कि जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना । निगम का उद्देश्य इन चीजों के उत्पादन के लिये हुआ था । तीन वर्ष व्यतीत हो गये हैं परन्तु खेद है कि इस दिशा में एक भी परियोजना अभी तक नहीं बनाई जा सकी । पाइराइट्स से सलफर बनाने के मामले में १९४४ से ले कर आज तक कुछ प्रगति नहीं हो सकी ।

जहां तक कर्ज़ देने का प्रश्न है, केवल पटसन तथा कपड़े के उद्योगों को ही कर्जे दिये गये हैं । और यह भी स्पष्ट है कि बहुत से ऋण ऐसी कम्पनियों को दिये गये हैं जिनमें निगम के संचालकों का कोई हित था । इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु इतना तो देखा ही जाना चाहिये कि जिनको कर्ज़ दिये जा रहे हैं उन कम्पनियों के मालिकों के अपने बैंक चल रहे हैं । मेरा निवेदन है कि कर्ज़ ऐसी कम्पनियों को दिये जायें जो वित्तीय दृष्टि से कमजोर हो, अपनी उनकी साख अच्छी हो, और उनसे कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य होने की सम्भावना हो । इस बारे में ऋण सलाहकार समिति भी ठीक ढंग से पूरी जांच करके अपनी सिफारिशें नहीं करती । कई एक आवेदनपत्र ऐसे ही रद्द कर दिये जाते हैं ।

मेरा सुझाव यह है कि देश भर में १०० संयंत्र प्रतिवर्ष बनाने और छोटे संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से एक निगम की स्थापना की जानी चाहिये । इससे देश भर में छोटे छोटे कारखाने स्थापित करने में काफी सहायता प्राप्त हो सकेगी । यह भी लाभ होगा कि कम कीमत पर अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्माण हो सकेगा । साथ-साथ बेकारी की समस्या भी हल होगी और लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा करने का अवसर प्राप्त होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर): इस विषय में बहुत ही देरी से चर्चा हो रही है । ये प्रतिवेदन बहुत पहिले प्रस्तुत किये जाने चाहियें थे । जो कुछ तथ्य हमारे सामने है उनसे स्पष्ट है कि निगम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में नितान्त असफल रहा है । उद्योगों को नये आधार पर विकसित करने का उसका कार्य बिलकुल असन्तोषजनक है। इसकी स्थापना केवल इसलिये तो नहीं हुई थी कि कुछ कपड़ा अथवा पटसन की मिलों को कुछ कर्ज़ दे दिये जायें और वे कर्ज़ भी उनको दिये गये जिन्हें इनकी बिलकुल जरूरत नहीं थी ।

यह आश्चर्य की बात है कि बड़े-बड़े उद्योगपति इस निगम के संचालन बोर्ड में हैं । ऋणों का एक पर्याप्त भाग ऐसे समवायों को दिया गया है जिनमें संचालकों का कोई अपना स्वार्थ है । ऐसे उद्योगों को भी ऋण दिये गये हैं जो किसी भी हालत में उसके पात्र नहीं हैं । मेरा मत तो यह है कि राष्ट्रीय विकास के नाम पर एकाधिकारों और गैर-सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया गया है । क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि ४,६३,००,००० रुपये के कुल कर्ज़ उन समवायों को दिये गये हैं जिनके मालिक बोर्ड के निदेशक हैं । क्या यह वह बात नहीं अन्धा बाँटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ अपने को दे ।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई केन्द्रीय–दक्षिण) : आज इन प्रतिवेदनों पर हम विचार कर रहे हैं, परन्तु प्राक्कलन समिति इस पर विचार कर चुकी है । समिति द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री व० बा० गांधी]

क्या हमारे औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति में निगम बहुत आवश्यक है और क्या उस के बिना काम नहीं चल सकता ? क्या उसे कायम रखा जाना चाहिये। इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि १९५४ में इस प्रकार की एक संस्था की माँग की गई थी और उसी माँग को पूरा करने की दष्टि से इस निगम की स्थापना की गई थी। और मेरा मत यह है कि इस प्रकार के निगम की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि केवल कपड़ा और पटसन उद्योग की ही सहायता की गई है। मेरे विचार में इन आवश्यक उद्योगों की सहायता न करना निगम की बहुत भारी भूल होती। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि महालेखा परीक्षक ने निगम के प्रतिवेदनों का प्रतिवर्ष पृष्ठांकन किया है और उसे इस की ऋण नीति के सम्बन्ध में कोई आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं दी। अतः यह आरोप निराधार है कि केवल निगम बोर्ड के निदेशकों की कम्पनियों को ही अधिक कर्जा मिला।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : मैं श्री राम रतन गूप्त के प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्हों ने इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम पर चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ने इस निगम का कार्य देखा है। प्राक्कलन समिति ने भी इस निगम के कार्य कलाप के बारे में विचार किया है। इस निगम की स्थापना एक पवित्र उद्देश्य के लिये की गई थी कि देश का औद्योगिक विकास किया जाये, परन्तु वह अपने उद्देश्य में बिलकुल असफल रहा है।

मेरा यह भी निवेदन है कि निगम ने औद्योगिक विकास के मामले में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया है। नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। इस बारे में कार्य बहुत ही असन्तोषजनक है। औद्योगिक विकास के मामले में आयोजन भी बहुत खराब रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के समन्वय का नितान्त अभाव है। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार को ऋण संस्थाओं के दोहरेपन को दूर करने का विचार करना चाहिये।

†**श्री हिम्मत सिंहका** (गोंडा) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के दो वर्षों के कार्य पर जो भाषण हुए हैं उन को मैं ने बड़े ध्यान से सुना है। प्रतिवेदन से यही पता चलता है कि निगम द्वारा उपयोगी कार्य हुआ है। और उस को आरम्भ हुए कोई बहुत अर्सा नहीं हुआ है।

हमारे पटसन उद्योग को पाकिस्तान से कड़ा मूकाबला करना पड़ रहा है, यदि उस के आधुनिकीकरण में मदद नहीं की गई तो उस का नाम विश्व बाजार से मिट जायेगा। उस उद्योग को आधुनिकीकरण के लिये रुपया देना ही उचित है। वस्त्र उद्योग पर भी यही बात लागू होती है जिसे जापान, चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करना पड़ रहा है। इन उद्योगों को ऋण देने में कोई गलत बात नहीं है।

निगम गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों उद्योग क्षेत्रों की मदद कर रहा है। उस का वैसा करना ही उचित है। मैं सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के विरुद्ध नहीं, परन्तु इस बात का ध्यान तो रखा ही जाना चाहिये कि इस क्षेत्र में जो पूंजी लगाई जाये और जिन उद्योगों को ऋण दिये जायें उन्हें पर्याप्त आय भी हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वही काम करती रही है जो अन्य संस्थायें करती रही हैं।

ऋण का प्रोग्राम औद्योगिक वित्त आयोग ठीक प्रकार से कर सकता है। विकास के काम में इस निगम से अच्छा काम अन्य सिकास संस्थाओं ने किया है।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

यह निगम बहुत सुस्ती से काम करता है। यह परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में बहुत समय लेता है और उन परियोजना प्रतिवेदन के कार्यान्वयन में बहुत समय लगता है। इन परियोजनाओं के तैयार करने में यह बहुत धन व्यय करता है।

यह इसलिये काम नहीं कर सकती कि इस में टैक्नीकल योग्यता के व्यक्ति नहीं हैं। अतः यह संस्था वह काम नहीं करती है जिस के लिये यह बनाई गई थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विभिन्न निगमों की संचालक-मंडलियों में वही लोग रखे जाते हैं। पता नहीं योग्यता खत्म हो गई है। यह निगम कुछ नये काम करने के लिये बनाई गई थी जिन की देश को आवश्यकता थी। परन्तु इस की संचालक-मंडलियों में ऐसे व्यक्ति हैं जिन को वर्तमान औद्योगिक विकासों की जानकारी नहीं है। वे नई बातों पर विचार नहीं कर सकते।

इस निगम की ऋण नीति ठीक नहीं है। इन्हों ने छोटे उद्योगों को ऋण दिये हैं। इस निगम का यह काम नहीं था। इसे तो इसलिये बनाया गया था कि यह ऐसे काम करे जो सारे राष्ट्र के हित में हों। यह निगम कुछ नगरों में विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती रही है। इस निगम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी त्रुटियों को दूर किया है।

प्राक्कलन समिति ने अपने १२२वें प्रतिवेदन में यही कहा है कि यह निगम वही काम करती है जो और संस्थायें करती हैं।

मेरा सुझाव है या तो इस निगम को बदलना चाहिये या इसे बन्द कर देना चाहिये और इस का काम अन्य संस्थाओं द्वारा जो पहले ही वह काम कर रही हैं करना चाहिये।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : यह निगम कुछ क्षेत्रों में विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने के लिये बनाई गई थी। सरकार को यह निर्णय कर लेना चाहिये कि यह निगम नई संस्थाओं को सहायता देगी।

इस निगम को बने हुए आठ वर्ष हो गये हैं, परन्तु किसी भी उद्योग का विकास नहीं हो सका है। 'पाईराइट्स' के प्रयोग और 'सलफर' निकालने के लिये एक निगम स्थापित की है, उस में अधिक प्रगति नहीं हुई है। सरकार और निगम को इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये।

पटसन के कारखानों और कपड़े की मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। उस के लिये इस निगम की निधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

ऐसा किया जाता है कि प्रारम्भिक काम करने के बाद उद्योग को गैरसरकारी कम्पनियों के अधिकार में दिया जायेगा। ऐसा नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

मंत्री को निगम का सभापति नहीं होना चाहिये और इन निगमों के बोर्ड में भी नहीं होना चाहिये ।

बोर्ड का ढांचा विभिन्न प्रकार का होना चाहिये । कुछ अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और सरकारी व्यक्ति सदस्य होने चाहियें । एक-दो उद्योगपति भी सदस्य हो सकते हैं । मंडलों में केवल उद्योगपति और सरकारी अधिकारी नहीं होने चाहियें । प्रश्न केवल एक ही उद्योग के विकास का नहीं है परन्तु अपने सामाजिक और आर्थिक विचारधारा के कार्यान्वयन का है । यदि कोई परियोजना गैरसरकारी क्षेत्र को देनी है तो निगम को इस से क्या लाभ है ?

इस निगम के प्रतिवेदन को अपने काम के बारे में जानकारी देनी चाहिये । इस के प्रतिवेदन से इस के काम का पता लगना चाहिये । जिन को ऋण दिया गया है उन के नाम प्रतिवेदन में दिये जाने चाहियें । आशा है कि सरकार प्राक्कलन समिति की सिफारिशों से लाभ उठायेगी ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : सभापति महोदय, जिस सोशलिस्टिक पैटर्न की हम स्थापना करने जा रहे हैं, उस में कोई भी कारपोरेशन ऐसा नहीं होना चाहिये जिस में जनता के नुमाइंदे न हों । इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था और इस में मैं ने देखा है कि काटन टैक्सटाइल ऐडवाइज़री कमेटी के ऊपर ५२,७०७ रुपये खर्च किये गये हैं । मैं समझता हूं कि अगर इस में पब्लिक के रिप्रिजेंटेटिव होते तो यह जो फिजूलखर्ची हुई है, यह न हो पाती । हम ने जो टैक्सटाइल कमिश्नर का आफिस बना रखा है, वह आफिस अगर एफिशेंटली काम कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं थी कि इतनी बड़ी रकम टैक्सटाइल ऐडवाइज़री कमेटी के ऊपर खर्च की जाती । इस तरह की फिजूल खर्ची को हमें रोकना होगा ।

मैं यह भी समझता हूं कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिय जो प्रामिज़ किया गया था, वह प्रामिज़ हमारी उम्मीदों के मुताबिक पूरा नहीं किया गया है, जितनी इमदाद का आश्वासन दिया गया था, उतनी इमदाद नहीं हो सकी है । सिर्फ दो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिन का थोड़ा थोड़ा जिक्र आता है, एक कापर इंडस्ट्री है और दूसरे न्यु स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी है । कितने ही उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कन्सर्न्ज़ हैं लेकिन किसी की कोई इमदाद नहीं की गई है ।

कर्ज़ देने की शर्तें भी बहुत सख्त रखी गई हैं । एक तो कर्ज मिलने में बहुत देर लग जाती है और दूसरे जहां इमदाद की जरूरत होती है वहां इमदाद पहुंचती भी नहीं है । मैं चाहता हूं कि कर्ज की शर्तों को शिथिल किया जाए और जहां इमदादा पहुंचाने की जरूरत हो वहां इमदाद पहुंचाई जाए । यह भी कोशिश की जानी चाहिये कि इस में पब्लिक का रिप्रिज़ेंटेशन हो । अगर ऐसा होगा तो फिजूलखर्ची नहीं हो सकेगी । जब आप समाजवाद का नारा लगाते हैं तो मुट्ठी भर आदमियों के हाथ में ताकत देना मैं समझता हूं समाजवाद के पीछे जो स्पिरिट है, उसके विरुद्ध है ।

इस रिपोर्ट में १ करोड़ ८३ लाख रुपये की एक आइटम दिखाई गई है । यह रुपया देश को आगे बढ़ाने के लिए लगना चाहिये था । लेकिन यह रुपया सिर्फ उन कम्पनियों को कर्ज के रूप में दिया गया है जो इस कारपोरेशन के डायरेक्टर्ज़ हैं और जो उन कम्पनियों के शेयरहोल्डर हैं । वे ही कर्ज देने वाले हैं और वे ही कर्ज़ लेने वाले हैं । इस का नतीजा यह हुआ है कि बाकी जो दरख्वास्तें थीं वे पैंडिंग में रख दी गईं । आम जनता को जो फायदा होना चाहिये था, वह नहीं हुआ और देश के दूसरे उद्योग जो आगे बढ़ने चाहियें थे, वे बढ़ने से रुक गए हैं ।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां आज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है और दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में सब से ज्यादा वहां यह इंडस्ट्री बढ़ी है । ऐसी सूरत में सब से ज्यादा इमदाद इस इंडस्ट्री की वहां होनी चाहिये थी ।

इसके अलावा मेरी आपके द्वारा, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में कोई भी कारपोरेशन हो, कोई भी आर्गेनाइज़ेशन हो, वह अच्छे तरीके से काम तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि उस में पब्लिक के रिप्रिजेंटेटिव न हों । इस वास्ते कोशिश की जानी चाहिये कि इसका विस्तार हो और इसमें पब्लिक के नुमाइंदे लिये जायें । इसमें हर एक स्टेट लेजिस्लेचर के लोग आऐ और जो सुप्रीम बाडी है, पार्लिमेंट, लोक सभा और राज्य सभा, इसके भी नुमाइंदे आऐं । इस का विस्तार इस तरह से किया जाये जिस में कि उस का कैरेक्टर ऐसा बन सके कि सारा देश उस से लाभान्वित हो सके ।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री महोदय से मेरी यह दरख्वास्त है कि वे एक फैसला यह कर दें कि कर्ज़ जिन लोगों को दिया जाय वे कारपोरेशन के डाइरेक्टर्स न हों, दूसरे उन में पब्लिक रिप्रेज़ेन्टेशन हो ।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : सभापति महोदय, अब तक जो महानुभाव बोले हैं वे बहुत कुछ इस बारे में कह चुके हैं, और मुझे कहने को बहुत कुछ बाकी नहीं है । किन्तु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात अभी तक सामने नहीं लाई गई कि जो ऐप्लिकेशन्स कमेटी के पास आती थीं, उन का डिस्पोजल करने का कौन सा तरीका उन्होंने रक्खा था । यह ठीक है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन्स उन के पास होते थे ।

मुझ से पहले एक महानुभाव दूसरी तरफ से बोले कि जूट इंडस्ट्री जो है वह बहुत पुरानी जरूर हो गई है लेकिन उस को नई मशीनरी लेने के लिये और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिये रुपया देना है । यहां पर यह याद रखने की बात है कि यह जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उन की अपनी शक्ति अच्छी है और वह अपनी अच्छी जगह रखते हैं । लकिन क्या उन की सारी शक्ति समाप्त हो गई जिस के कारण उन को यहां से रुपया लेना पड़ा ? प्रश्न यह आ कर पड़ता है कि जितने यह मिल मैगनेट्स हैं, उन के पास अपनी दौलत बची हुई है । उन को सहारा देने के लिये कारपोरेशन के पास पूरे साधन भी नहीं हैं । अगर यहां पर खास तौर पर यह कहा जाय कि भले ही कोई डाइरेक्टर्स हों, उन को लोन दिया जाय, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन को नैतिक दृष्टि से लोन लेने का अधिकार तभी हो सकता था जब कारपोरेशन के सामने कोई और इंडस्ट्री न होती । जो लिस्ट इस में दी हुई है, उस का क्या हुआ ? जिस लिस्ट के निमित यह सब कुछ बनाया गया था उस के बारे में क्या हुआ ?

इस के अलावा जिस तरह से रिपोर्टस लिखी जाती हैं उस में से आसानी से कुछ निकाल लेना सम्भव नहीं होता क्योंकि इंडस्ट्रीज के बारे में जो तरीका उन लोगों ने बनाया हुआ था उस में हम कितना ही अन्दर जाने की कोशिश करें लेकिन वह कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं होती । इस के अनेक कारण हैं । वह एक लम्बी कहानी हो सकती है, जिस को कहने का यहां पर समय नहीं है, और हो सकता है यह भी कह दिया जाये यहां पर कि उस का सीधा सम्बन्ध इस से नहीं है ।

मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जैसा कि मेरे एक पूर्ववक्ता श्री दी० चं० शर्मा ने कहा, कि या तो आप इस को अच्छे ढंग से चलाइये, या इस को बन्द कर

[श्री काशी राम गुप्त]

दीजिये । उस अच्छे ढंग के अन्दर सीधी बात यह ह कि आप के सामने जो तरीका है उसे आपने को बदलना पड़ेगा । यह जो ऐप्लिकेशन्स लेने का तरीका है, उस के बजाय मेरा सुझाव यह है कि हमारी एक मशीनरी क्रिएट होनी चाहिए जो स्वयम् यह देखे कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हो सकती हैं जिन को आगे लाया जाय और किस प्रकार से उन का इस से सम्बन्ध जोड़ा जाय । अभी जो तरीका चल रहा है उस में प्राइवेट एंटरप्राइज को ही फायदा होता है, जो कि अपने आप को खुद ही अच्छे ढंग से रख सकते हैं । बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को फाइनेन्स नहीं कर सकते, लेकिन उन को मदद नहीं हो पाती है । यदि हम देखें कि मोनोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं और छोटी इंडस्ट्रीज़ कितनी चली हुई हैं, और उन में किस प्रकार से रुकावट आ रही है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप पायेंगे कि जो पालिसी चल रही है उस का एक ही तात्पर्य है कि जो जमे हुए हैं उन को और अधिक जमाया जाय । उन के रिसोर्सेज के बारे में कोई पूछ ताछ नहीं होती कि आप जो ज़ो लोन दिया जा रहा है उस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और आप के पास रिसोर्सेज की गुंजाइश है या नहीं । जहां तक प्राइवेट एंटरप्राइज का सवाल है, उस को रुपया उसी वक्त दिया जाये जब यह देखा जाये कि उस को रुपया मार्केट में नहीं मिल सकता है, न मार्केट में उन की साख है । जिन की मार्केट में साख हो, जिन को मार्केट से रुपया मिल सकता हो, जिन इंडस्ट्रीज के डाइरेक्टर्स की साख हो, उन्हें इस कारपोरेशन से रुपया लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

चूंकि बहुत समय नहीं है और बहुत सी बातें मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं, इस लिये अन्त में मैं एक बात कह कर समाप्त करूंगा । इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन जिस समय चलाया गया था, उस समय यह सोचा गया था कि वह सप्लिमेंट करेगा दूसरी चीज़ों को, न कि इस का मतलब यह था कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उन को सप्लिमेंट करेगा । जहां तक इस रिपोर्ट पर बहस करने का सवाल है मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में आगे चल कर मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रक्खें कि सदन में जो विचार प्रकट किये गये हैं उन पर अमल करवाने के क्या क्या नये उपाय हो सकते हैं । जो हमारे डाइरेक्टर्स बनाये जाते हैं, उस में किस तरह के हेर फेर की आवश्यकता है, या और कौन कौन सी आवश्यकतायें हैं जिन पर ध्यान रखने की जरूरत है । इन सब बातों को ध्यान में रख कर जो अगली रिपोर्टें आयेंगी उन में मैं समझता हूं कि जो त्रुटियां आज हैं, वे नहीं रहेंगी और भविष्य में जो कार्य इस सम्बन्ध में होगा, वह सुचारु रूप से होगा ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानुनगो)** : १९४६ में वस्त्रोद्योग का अध्ययन एक उच्च शक्ति वाली समिति ने किया था । उस के बाद इस उद्योग की बुरी अवस्था पर विचार बाद में अन्य समितियों ने किया । एक समिति का सभापति मैं भी था । हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ये महत्वपूर्ण उद्योग हैं और उन की स्थिति ठीक नहीं थी । इन की बीमारी का इलाज शीघ्र करना था, अन्यथा राष्ट्र बहुत हानि होगी । अतः इस काम को करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं अपनानी पड़ीं ।

निगम द्वारा अच्छी प्रकार काम करने के लिए--विशेषकर पटसन उद्योग में कुछ हद तक जान डालने के लिए--मुझे गर्व है । पिछले कुछ वर्षों में पटसन के कातने की ८४ प्रतिशत प्रक्रिया का आधुनिकरण हो चुका है और यह आधुनिकरण निगम द्वारा प्रोत्साहन से हुआ है । उद्योग के आधुनि-

†मूल अंग्रेजी में

करण पर कुल ३० करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जिस में से निगम से ४.५ करोड रुपए का ऋण उपलब्ध था। दुर्भाग्यवश, वस्त्रोद्योग में हमें उतनी सफलता नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि हम अच्छे नतीजे दिखला सकते। वस्त्रोद्योग पर अध्ययन दल ने हिसाब लगाया था कि उद्योग के पुनर्वास के लिए १८० करोड़ रुपए की लागत होगी और उद्योग को ८० करोड़ रुपए से अधिक धन नहीं मिल सकता था। दुर्भाग्यवश, हमें वित्त नहीं मिलता है। परन्तु यही एक रुकावट नहीं है। मशिनरी के उपलब्ध होने और बहुत से उपक्रमों द्वारा उस की खपत की एक रुकावट है।

निगम और सरकार केवल ऋण देने तक ही नहीं रहती हैं। उद्योगों को ऋण देना निगम का केवल एक काम है और यह काम निगम ने अच्छी प्रकार किया है।

उन लोगों पर आरोप लगाना जिन्होंने उस काम के लिए सरकार का नियन्त्रण स्वीकार किया जिसके लिए वेतन नहीं मिलता है उचित नहीं है।

समवाय विधि बहुत सख्त है। इस के अनुसार यदि किसी समवाय के संचलक का किसी अन्य समवाय में हित है, तो उस का हित बन्द किया जाता है, ऐसे हित को रोका गया है। निगम के उन संचालकों को जो कि ऋण लेने वाले समवायों के संचालक हैं उन समवायों में बहुत कम हित है। जहां तक वस्त्रोद्योग का सम्बन्ध है, इस का कड़ा सर्वेक्षण होता है। यह इतना कड़ा है कि मेरे पास कई आवेदन पत्र हैं जो कि सर्वेक्षण के पूछे जाने पर वापिस ले ली गई थीं। वस्त्रायुक्त के स्वाधीन संघटन द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। जब सर्वेक्षण दल प्रतिवेदन दे देता है और सुझाव दे देता है कि किस प्रकार का पुनर्वास आवश्यक है और क्या पुनर्वासित मशिनरी या आधुनिक मशिनरी उपक्रम को कोई आर्थिक लाभ दे सकती है, तब ऋण के लिए आवेदन-पत्र कार्यवाई के लिए तैयार होता है। ऐसी शिकायतें की गई हैं कि ऋण के लिए आवेदन-पत्रों पर बहुत देरी की जाती है। निगम ने यथासम्भव प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए कोशिश की है, परन्तु परीक्षण विस्तार से करना पड़ता है और वित्तीय और लोकहित के दृष्टिकोण से करना पड़ता है।

†**श्री दाजी** : क्या आप संचालकों के नाम बता सकेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : हां, ऐसा प्रतिवेदन में लिखा है। मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। इस निगम द्वारा ऋण के मामले में आवेदन-पत्र समवाय विधि प्रशासन द्वारा देखा गया है।

†**श्री दाजी** : मैं जानना चाहता हूं कि कितने संचालकों पर इसका प्रभाव पड़ा है।

†**श्री कानूनगो** : यह प्रतिवेदन में लिखा है। सदस्यों को सभा पटल पर रखा गया सरकार द्वारा किए गए प्रतिवेदन के पुनर्विलोकन को पढ़ना चाहिए। ये तीनों अभिलेख किसी भी व्यक्ति के सन्देह को दूर कर देंगे। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वे अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से निभाते हैं।

इस निगम का मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास में त्रुटियों को दूर करना है। कुछ प्रकार के बुनियादी उद्योग ऐसे हैं जिनमें बहुत पूंजी नियोजन की आवश्यकता है और शूरू में समन्वेषण का काम करना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

ऐसे उद्योगों के नील मुद्रों को देखना पड़ता है और लोगों को देखने के लिए रखा जाता है। सलफर के निर्माण के लिए विशेष परियोजना को लीजिए। सलफर का उत्पादन आरम्भ करने में देरी के सम्बन्ध में देश के असन्तोष को भली प्रकार समझता हूं। दूसरे देशों में प्राकृतिक सलफर से भिन्न साधनों से सलफर के उत्पादन को कई वर्ष लगे हैं। हमारे देश में विकास की वर्तमान अवस्था में प्रविधिक जानकारी और वैज्ञानिक अनुसन्धान बहुत से विकसित देशों के मुकाबले में कम हैं। हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं, परन्तु पीछे हैं। यह तथ्य कि विकास निगम बहुत सी असफलतायें होने पर भी परियोजना को चला रही है और आशा रखती है कि इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा यह जाहिर करता है कि निगम का लाभ है।

निगम ने बहुत से गैर-सरकारी उपक्रमों को बहुत से उपक्रमों के लिए प्रोत्साहन दिया है।

यदि आप उन एककों को १९५९ के लिए प्रतिवेदन के पुर्नवालोकन में देखें जिनको अध्ययन और परियोजनाएं बनाने के लिए चुना जाता है तो पता चलेगा कि उन ९ या १० परियोजनाओं में से आधी तैयार हो चुकी हैं और दूसरी कई मदों के बारे में जैसा कि कच्ची फिल्में, भारी बिजली का सामान, ठिलाई "फोर्ज", आर्गेनिक रसायन पदार्थ आदि, प्रारम्भिक काम हो चुका है। उन कामों को करने के लिए अलग निगम बनाये गये हैं निगम के प्रतिवेदन आदि से पता चलेगा कि क्या निगम का अस्तित्व न्यायोचित है।

सरकार को इस बात का पूर्ण रूप से पता है कि कई तरीकों से निगम का काम अच्छा और सस्ता बनाया जा सकता है। हम प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। और हम लगभग उनकी सभी सिफारिशें मान रहे हैं। निगम के काम के बारे में प्रतिवेदन सरकार की समीक्षा के साथ पढ़ना चाहिए। मैं सदन की भावना निगम और उसके अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा।

†**श्री राम रतन गुप्त** : इस चर्चा के प्रयोग की पूर्ति इस विचार से हो गई है कि उन बातों को जो ध्यान देने योग्य हैं सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे उद्योगों के विकास के लिए इस प्रकार के निगम की आवश्यकता है। सरकार केवल यह सुनिश्चित करे कि इसके लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त हों तथा इसके काम को अधिक प्रगतिशील ढंग से किया जाए। निगम के वास्तविक उद्देश्य की उपेक्षा न की जाए।

†**श्री कानूनगो** : भेषज परियोजना में व्यय लगभग २ करोड़ रुपये था। यथार्थ में २ करोड़ रुपये नहीं था, २,१६,४४९ रुपये और कुछ नए पैसे था। 'पौंउडरी फोर्ज' परियोजना के मामले में व्यय २०,५९६ रुपए और कुछ नए पैसे था और २० लाख रुपये नहीं।

†**सभापति महोदय** : मैं दोनों प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर, लेखा-परीक्षित लेखे

†मूल अंग्रेजी में

सहित, जो ३१ मार्च, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

"कि यह सभा राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन पर, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित जो ११ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इस के पश्चात् लोकसभा सोमवार २० अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, १८८४ (शक) को ११ बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई ।

शनिवार, १८ अगस्त, १९६२
२७ श्रावण, १८८४ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		१२०७—३१
तारांकित प्रश्न संख्या		
४०३	नागालैंड की स्थिति	१२०७
४२८	फिजो	१२०८—१०
४०४	उत्तर बंगाल सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों का जमाव	१२१०—१२
४०५	उड़ीसा में लौह अयस्क की खानें	१२१३–१४
४०६	दिल्ली में प्रविधिक व्यक्तियों का अभाव	१२१४–१५
४०८	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	१२१५–१६
४१०	विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय	१२१७—१९
४११	छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों का निर्यात	१२१९–२०
४१३	चाय पर कर	१२२०–२१
४१४	प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन	१२२१—२३
४१५	महलोनोवीस समिति	१२२३–२४
४१६	तिब्बत में निरुद्ध भारतीय व्यापारी	१२२५–२६
४१७	फिल्म में सेंसर सम्बन्धी नियम	१२२६—२८
४१८	केन्द्रीय मुद्रणालय कलकत्ता का विकेन्द्रीकरण	१२२८–२९
४१९	अफरीकी-एशियाई सम्मेलन	१२२९–३०
४२१	ऋण प्रत्याभूति योजना	१२३०–३१
४२०	भारत में नेपाली विद्रोही	१२३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		१२३२—८४
तारांकत प्रश्न संख्या		
४०७	राजनैतिक पीड़ितों का पुनर्वास	१२३२
४०९	ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी	१२३२–३३

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

४१२	चीन-भारत सीमा विवाद	१२३३
४२२	कस्तूरी का निर्यात	१२३३
४२३	बच्चों द्वारा सोवियत रूस की यात्रा	१२३३–३४
४२४	मोनोक्लोरीन बेंजीन	१२३४
४२५	केन्या में भारतीय	१२३४
४२६	मुसलमानों के मकानों में रहने वाले शरणार्थियों का पुनर्वास	१२३५
४२७	आकाशवाणी का समाचार विभाग	१२३५
४२९	सामान्य निशस्त्रीकरण के लिये विश्व कांग्रेस	१२३५–३६
४३०	कर्नल भट्टाचार्य	१२३६
४३१	पटसन मजूरी बोर्ड	१२३६
४३२	"नान न्यूक्लियर क्लब"	१२३६–३७
४३३	पत्रकारिता संस्था	१२३७
४३४	हाइड रोड कलकत्ता में गोदाम	१२३७–३८
४३५	औद्योगिक कर्मचारियों के काम के घंटे	१२३८–३९
४३६	अमरीका तथा कनाडा को भारतीय चाय का निर्यात	१२३९–४०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

९८६	सरकार द्वारा चलाये जाने वाले हस्त-शिल्प वाणिज्यालय	१२४०–४१
९८७	मध्य प्रदेश में सूती मिलें	१२४१
९८८	कच्ची फिल्मों का आयात	१२४२
९८९	राजस्थान में सूक्ष्म मापक यंत्र बनाने का कारखाना	१२४२
९९०	त्रिपुरा में केन्द्रीय विपणन संगठन	१२४२
९९१	मध्य प्रदेश को ऋण	१२४३
९९२	चाय का उत्पादन	१२४३
९९३	त्रिपुरा में रिक्शा चलाने वाले	१२४३–४४
९९४	साइकिलों, सिलाई मशीनों और बैटरियों का उत्पादन	१२४४—४६
९९५	गोआ में प्रशासनीय ढांचा	१२४६
९९६	पटसन मिलों को कोयले का संभरण	१२४६
९९७	पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के रेल के कर्मचारी	१२४७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

९९८	भूधारण अधिनियम का गोआ पर लागू किया जाना	१२४७
९९९	काफी बोर्ड पदाधिकारी	१२४७–४८
१०००	इल्मेनाइट का निर्यात	१२४८
१००१	लघु उद्योग बोर्ड	१२४८–४९
१००२	चैकोस्लोवाकिया को पटसन का निर्यात	१२४९
१००३	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	१२४९–५०
१००४	सियालदा स्टेशन पर शरणार्थी	१२५०
१००५	सूती कपड़ों की कीमतें	१२५०–५१
१००६	बोनस आयोग	१२५१
१००७	कोयला खनिकों की मांगें	१२५१
१००८	पाकिस्तान को गांवों का हस्तांतरण	१२५२
१००९	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत एक भारतीय राष्ट्रजन की रिहाई	१२५२
१०१०	ईंटों की कीमतें	१२५२–५३
१०११	कार्यालयों के लिय भवन	१२५३
१०१२	पूर्वी बंगाल में हिन्दू	१२५३–५४
१०१३	"मापतौल समाचार" हिन्दी पत्रिका	१२५४
१०१४	राष्ट्रीय आय	१२५४–५५
१०१५	रबड़ का बागान	१२५५
१०१६	सूक्ष्म मापक यंत्र बनाने का कारखाना	१२५५
१०१७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	१२५६
१०१८	पंजाब की पहाड़ियों में सड़कों और पुलों का निर्माण	१२५६
१०१९	दिल्ली में रोजगार का सर्वेक्षण	१२५७
१०२०	विद्रोही नागा	१२५७
१०२१	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	१२५८
१०२२	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	१२५८
१०२३	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम	१२५८–५९
१०२४	संसद् कार्य के लिये छापाखाना	१२५९
१०२५	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का निर्माण	१२५९
१०२६	गोआ वाणिज्य संघ का शिष्ट मंडल	१२५९–६०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या		
१०२७	इलेक्ट्रो-टेकनिकल पोर्सिलेन का निर्माण	१२६०
१०२८	ईरान के साथ व्यापार करार	१२६०
१०२९	बिहार, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में यूरेनियम मिलने की सम्भावना	१२६०–६१
१०३०	निर्यात सम्बर्द्धन के लिये वित्त योजना	१२६१
१०३१	पंजाब में बेरोजगारी का सर्वेक्षण	१२६१
१०३२	त्रिपुरा में औद्योगिक सहकारी समितियां	१२६१–६२
१०३३	त्रिपुरा में औद्योगिक बस्तियां	१२६२
१०३४	मलाया के साथ व्यापार करार	१२६२
१०३५	पुरुष और महिलाओं को समान वेतन	११६२–६३
१०३६	मकान बनाने के लिये गरीब लोगों को ऋण देना	१२६३
१०३७	विमानों के इंजनों का आयात	१२६३
१०३८	विद्युत निर्माण यूनिट	१२६३–६४
१०३९	लन्दन की तिब्बत संस्था द्वारा दी गई छपाई की मशीन	१२६४
१०४०	मनीपुर में औद्योगिक एकक	१२६४–६५
१०४१	मनीपुर में ग्राम घानी कुटीरउद्योग	१२६५
१०४२	भारत-मोरक्को व्यापार करार	१२६५
१०४३	बागानों के शिक्षक	१२६५–६६
१०४४	ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय	१२६६
१०४५	व्यापार प्रतिनिधिमंडल	१२६६–६७
१०४६	गोआ में 'शहीद भवन'	१२६७
१०४७	भिलाई के आस पास सहायक उद्योगों की स्थापना	१२६७
१०४८	पेंसिल बनाने के कारखाने	१२६७
१०४९	चौथी पंचवर्षीव योजना	१२६८
१०५०	कागज़ के कारखाने	१२६८
१०५१	मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात	१२६८–६९
१०५२	सिंगरेनी कोयला खानें	१२६९
१०५३	शिक्षित बेकार लोगों का प्रशिक्षण	१२६९
१०५४	रायपुर-जगदलपुर मार्ग	१२७०
१०५५	गोआ में मंडवी में एक पुल का निर्माण	१२७०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०५६	पाकिस्तानियों द्वारा हमला	१२७०–६१
१०५७	उत्तम चलचित्रों का निर्माण	१२७१
१०५८	चलचित्रों के स्तर में सुधार	१२७१–७२
१०५९	हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में कमी	१२७२
१०६०	नियोगी समिति	१२७२
१०६१	नेपाल द्वारा आयात पर शुल्क बढ़ाया जाना	१२७२–७३
१०६२	विदेश में भारतीय मिशन	१२७३
१०६३	केरल ऊरानमा देवसोम बोर्ड	१२७३
१०६४	भारतीय निर्यात	१२७४
१०६५	सीतानाला कोयला खान में दुर्घटना	१२७४–७५
१०६६	सहकारी पटसन मिल	१२७५
१०६७	गुड़ की मंडी, दिल्ली	१२७५–७६
१०६८	मंगलौर में अल्युमिनियम फैक्टरी	१२७६
१०६९	वेनियमकुलम (केरल) में चमड़ा प्रशिक्षण संस्था	१२७६–७७
१०७०	कम आय वर्ग के लोगों को दिये गये ऋणों पर ब्याज	१२७७
१०७१	पश्चिम पाकिस्तान के गुरुद्वारों को जाने वाले भारतीय	१२७७–७८
१०७३	नागालैंड में कुटीर उद्योगों का विकास	१२७८
१०७४	कनवेयर बेल्ट्स का निर्माण	१२७९
१०७५	बिड़ला हाउस को गांधी स्मारक बनाना	१२७९
१०७६	प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष	१२७९
१०७७	कोयला खनिकों को बोनस	१२८०
१०७८	हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	१२८०
१०७९	हथकरघा कपड़े का इकट्ठा हुआ स्टाक	१२८०–८१
१०८०	नागरिक जीवन में सुधार	१२८१
१०८१	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड	१२८१–८२
१०८२	कार्मिक संघ	१२८२
१०८३	नया बैरकपुर में बसाये जाने वाले शरणार्थियों के लिये जमीन	१२८२
१०८४	श्रीलंका में भारतीय	१२८२–८३
१०८५	बंगलौर और धारवाड़ में आकाशवाणी केन्द्र	१२८३

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१०८६ अल्जीरियाई शरणार्थियों को सहायता १२८३

१०८८ हथकरघा उद्योग . १२८३–८४

१०८९ केरल में मछली का निर्यात १२८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२८४–८५

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या ८/२६/६२–इम्प में प्रकाशित अखबारी कागज नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

(२) कागज की कीमतों के सम्बन्ध में दिनांक २१ जून, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या सी० एच०(१)–१७(१३०)/६० की एक प्रति ।

(३) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५१ में प्रकाशित खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

सदस्य की दोष सिद्धि १२८५–८६

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को बताया कि उन्हें वेल्लौर के जिला पुलिस सुपरिन्टेंडेंट से सूचना मिली है कि श्री आर० धर्मलिंगम, सदस्य, लोक सभा को वेल्लौर के जिला मजिस्ट्रट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा १४३ और ३४१ तथा दण्ड विधि संशोधन एक्तट की धारा ७ के अन्तर्गत दोषसिद्धि किये जाने और उन्हें दस सप्ताह की सख्त कैद की सजा दिये जाने पर १६ अगस्त, १९६२ को वेल्लौर की सेंट्रल जेल में रख दिया गया है ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३ . . . १२८६–९३

वर्ष १९६२–६३ के रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई । मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुई ।

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . .	१२९३—१३०६
वर्ष १९६२–६३ के लिये सामान्य आय व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई । मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुई ।	
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . .	१३०६—१५
श्री राम रतन गुप्त ने राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम के प्रतिवेदनों, जो कि क्रमश: ३१–३–६० तथा ११–४–६१ को सभा पटल पर रखे गये थे, के बारे में दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये । उन्होंने वाद-विवाद का भी उत्तर दिया ।	
प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।	
सोमवार २० अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—	
अणुशक्ति विधेयक पर विचार तथा पारित किया जाना और मिलावटी और नकली औषधियों के निर्माण तथा बिक्री के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा ।	